जुलाई-अगस्त 2025 अखिल भारतीय किसान सभा ₹ 20

# किसान संघर्ष

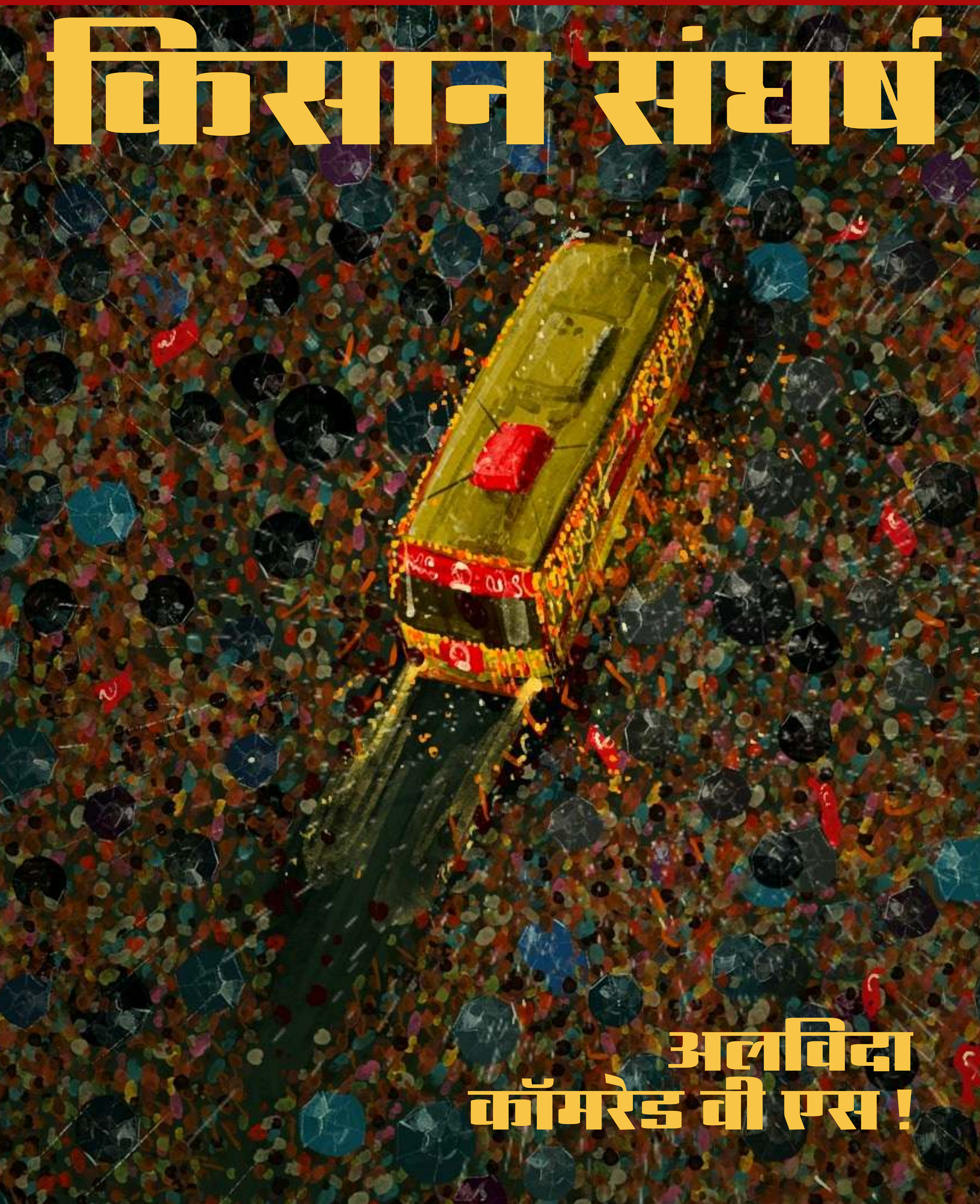

## अलविदा कॉमरेड वी एस !

# किसान संघर्ष

अखिल भारतीय किसान सभा की पत्रिका
जुलाई-अगस्त 2025

अखिल भारतीय किसान सभा
३६, पंडित रविशंकर शुक्ला लेन (कैनिंग लेन)
नई दिल्ली - 110001
011-23782890
www.kisansabha.org
kisansabha@gmail.com

संपादक
डॉ अशोक ढवले

कार्यकारी संपादक
बादल सरोज

संपादक मंडल
डॉ वीजू कृष्णन
पी कृष्णाप्रसाद
इन्द्रजीत सिंह
अवधेश कुमार
मनोज कुमार
पुष्पेन्द्र त्यागी
संजय पराते

डिज़ाइनर
नवीना लांम्बा

कवर आर्ट
अरोष थेवड़ाथिल

2 संपादकीय

4 किसान आन्दोलन में नया उभार
हन्नान मौल्ला

8 9 जुलाई 2025 की आम हड़ताल
पी. कृष्णप्रसाद

12 बदलाव के संघर्ष के लिए ज़रूरी किसान मज़दूर एकता
अशोक ढवले

17 वी. एस. अच्युतानंदन: संघर्षों की भट्टी तपकर निकले कुंदन
विजू कृष्णन

21 कॉमरेड वी. एस. अच्युतानंदन: एक कम्युनिस्ट का महाकाव्यात्मक जीवन
निधीश जे. विलट्ट

26 एस. आई. आर., बिहार में सत्ता हड़पने की बी. जे. पी. की हताश कोशिश
अरुण मिश्रा

28 महाराष्ट्र विशेष जन सुरक्षा कानूनः जनता की सुरक्षा के लिए नहीं, निरंकुशता की सुरक्षा के लिए है
अजित नवले

32 अमेरिकी टैरिफ के दबाव से बाहर निकल, नवउदारवादी आर्थिक नीतियों को रद्द किया जाए और जन-केंद्रित विकास की दिशा अपनाई जाए
अखिल भारतीय किसान सभा की प्रेस विज्ञप्ति

34 29 जुलाई शिमला चलो मार्च: हिमाचल प्रदेश में सेब के पेड़ों की कटाई क्यों हो रही है?
शुभोजीत डे

38 कर्नाटक: जबरन और अन्यायपूर्ण भूमि अधिग्रहण के ख़िलाफ़ किसानों की निर्णायक जीत
टी. यशवंत

40 गुजरात: एक डेयरी किसान की मौत — हीमतनगर पहुँचा किसान सभा प्रतिनिधिमंडल
दयाभाई गजेरा

42 महाराष्ट्र: भूमि बचाने के लिए बड़े संघर्ष की तैयारी
उमेश देशमुख

44 तमिलनाडु: केंद्र सरकार ने की धान खरीद में धोखाधड़ी
बी. तुलसी नारायण

47 मध्यप्रदेश: ग्वालियर चंबल संभाग से शुरू हुआ भूमि अधिकार सम्मेलनो का सिलसिला
अशोक तिवारी

51 हरियाणा: याद किये गए 1935 के लोहारू किसान विद्रोह के 23 शहीद
इंद्रजीत सिंह

# संपादकीय

## लालकिले से प्रधानमन्त्री के वेश में बोले 'स्वयंसेवक' का समावेश की जगह विभाजन का उद्घोष

15 अगस्त को लालकिले की प्राचीर से दिया जाने वाला प्रधानमंत्री का सालाना भाषण आमतौर से इस बीच हासिल उपलब्धियों को गिनाते हुए आत्मविश्वास पैदा करने और देश के समक्ष दरपेश चुनौतियों और उनके संकटों में बदलने की आशंकाओं के बारे में सचेत करता है। इन सबसे जूझने के लिए जो सबसे पहली जरूरत है उस जनता – समूची जनता - की एकता को मजबूत करता है। दरारों को मूंदने, विग्रह की खाइयो को पाटने के कदम उठाता है। मगर 15 अगस्त 2025 को जो बोला गया वह 'संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य भारत' के प्रधानमंत्री का भाषण नहीं था ; संप्रभुता, समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र से एलानिया वैर रखने वाले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक का भाषण था।

अपने संबोधन के समापन वाले हिस्से में उनका यह आव्हान कि किसी "**षड्यंत्र के तहत, सोची समझी साजिश के तहत देश की डेमोग्राफी को बदला जा रहा है... यह घुसपैठिए, मेरे देश के नौजवानों के रोजी-रोटी छीन रहे हैं... मेरे देश की बहन बेटियों को निशाना बना रहे हैं,... यह घुसपैठिए भोले भाले आदिवासियों को भ्रमित करके उनकी ज़मीनों पर कब्जा कर रहे हैं।**" बहुत ज़्यादा संगीन निहितार्थों से भरा है। इसे और आगे बढाते हुए उन्होंने कहा कि "**कोई देश अपना देश घुसपैठियों के हवाले नहीं कर सकता।**" एक हाई पावर डेमोग्राफी मिशन शुरू करने की घोषणा करते हुए इस मिशन के द्वारा "**भारत पर मंडरा रहे भीषण संकट**" को मुख्य चिंता बताते हुए समय सीमा में इससे निबटने का एलान भी कर दिया। इस तरह स्वयंसेवक प्रधानमंत्री के लिए देश की वास्तविक समस्याएं, समस्याएं नहीं है असली संकट देश के "**घुसपैठियों और बाहरी**" लोगों के हवाले हो जाने की है। कमाल की बात यह है कि इस 'भयानक संकट' की बात वह प्रधानमंत्री कर रहा था जो खुद पिछली पूरी 11 बरस से सत्ता में है। उसी दिन हुए कुछ अन्य भाषणों में भी ठीक यही बात कही जाने से यह पता चल गया कि यह एक टूल किट का हिस्सा है — निशाना बनाकर की जाने वाली हिंसा भड़काने के लिए उन्मादी अभियान को और तेज करने का शंखनाद है। इनमें से एक भाषण असम के मुख्यमंत्री हिमंता विषसरमा का था, इन्होने अपने सलामी संबोधन में कहा कि "**एक दिन ऐसा भी आ सकता है कि मेरी जगह कोई बाहरी खड़ा होकर सलामी ले रहा हो।**"

देश उम्मीद कर रहा था कि उसका प्रधानमंत्री पहलगाम की आपराधिक विफलता का दायित्व तय कर इसके दोहराव न होने का भरोसा दिलाएगा ; युद्धविराम को लेकर 34 बार किये गये अमरीकी राष्ट्रपति के दावे और टैरिफ के नाम पर हर रोज दी जा रही धमकी से दुनिया में बन रही भारत की हास्यास्पद और ट्रम्प से डरने वाले देश की छवि का कड़ा प्रतिवाद करेगा ; मोदी राज में अपनाई गयी दिवालिया और संकीर्ण विदेश नीति के चलते शुरू हुए पड़ोसी देशों से मनमुटाव के चौड़ा होते होते लगभग दुराव तक पहुँच जाने और दुनिया भर के सारे परम्परागत मित्र देशों के साथ बढ़ते अलगाव को दूर करने की दिशा में बढ़ने का मार्ग सुझाएगा ; जिस गज़ा पर हाल के सप्ताहों में दुनिया भर में करोड़ों लोग सडकों पर उतर चुके हैं उस परम्परागत मित्र फिलिस्तीन में किये जा रहे अमरीका संरक्षित इजरायली नरसंहार की निंदा करेगा ; खुद के चुनाव की वैधता पर उठे सवाल सहित लोकतंत्र के साथ किये जा रहे छल और धोखे के सप्रमाण उजागर होने से देश की जनता में उभरती बेचैनी को दूर करने की झलक तक कोशिश करेगा ; अतिवर्षा से आयी बाढ़ में बर्बाद हुए भारतियों के लिए राहत का एलान करेगा ; पिछले 11 वर्षों में रिकॉर्ड तोड़कर बढ़ी बेरोजगारी से बाहर आने, किसानो मजदूरों और मध्यवर्गी हिन्दुस्तानियों को उनकी दिनोदिन बढ़ती दुश्वारियों से उबारने की योजना का एलान करेगा। पिछले 27 महीनों से मणिपुर में जारी हिंसा और लगभग गृहयुद्ध जैसी अफसोसनाक स्थिति से उबरने और बिहार में कथित गहन पुनरीक्षण के बहाने मतदाता सूची से जीते जागते नामों को मार डालने से उपजी जायज बेचैनी से लेकर नस्ल और जाति, करणी और उच्चवर्णी सेनाओं द्वारा देश भर में मचाये जा रहे उत्पात को थामने के लिए कुछ कहेगा। मगर भाषण में ऐसा कुछ नहीं था ; हमेशा की तरह यदि कुछ था तो शुरु से आखिर तक मैं, मैं और मैं का आत्मालाप था। कुछ नया था तो विग्रह, विभाजन और विघटन के सूत्रधारों को वैधता देने के इरादे से बुना गया वह जाल जो समावेशी भारत का निषेध और बहिष्करण का उद्घोष करता है।

राष्टीय स्वयंसेवक संघ को '**सेवा, समर्पण, संगठन और अप्रतिम अनुशासन, की पहचान वाला दुनिया का सबसे बड़ा एनजीओ**' बताना और '**उसके 100 साल के कलंकित इतिहास**' को समर्पण का इतिहास बताना कुछ दिन बाद स्वयं के 75 वर्ष का होने पर लागू होने वाले रिटायरमेंट की आशंका को टालने के लिए की गयी चापलूसी भर नहीं थी बल्कि उस संगठन का प्रशस्तिगान था जिसे आजाद भारत में चार चार बार — अंग्रेजों से आजादी पाने का विरोध कर काले झंडे फहराने, महात्मा गांधी की हत्या. उसके बाद 1975 में तथा उसके बाद 1992 में बाबरी मस्जिद को ढहाकर भारत के धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक ढाँचे पर हमला करने के लिए — प्रतिबंधित किया जा चुका है । वे इतने तक ही नहीं रुके ; मुस्लिम लीग के साथ मंत्रिमंडल में रहने वाले श्यामा प्रसाद मुख़र्जी की 125 वीं वर्षगाँठ का उल्लेख भी लालकिले से कर दिया । उनकी सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय ने एक ऐसा विज्ञापन भी जारी किया जिसमे सावरकर को गांधी, सुभाष चन्द्र बोस और भगत सिंह के भी सर पर बिठाया हुआ था । अगर सावरकर स्वतन्त्रता सेनानी हैं और आरएसएस एनजीओ है तो लगता है शब्दकोश के सारे मायने बदलने पड़ेंगे ; मोदी सरकार उसी दिशा में तेजी से कदम बढ़ा रही है । लालकिले से ऐसा भाषण इस देश ने इससे पहले कभी नहीं सुना था । सत्ता का दुरुपयोग कर मनाया गया इतना विद्रूप और अनैतिहासिक स्वतन्त्रता दिवस इस देश ने पिछली 78 वर्षों में कभी नहीं देखा था ।

विग्रह और विभाजन में सुख देखने वाले विकृत सोच के लिए ही भारत की डेमोग्राफी — जनसांख्यिकी — चिंता और संकट की बात हो सकती है । असल में तो यह देश की ताकत है ; दुनिया में सबसे युवा आबादी वाला देश होना अपार संभावनाओं से भरी शक्ति और सामर्थ्य वाला देश होना होता है । जहां लगभग 65% आबादी 35 वर्ष से कम आयु की है, वहां कोशिशें इस बात की होनी चाहिए कि इस युवतर मानव शक्ति को एक अवसर मानकर उसे इस तरह नियोजित करने की योजनायें बनाई जाएँ कि चौतरफा विकास हो सके । मगर जनसांख्यिकी को इस नजरिये से देखने की बजाय उसे विभाजनकारी मंतव्य के साथ रखना और वास्तविक संभावना की बजाय एक आभासीय आशंका बताना मोदी जी के कुनबे के साम्प्रदायिक दुष्प्रचार का आजमाया हुआ फंडा है ; इसे पिछले एक सौ साल से आर एस एस वापरता रहा है, इस बार इसे प्रधानमंत्री का वेश धरकर आये स्वयंसेवक ने लालकिले पर चढ़कर कहा ।

यह सचमुच हैरत की बात है कि किसी देश का प्रधानमंत्री अपनी नाकामियों को छुपाने और अपने विचार कुटुंब का संविधान विरोधी एजेंडा आगे बढाने के लिए स्वतन्त्रता दिवस जैसे महत्वपूर्ण दिन का इस कदर दुरुपयोग करे और अपनी ही आबादी में दुश्मन तलाशने का आव्हान करे ।

हालांकि यह कोई नया कारनामा नहीं है ; ठीक यही काम, जिन्हें ये कुनबा अपना प्रेरणास्रोत और आदर्श मानता है उस हिटलर द्वारा किया जा चुका है, उसके हिसाब से पहले यहूदी राष्ट्र के लिए ख़तरा थे, बाद में बात और आगे बढ़कर जर्मन आर्यों को छोड़कर बाकी पूरी दुनिया को दोयम दर्जे का मनुष्य बनाने तक पहुंची । इस बीच में आज जिसे संयुक्त राज्य अमरीका कहते हैं वहां के मूल निवासियों के कत्लेआम से शुरू हुई फिर काले, भूरे, पीले रंगीन इंसानों को 'बाहरी' बनाने तक पहुंची । ऑस्ट्रेलिया से लेकर अफ्रीका तक, रवांडा से युगांडा तक कुछ और सिरफिरों ने इसे आजमाया, आज बेंजामिन नेतन्याहू इसे फिलिस्तीनी अवाम के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है । मोदी इसी पुरानी, ध्रुवीकरण विरुदावली की फासिस्टों की प्रिय पटकथा को दोहरा रहे थे । अडानी अम्बानी जैसे राहू केतुओं के फंदे में हिचकोले खाती अर्थव्यवस्था में बेरोजगारों से रोजगार और बहुमत जनता से गरिमापूर्ण जीवन का अधिकार छीनने के वास्तविक अपराध का जिम्मा काल्पनिक घुसपैठियों और मनगढ़ंत बाहरी पर डालकर अपना विभाजनकारी एजेंडा आगे बढ़ा रहे थे ।

आज़ाद हिन्द फ़ौज पर चले मुकदमे के समय 'लालकिले से आयी आवाज / सहगल, ढिल्लों, शाहनवाज़' के नारे से देश को इस कदर एकजुट किया था कि विभाजन की पीड़ा प्रतिशोध की ज्वाला में नहीं बदल पाई ; एक धर्मनिरपेक्ष और आत्मनिर्भर राष्ट्र के निर्माण के सकल्प में तब्दील हो गयी । उसी लालकिले पर चढ़कर इस तरह का प्रलाप देश के नागरिकों के विवेक और आत्मसम्मान के लिए एक बड़ी चुनौती है ; ऐसी चुनौती जिसे सींग से पकड़कर ही पीछे धकेला जा सकता है । ■

# किसान आन्दोलन में नया उभार

हन्नान मौल्ला
(अखिल भारतीय उपाध्यक्ष, किसान सभा)

ऐतिहासिक किसान आन्दोलन की विजय के बाद मोदी सरकार ने संयुक्त किसान मोर्चा (एसकेएम) को न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) और अन्य मुद्दों पर चर्चा कर समाधान निकालने का लिखित आश्वासन दिया था। लेकिन पांच साल बीत जाने के बाद भी सरकार ने एसके--एम के साथ एक भी बैठक नहीं की, क्योंकि सरकार की इस समस्या का समाधान करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। मोदी सरकार किसान विरोधी है और कॉरपोरेटों के एजेंट के रूप में काम कर रही है। उनकी नीतियाँ कृषि के निजीकरण और कृषि को कॉरपोरेट को सौंपने की दिशा में हैं। भूमि सुधार को उलटकर, किसानों से ज़मीन छीनकर अडानी, अंबानी और अन्य उन जैसे कॉर्पोरेट को सौंपना का काम कर रही है। सरकार को उनके वादों की याद दिलाने के लिए एसकेएम ने कई कार्यक्रम आयोजित किए, जिला और राज्य स्तर पर संघर्ष किए, लेकिन सरकार टस से मस नहीं हुई। इन्ही वजहों से, सरकार की नीतियों ने कृषि संकट को और भी गहरा कर दिया है।

जब से मोदी सरकार सत्ता में आई है, तब से किसानों पर लगातार हमले हो रहे हैं। पहला हमला भूमि अधिग्रहण अध्यादेश के रूप में आया, जिसके खिलाफ किसानों ने संघर्ष किया और सरकार को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। फिर चुनावों सेपहले मोदी ने स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करने का जी वादा किया था उसे लेकिन बाद में कोर्ट में हलफनामा देकर कहा कि एमएसपी लागू करना संभव नहीं है। तीसरा हमला तीन काले कानूनों के

ज़रिए किसानों को उनकी ही ज़मीन पर गुलाम बनाने का प्रयास था। एसकेएम ने इन काले कानूनों के खिलाफ एक साल से ज़्यादा समय तक संघर्ष किया और मोदी सरकार की साजिश को विफल किया। इसके बाद सरकार ने एक और हमला फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (एफटीए) के रूप में किया, जिससे विदेशी कंपनियों को हमारी कृषि बाजार में प्रवेश का रास्ता मिल सके। मोदी सरकार ने "राष्ट्रीय कृषि विपणन नीति" की घोषणा की, जिसका उद्देश्य था कॉरपोरेट कंपनियों को किसानों का शोषण करने की खुली छूट देना। हमारे कड़े विरोध के बाद यह नीति ठंडे बस्ते में डाल दी गई, लेकिन इसे अब तक औपचारिक रूप से रद्द नहीं किया गया है। अब सरकार ने नया हमला एफटीए पर हस्ताक्षर करके किया है। "व्यापक आर्थिक व्यापार समझौता" ब्रिटेन के साथ हस्ताक्षरित किया जा चूका है, और यूरोपीय संघ देशों के साथ वार्ताएँ चल रही हैं। सबसे ख़तरनाक एफटीए अमेरिका के साथ होने वाला है। अमेरिका अपने भारी सब्सिडी वाले कृषि, डेयरी और मत्स्य उत्पाद भारत में खपाना चाहता है, जो भारतीय किसानों के लिए मौत का घंटा साबित होगा। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय व्यापार और एमएसएमई (सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम) पर 25% टैरिफ लगा दिया है और इस के ऊपर 25% रूस के साथ व्यापर करने के लिए जुर्माना, याने कुल मिला कर भारतीय सामान पर अमेरिका में 50% टैरिफ होगा। इन सभी हमलों के सामने हमें एक व्यापक, उग्र प्रतिरोध आंदोलन खड़ा करना होगा ताकि हम अपने किसानों, छोटे व्यापारियों और एमएसएमई को बचा सकें।

पिछले डेढ़ दशक में किसान आंदोलन ने कई मूल्यवान सबक और अनुभव अर्जित किए हैं। यह सीखा गया कि इन हमलों का सामना करने के लिए देशव्यापी, संयुक्त और व्यापक प्रतिरोध ज़रूरी है। किसान आंदोलन में सबसे व्यापक एकता हासिल हुई। मुद्दा आधारित संयुक्त संघर्ष नई राह बना कर उभरा है। संघर्ष का सबसे लंबा दौर भी हमारे लिए एक सबक था। किसानों-मज़दूरों और खेत मज़दूरों की एकता सबसे बड़ी उपलब्धि थी। पूरे देश में आंदोलन को तेज़ करने की आवश्यकता को सभी ने माना।

इस संदर्भ में, अखिल भारतीय किसान सभा ने अपनी पिछली परिषद बैठक में हमारे अनुभवों का मूल्यांकन किया और मोदी सरकार द्वारा किसानों, ग़रीबों, मज़दूरों, छात्रों, युवाओं, महिलाओं, जनतांत्रिक अधिकारों, भारतीय संविधान और धर्मनिरपेक्ष मूल्यों पर किए जा रहे हमलों का विश्लेषण किया। इसके बाद यह निर्णय लिया गया कि किसानों के बीच गहन अभियान चलाया जाए और उन्हें एकजुट कर साझा संघर्षों में उतारा जाए। 9 जुलाई को किसान-मज़दूरों के संयुक्त भारत बंद का आह्वान किया गया, जो मोदी सरकार और जनविरोधी नीतियों के खिलाफ पहला बड़ा अवसर था। यह हाल के समय का सबसे सफल आंदोलन रहा।

साथ ही, अगस्त में कॉरपोरेट लूट के ख़िलाफ़ संयुक्त आंदोलन चलाने का भी निर्णय लिया गया है।

इसके अलावा, ज़मीन का संघर्ष किसानों का मूल संघर्ष है और किसान सभा देश भर में इस संघर्ष को लड़ रहा। इसके लिए, सभी राज्यों में किसान सभा ज़मीन से जुड़े मुद्दों और ज़मीन के संघर्षों को लेकर राज्य स्तरीय भूमि कन्वेंशन आयोजित करेगा और इन रिपोर्टों के आधार पर सितंबर में एक राष्ट्रीय भूमि कन्वेंशन आयोजित किया जाएगा, ताकि देश भर में ज़मीन के संघर्षों की समीक्षा की जा सके।

किसान सभा ने क्यूबा के साथ एकजुटता कार्यक्रम आयोजित करने और किसानों के बीच मोंकाडा दिवस मनाने तथा क्यूबा एकजुटता के लिए धन संग्रह करने का निर्णय भी लिया। किसान सभा ने सभी राज्यों में वन्यजीव संकट को गंभीरता से उठाया और यह बताया कि किसान जंगली जानवरों और 'आवारा पशुओं' (जो फसलें नष्ट कर रहे हैं) के हमलों का सामना कर रहे हैं। जानवरों के गलियारे (एनिमल कॉरिडोर) के नाम पर लाखों एकड़ ज़मीन सरकार द्वारा अधिग्रहित की जा रही है। वही विकास और कॉर्पोरेट हितों के नाम पर सरकार द्वारा की जा रही ज़मीन की लूट में इजाफा हुआ है। किसान सभा ने तय किया कि वह इस तरह की ज़मीन हड़प नीति के ख़िलाफ़ स्वतंत्र और संयुक्त संघर्षों का निर्माण करेगा।

किसान सभा ने इन सभी किसान मुद्दों को संयुक्त किसान मोर्चा (एसकेएम) की एक विस्तृत बैठक में उठाया। एसकेएम की राष्ट्रीय परिषद की बैठक में इन सभी मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई और एक साझा सहमति बनी कि इन समस्याओं के ख़िलाफ़ संघर्ष किया जाएगा। बैठक में यह भी बताया गया कि 9 जुलाई का बंद हालिया संघर्षों में सबसे सफ़ल रहा, जिसमें एसकेएम से सम्बंधित कई किसान संगठनों के साथ-साथ मज़दूर और खेत मज़दूरों के संगठनो ने भी ग्रामीण क्षेत्रों में भाग लिया।

एसकेएम को आशंका है कि मोदी सरकार एफटीए (मुक्त व्यापार समझौता) पर अमेरिका की साम्राज्यवादी ताकतों के आगे झुक जाएगी और भारतीय कृषि एवं डेयरी क्षेत्र को विदेशी पूंजी के लिए खोल देगी। इसलिए 13 अगस्त 2025 को "कॉर्पोरेट भारत छोड़ो दिवस" के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया है। इस दिन ट्रैक्टर मार्च, वाहन परेड आयोजित की जाएंगी और पूरे देश में ब्लॉक, तहसील और ज़िला स्तर पर ट्रंप और मोदी के पुतले जलाए जाएंगे। इस के साथ ही उच्च बिजली दरों को लागू करने तथा 10 वर्षों के बाद ट्रैक्टर पर प्रतिबन्ध लगाने का मुद्दों को भी उठाया जाएगा।

15 अगस्त से 25 नवंबर तक राष्ट्रीय स्तर पर एक तेज अभियान चलाया जाएगा, जिसमें मोदी सरकार की किसान-विरोधी, राष्ट्र-वि-

-रोधी और सांप्रदायिक राजनीति को उजागर किया जाएगा, और केंद्र तथा कई भाजपा शासित राज्य सरकारों द्वारा किए गए विश्वासघातों को उजागर किया जाएगा । अंत में 26 नवंबर को ऐतिहासिक किसान आंदोलन की 5वीं वर्षगांठ के रूप में राज्य की राजधानियों और दिल्ली में विशाल विरोध रैलियाँ आयोजित की जाएंगी । हमें खुशी है कि हमारे एसकेएम के संघर्ष में केंद्रीय ट्रेड यूनियन एवं खेत मज़दूरो के संगठन भी भाग लेंगे और एक राष्ट्रीय स्तर का मज़दूर-किसान संयुक्त संघर्ष मोदी सरकार तथा कॉर्पोरेट व साम्राज्यवादी साजिशों के खिलाफ उभरेगा ।

पंजाब में एसकेएम, आम आदमी पार्टी सरकार की भूमि पूलिंग नीति के खिलाफ, जिसमें लाखों एकड़ ज़मीन छीनी जा रही है, 30 जुलाई को पूरे पंजाब में ट्रैक्टर रैलियाँ और 24 अगस्त को एक विशाल महापंचायत आयोजित करेगा । इस अभियान को देशभर में फैलाने के लिए एसकेएम द्वारा प्रचार सामग्री भी प्रकाशित की जाएगी । एसकेएम ने स्थानीय स्तर पर बेदखली और बुलडोज़र हमलों का विरोध करने और उचित पुनर्वास एवं मुआवज़े की माँग को लेकर एक तीखा संघर्ष शुरू करने का निर्णय लिया है । एसकेएम झुग्गी-झोपड़ियों और बस्तियों को बिना पुनर्वास के तोड़े जाने का विरोध करेगा । एसकेएम खेती की ज़मीनों पर जबरन ओवरहेड हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइनों के निर्माण का भी विरोध करेगा और मांग करेगा कि सरकार भूमि उपयोग नीति लागू करे और देश की खाद्य सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कृषि भूमि को संरक्षित रखा जाए। हम सरकार से मांग करते हैं कि वह शीर्ष 1% अमीर लोगों पर 2% कर लगाए, कॉर्पोरेट कर बढ़ाए, 1/3 संपत्ति कर और उत्तराधिकार कर को पुनः लागू करे ताकि जीडीपी का 7% वित्तीय संसाधन जुटाया जा सके और इसे मजदूरों, किसानों और मेहनतकश जनता में न्यायसंगत तरीके से वितरित किया जा सके तथा सभी नागरिकों के लिए पांच मौलिक अधिकार भोजन, रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा और पेंशन सुनिश्चित किया जा सके ।

किसान आंदोलन के एक और व्यापक मंच "भूमि अधिकार आंदोलन" (बीएए), जिसमें अखिल भारतीय किसान सभा एक महत्वपूर्ण घटक संगठन है, की राष्ट्रीय कन्वेंशन 29 और 30 जुलाई 2025 को दिल्ली में आयोजित किया गया । इस कन्वेंशन में देशभर से 70 से अधिक किसान संगठनों के नेताओं ने भाग लिया और देश में जल-जंगल-ज़मीन से जुड़ी समस्याओं पर एक विचारमंथन सत्र किया । बीएए का साफ मन्ना है के भाजपा-एनडीए सरकार "बुलडोजर राज" की राजनीति कर रही है, जो गरीब विरोधी, धर्मनिरपेक्षता विरोधी और लोगों के आवास, पुनर्वास और पुनर्स्थापन के अधिकारों पर हमला है । बैठक में राज्य द्वार की जा रही हिंसा और अत्याचारों की भी आलोचना की गई, जिनमें आदिवासियों, दलितों, मुसलमानों, ईसाइयों, महिलाओं और बच्चि-यों को निशाना बनाया जा रहा है, जिससे लोगों का क़ानून के राज में विश्वास कम हो रहा है । बैठक में जल, जंगल, ज़मीन पर लोगों के अधिकारों पर गहराते हमलों और 'विकास' के नाम पर बढ़ती केंद्रीकरण की प्रवृत्ति पर गंभीर चर्चा हुई । बैठक ने बुलडोजर राजनीति, मनमाने तरीके से बेदखली और अंधाधुंध भूमि अधिग्रहण की निंदा की गई, जो के भारतीय संसद द्वारा पारित "भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन अधिनियम, 2013" का उल्लंघन है । यूपी, असम, बिहार, ओडिशा, छत्तीसगढ़, दिल्ली, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात में भाजपा-एनडीए की डबल इंजन वाली सरकारे आदिवासियों, दलितों, मुसलमानों, ईसाइयों, महिलाओं और बच्चियों पर राज्य प्रायोजित हिंसा और अत्याचार के लिए कुख्यात है ।

जमीनी रिपोर्टों ने यह उजागर किया कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 का लगातार उल्लंघन हो रहा है, भूमि का बलपूर्वक या धोखे से अधिग्रहण किया जा रहा है, डिजिटल भूमि सुधार स्थानीय ग्राम सभा की सहमति के बिना किए जा रहे हैं और जंगल तथा समुद्री तट की जमीनें कॉर्पोरेट कंपनियों को खनन और बड़े बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए सौंपी जा रही हैं । भूमिहीनता और कृषि संकट के कारण मजबूर हो कर किये जाने वाले पलायन की समस्या बढती जा रही है, इसे भी ज़ोरदार ढंग से उठाया गया ।

बैठक में यह संकल्प लिया गया कि भूमि अधिकार आंदोलन के राज्य स्तरीय इकाईयों को मजबूत किया जाएगा ताकि बेहतर समन्वय और लामबंदी हो सके, स्थानीय संघर्षों को राष्ट्रीय नीतियों से जोड़ा जा सके । यह सभी जन आंदोलनों को एकजुट करेगा ताकि कॉर्पोरेट भूमि हड़प, खनिज संपदा की लूट, सांप्रदायिक राजनीति और पर्यावरण विनाश के खिलाफ राष्ट्रीय स्तर पर एक मजबूत प्रतिरोध खड़ा किया जा सके । बैठक ने ऊपर उठाए गए मुद्दों पर एकजुट अभियान चलाने और 13 अगस्त को 'कॉर्पोरेट भारत छोड़ो दिवस' के रूप में मनाने का आह्वान किया गया । बढ़ती सांप्रदायिकता और विभाजनकारी राष्ट्रवाद की पृष्ठभूमि में 'राष्ट्रीय एकता दिवस' भी मनाया जाएगा । बैठक में एक घोषणा-पत्र अपनाया गया, जिसे जनता के सामने रखा जाएगा और दिसंबर 2025 में ओडिशा में आयोजित होने वाले राष्ट्रीय सम्मेलन में रखा जाएगा ।

कन्वेंशन में बस्तर में हुई हत्याओं और तथाकथित नसलवाद के खिलाफ चलाए जा रहे सेना अभियानों की गंभीर निंदा की गई । इस के नाम पर अब तक लगभग 500 आदिवासी मारे जा चुके हैं । 'अर्बन नक्सल' जैसी शब्दावली का इस्तेमाल और जनवादी अधिकारों को कुचलने की साजिश है । बैठक ने चुनाव आयोग की उस घोषणा की भी निंदा की जिससे विशेष गहन पुनरीक्षण

(एसआईआर) के जरिए लाखों लोगों को उनके मताधिकार से वंचित किया जा सकता है ।

कन्वेंशन ने इज़राइल द्वारा फ़िलिस्तीन और गाज़ा पर किए गए बर्बर हमलों की भी निंदा की, जिनमें अब तक 60,000 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है और यह अमेरिका जैसे साम्राज्यवादी देश के समर्थन से हो रहा है । इन सभी मुद्दों पर बीएए देश में बड़े पैमाने पर जन आंदोलन खड़ा करेगा ।

किसान सभा जो की देश भर में फैला देशव्यापी संगठन है, देश के 27 राज्यों से 1.53 करोड़ से अधिक सदस्यों है, एक अखिल भारतीय संगठन के रूप में, किसान सभा की यह बड़ी ज़िम्मेदारी है कि वह एक व्यापक और तीखा किसान आंदोलन खड़ा करे और एसकेएम एवं बीएए के सभी घटकों के साथ मिलकर देश में स्वतंत्र व संयुक्त आंदोलन खड़ा करे । आगामी दिनों में किसान और मज़दूर मोदी सरकार की जनविरोधी, सांप्रदायिक और कॉर्पोरेटपरस्त राजनीति के खिलाफ एक व्यापक प्रतिरोध आंदोलन खड़ा करेगे ।■

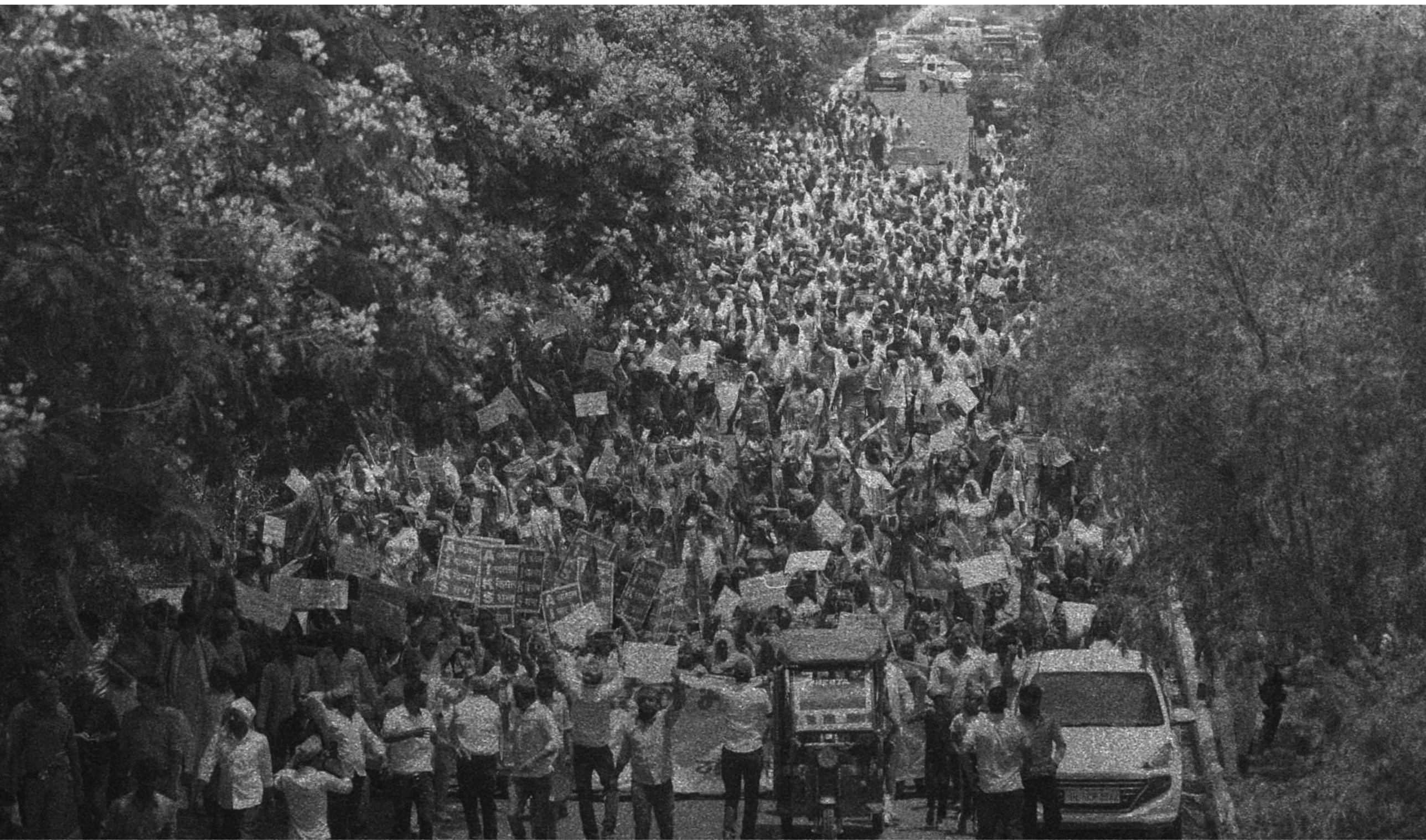

## 9 जुलाई 2025 की आम हड़ताल:

# कॉरपोरेट और सांप्रदायिक ताकतों को कड़ी चेतावनी

पी. कृष्णाप्रसाद
(अखिल भारतीय वित्त सचिव, किसान सभा.)

9 जुलाई 2025 की आम हड़ताल, जिसका आह्वान दस केंद्रीय ट्रेड यूनियनों द्वारा किया था और संयुक्त किसान मोर्चा (एसकेएम) ने इसे समर्थन दिया था, ने पूरे भारत में उद्योग, सेवा और कृषि उत्पादन के प्रमुख क्षेत्रों को प्रभावित किया। यह उस स्थिति में संभव हुआ जब प्रशा--सन, पुलिस और कॉरपोरेट मीडिया की धमकियों और आलोचनाओं के बावजूद मजदूरों ने साहस दिखाया।

कोयला, बिजली, बैंक, बीमा और इस्पात जैसे क्षेत्रों में हड़ताल लगभग पूर्ण रही। तेलंगाना और कर्नाटक के औद्योगिक क्षेत्रों में इसका व्यापक प्रभाव देखा गया। बंदरगाह, रक्षा उद्योग और आईटी क्षेत्र में भी हड़ताल का असर स्पष्ट रूप से देखा गया। असंगठित क्षेत्र के मजदूरों, खासकर योजना कर्मियों द्वारा देशभर में बड़े पैमाने पर प्रदर्शन किये गए। त्रिपुरा, असम, बिहार और केरल जैसे राज्यों में यह हड़ताल पूर्ण बंद में बदल गई, जहां व्यावसायिक प्रतिष्ठान बंद रहे और पूरे दिन सड़क यातायात ठप रहा। गुजरात, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान जैसे भाजपा-शासित राज्यों में भी हजारों मजदूर व किसान सड़कों पर उतरे और मोदी सरकार की कॉरपोरेट नीतियों के खिलाफ नारे लगाए। पंजाब और हरियाणा के सभी जिलों में बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हुए। पश्चिम बंगाल एवं तमिलनाडु में रेल रोको और रास्ता रोको आंदोलनों में किसान व मजदूरों ने मिलकर भाग लिया। कश्मीर और हिमाचल में सेब किसानों के विरोध प्रदर्शन काफी बड़े पैमाने पर हुए। करीब 25 करोड़ श्रमिकों की भागीदारी के साथ यह हड़ताल दुनिया भर के मज़दूर आंदोलनों में से एक प्रभावशाली जन प्रतिरोध बन गई। इसकी गूंज और महिलाओं की विशेष भागीदारी ने सत्ताधारी कॉरपोरेट ताकतों को एक कड़ी चेतावनी दी है।

एसकेएम  और खेत मजदूर संगठनों के मंच के समर्थन से किसानों और ग्रामीण मजदूरों की व्यापक भागीदारी सुनिश्चित हुई, ग्रामीण भारत में सड़क और रेल रोको जैसे आंदोलनों में इनकी बड़ी भूमिका रही। छात्रों, युवाओं, महिलाओं, छोटे व्यापारियों और अन्य सामाजिक वर्गों के संगठनों ने भी हड़ताल में सक्रिय भूमिका निभाई। विपक्षी राजनीतिक दलों, विशेष रूप से वामपंथी दलों ने इस हड़ताल का समर्थन किया था।

यह आम हड़ताल मुख्य रूप से चार श्रम संहिताओं के कार्यान्वयन, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के निजीकरण, रोजगार की अनिश्चितता, सी2+50% पर एमएसपी  की गारंटी के साथ खरीद सुनिश्चित करने और किसानों की सम्पूर्ण कर्ज़ा माफी की मांगों को लेकर बुलाई गई थी। ट्रेड यूनियनों द्वारा यह संघर्ष मजदूरों और किसानों दोनों के ज्वलंत मुद्दों को केंद्र में रखकर लड़ा गया, जिसने पूरे देश में किसानों, खेत मजदूरों और कामगारों को एकजुट प्रतिरोध के लिए प्रेरित किया। पिछली हड़तालों की तुलना में 9 जुलाई 2025 की हड़ताल अधिक प्रभावशाली रही। कॉरपोरेट मीडिया और नौकरशाही इस देशव्यापी फैले हुए मजदूर-किसान संयुक्त आंदोलन की जीवंतता को महसूस किया। वहीं इस सफल कार्रवाई ने मेहनतकश वर्ग के बीच यह आत्मविश्वास भरा कि, वे कॉरपोरेट नीतियों का डटकर मुकाबला कर सकते हैं।

इस मूल्यांकन से जो बात उभरकर आती है वह यह है कि संगठित ट्रेड यूनियन आंदोलन और मेहनतकश वर्ग ने इस हड़ताल को प्रभावशाली बनाने में नेतृत्वकारी भूमिका निभाई और पूरे देश के मजदूरों, किसानों, छोटे उत्पादकों और व्यापारियों को एकजुट किया, जो कॉरपोरेट नीतियों के सबसे बड़े पीड़ित हैं। भारत का मज़दूर वर्ग लगातार मजदूर-किसान एकता को एक सशक्त और संगठित ताकत के रूप में मज़बूत कर रहा है, जो पूरे देश में कॉरपोरेट वर्चस्व के खिलाफ मोर्चा बनाए हुए है। 9 जुलाई 2025 की हड़ताल, नवउदारवादी नीतियों के लागू होने के बाद से 22वीं आम हड़ताल थी। इस मजदूर-किसान संयुक्त कार्रवाई की सफलता ने समाज के सभी जनवादी वर्गों में यह विश्वास भरा है कि, देश की मेहनतकश जनता शासक वर्गों की जनविरोधी नीतियों के खिलाफ संघर्ष करने के लिए तैयार है।

स्वतंत्र भारत के सबसे प्रभावशाली जनआंदोलन माने जाने वाले 2020-21 के किसान आंदोलन, जिसमें 736 किसानों ने अपने प्राणों की आहुति दी थी और जिससे मोदी सरकार को तीन काले कृषि कानूनों को वापस लेने के लिए मजबूर होना पड़ा, की सफलता का एक महत्वपूर्ण कारण पूरे भारत के ट्रेड यूनियन आंदोलन का सक्रिय समर्थन और भागीदारी भी था।

एफटीए के खिलाफ बढ़ते विरोध के बावजूद, मोदी सरकार ने ब्रिटेन सहित विकसित देशों के दबाव के आगे आत्मसमर्पण कर दिया और 24 जुलाई 2025 को प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में भारत-यूके एफटीए सीईटीए पर हस्ताक्षर किए, जिसने भारतीय अर्थव्यवस्था के दरवाजे खोल दिए और स्वतंत्र भारत की संप्रभुता को खतरे में डाल दिया गया । यह एक सच्चाई है कि भारतीय राज्य और नौकरशाही को कॉरपोरेट शोषण के विरुद्ध बढ़ती मजदूर-किसान एकता को स्वीकार करना पड़ा, जो इस बात से स्पष्ट है कि केंद्र सरकार ने डेयरी और सेब जैसे संवेदनशील क्षेत्रों को एफटीए में शामिल करने से इंकार करने पर मजबूर होना पड़ा, भले ही उन्होंने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट—सीईटीए पर हस्ताक्षर किए हो ।

एसकेएम ने इस सीईटीए समझौते की संसदीय पुनः समीक्षा की मांग की है और इसमें शामिल सभी जनविरोधी व राष्ट्रविरोधी धाराओं को हटाने की भी मांग की है, जो घरेलू कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्र को बर्बाद कर सकती हैं । कॉर्पोरेट ताकतों को चेतावनी देने और ऐतिहासिक भारत छोड़ो आंदोलन को याद करने के लिए, एसकेएम ने किसानों से 'बहुराष्ट्रीय कंपनी भारत छोड़ो, कॉर्पोरेट्स कृषि छोड़ो' का नारा बुलंद करने और 13 अगस्त 2025 को देश भर में ट्रैक्टर / मोटर वाहन परेड आयोजित करके बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन करने और सीईटीए की प्रतियां एवं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प और प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के पुतले जलाने जैसे बड़े विरोध कार्यक्रम आयोजित करने का आह्वान किया दस केंद्रीय ट्रेड यूनियनों ने इस आह्वान को समर्थन दिया । यह विरोध देशभर में सफलतापूर्वक आयोजित हुआ और इसमें किसानों, मजदूरों और खेत मजदूरों की भारी भागीदारी रही ।

प्रधानमंत्री मोदी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस दबाव का कोई ठोस जवाब नहीं दे सके, जिसमें उन्होंने भारत द्वारा रूसी तेल की खरीद को आधार बनाकर भारतीय निर्यातों पर 50% शुल्क लगाने का आदेश दिया । मोदी ने 2017 में यह वादा किया था कि 2022 तक किसानों की आय दोगुनी कर दी जाएगी । लेकिन वास्तव में, उनकी कॉरपोरेटपक्षीय नीतियों ने उत्पादन लागत और कृषि संकट को दोगुना कर दिया । लाभकारी एमएसपी और सम्पूर्ण कर्जमाफी से इनकार, लगातार तीन बार केंद्र सरकार के बजट में 85,000 करोड़ रुपये की उर्वरक सब्सिडी में कटौती और मनरेगा के बजट में कटौती ने भारतीय कृषि की प्रतिस्पर्धात्मकता को खत्म कर दिया है । आज भारत में प्रतिदिन 31 किसान आत्महत्या कर रहे हैं । किसान परिवारों को प्रवासी मज़दूर बनकर शहरी क्षेत्रों की आरक्षित श्रमिक सेना में शामिल होने पर मज़बूर होना पड़ रहा है, जिससे मज़दूर वर्ग की मोलभाव की ताकत भी कम हो रही है ।

पूरे मज़दूर वर्ग के अधिकारों की रक्षा करने और घरेलू अर्थव्यवस्था को मजबूत, जीवंत और प्रतिस्पर्धी बनाने, जिससे वह घरेलू औद्योगिक उत्पादों को आत्मसात कर सके और वैश्विक बाजार में आगे बढ़ सके, के बजाय मोदी सरकार देश के प्राकृतिक एवं मानवीय संसाधनों को कॉरपोरेट मुनाफाखोरी की लूट की नीति पर अडिग है । मोदी सरकार एवं भाजपा-आरएसएस गठजोड़ साम्राज्यवादी शक्तियों के दबाव में काम कर रहे हैं और इसलिए वे किसानों को लाभकारी मूल्य, श्रमिकों को न्यूनतम जीवन निर्वाह योग्य मजदूरी, मेहनतकश लोगों की कर्जमुक्ति, श्रम संहिताओं की वापसी तथा गंभीर बेरोजगारी की समस्या के समाधान जैसी मांगों को स्वीकार नहीं कर रहें ।

पूरे मेहनतकश वर्ग के सामने एकमात्र रास्ता देशभर में व्यापक, दृढ़, लंबे और तीखे संघर्षों का ही है, जिसकी बुनियाद मजदूर-किसान एकता हो । 26 नवम्बर 2025 को 2020-21 के ऐतिहासिक किसान आंदोलन की 5वीं वर्षगांठ है । इस दिन एसकेएम, सभी केंद्रीय ट्रेड यूनियनों और खेत मज़दूर संगठनों के मंच ने दिल्ली व सभी राज्यों की राजधानियों में विशाल मजदूर-किसान विरोध प्रदर्शन आयोजित करने का निर्णय लिया है । इसके पूर्व 15 अगस्त से 25 नवम्बर तक तीन महीने कॉरपोरेट-सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ राष्ट्रव्यापी अभियान चलया जाएगा, जिसका उद्देश्य– राष्ट्रीय एकता एवं जन एकता को मजबूत करना है, जो मजदूर-किसान एकता और जनता, विशेषकर हिंदू-मुस्लिम एकता के दो स्तंभों पर आधारित है, जिससे विभिन्न धर्मों और आस्थाओं की धर्मनिरपेक्ष व एकता को बढ़ावा मिलेगा ।

पूरे मेहनतकश वर्ग की वर्गीय और धर्मनिरपेक्षीया एकता ही एकमात्र ताकत है, जो आरएसएस-भाजपा के नेतृत्व वाली कॉरपोरेट व सांप्रदायिक अतिवादी शक्तियों की साजिशों को पराजित कर सकती है । किसानों को बुनियादी संघर्ष के लिए तैयार करने, लाभकारी एमएसपी और कर्ज़ा माफी सहित सभी वास्तविक मांगों को हासिल करने के लिए, देश भर में मजदूर-किसान एकता की मजबूत नींव को और मजबूत करना आवश्यक है । यह समय की मांग है कि वर्ग और धर्मनिरपेक्ष एकता के संदेश को गांवों, कारखानों, कार्यस्थलों और हर मजदूर-किसान परिवार तक जमीनी स्तर तक पहुँचाया जाए । किसानों और मेहनतकश जनता को निकट भविष्य में ऐतिहासिक 2020-21 के किसान संघर्ष से भी बड़े और लंबे समय तक चलने वाले व्यापक जनसंघर्ष के लिए तैयार रहना होगा । ■

AITUC
HMS
CITU



# जुलाई 9 का नारा :

Cell : 98426 89529
நேருஜி
காதி வஸ்திராலயம்
Poomer
VESTS . BRIEFS . TRUNKS . GYM VESTS . PANTIES . DHOTIS
நேருஜி காதி

AIKM
अखिल भारतीय किसान महासभा
बिहार
अखिल भारतीय किसान महासभा बिहार
CITU
BIHAR
AIKS
AIKKMS
इंकलाब जिंदाबाद !
साम्राज्यवादी मुल्कों से मुक्त व्यापार समझौता करना बंद करो !
अमरीकी साम्राज्यवाद भारत पर लगाये गए 50% टैरिफ वापस लो !
बहुराष्ट्रीय कंपनियां भारत छोड़ो दिवस पर
देशव्यापी विरोध प्रदर्शन और ट्रंप-मोदी का पुतला दहन
13 अगस्त 2025, पटना, बिहार
आयोजक : संयुक्त किसान मोर्चा, केंद्रीय श्रमिक संगठन, खेत मजदूर संगठन, पटना

# कॉर्पोरेट भारत छोड़ो !

# बदलाव के संघर्ष के लिए जरूरी किसान–मजदूर एकता

डॉ अशोक ढवले
(अखिल भारतीय अध्यक्ष, किसान सभा)

रूस, चीन, वियतनाम, कोरिया और क्यूबा में विजयी समाजवादी क्रांतियों के इतिहास ने दिखाया है कि उनकी सफलता के लिए मज़दूर-किसान एकता बहुत ज़रूरी है। हर देश में विजयी क्रांतिकारी ताकतों को अपने देश में बुर्जुआ-ज़मींदार शासक वर्गों के खिलाफ़ के साथ-साथ साम्राज्यवाद के खिलाफ़ भी लड़ना पड़ा, जिसने इन शासक वर्गों को भरपूर समर्थन दिया था।

साम्राज्यवादी वैश्वीकरण और नवउदारवाद के नए दौर में, जब नव-फासीवादी, अंधराष्ट्रवादी, सांप्रदायिक, जातिवादी एवं नस्लवादी प्रवृत्तियाँ अपने कुरूप सिर उठा रही हैं, प्रत्येक देश में मज़दूर-किसान एकता बनाने और उसे मज़बूत करने का महत्व कई गुना बढ़ गया है। ऐसा इसलिए है क्योंकि सामंतवाद और उसके अवशेषों के अलावा, मज़दूर वर्ग और किसान आज नवउदारवाद एवं उसकी बुराइयों के और भी बड़े हमले का सामना कर रहे हैं। इसका मुक़ाबला केवल इन उत्पादक एवं शोषित वर्गों की मज़बूत एकता से ही किया जा सकता है।

भारत में मज़दूर-किसान एकता बनाने के विषय पर आने से पहले, हमें मज़दूर-किसान एकता पर लेनिन की सैद्धांतिक अवधारणा को समझना चाहिए।

## मज़दूर-किसान एकता पर लेनिन की अवधारणा

हमने पिछले साल लेनिन की पुण्यतिथि मनाई। मार्क्सवाद को लेनिन द्वारा दिए गए कई मौलिक सैद्धांतिक योगदानों में से एक समाजवादी क्रांति के लिए मज़दूर-किसान एकता की उनकी अवधारणा थी। उन्होंने न केवल सैद्धांतिक रूप से इस अवधारणा को प्रतिपादित किया; बल्कि रूस में महान अक्टूबर समाजवादी क्रांति की जीत सुनिश्चित करने के लिए इसे व्यावहारिक रूप देने के लिए भी काम किया, और उन्होंने समाजवाद के निर्माण के लिए भी उस एकता को बनाए रखा।

प्रसिद्ध हंगरी मार्क्सवादी और इतिहास एवं वर्ग चेतना के लेखक, ग्योर्गी लुकाच ने लेनिन को "सर्वहारा वर्ग की मुक्ति के संघर्ष से उत्पन्न मार्क्स के बराबर का एकमात्र सिद्धांतकार" कहा। लेनिन वास्तव में सिद्धांत और व्यवहार, आंदोलन और संगठन का एक अत्यंत दुर्लभ संयोजन थे। उनकी सर्वोच्च उपलब्धि, निश्चित रूप से, दुनिया में पहली सफल समाजवादी क्रांति का नेतृत्व करना, सभी हमलों के खिलाफ इसका बचाव करना और एक कम्युनिस्ट पार्टी का निर्माण करना था, जो इस कार्य को पूरा करेगी।

मार्क्स और एंगेल्स ने अपने समृद्ध लेखन में मुख्य रूप से यूरोप के तत्कालीन अपेक्षाकृत उन्नत औद्योगिक पूंजीवादी देशों में सर्वहारा वर्ग — मजदूर वर्ग — पर अपना ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने घोषणा की, सर्वहारा वर्ग, पूंजीवाद से समाजवाद तक एक क्रांतिकारी सामाजिक परिवर्तन के संघर्ष को नेतृत्व प्रदान करेगा। बेशक, उन्होंने किसानों के विभिन्न स्तरों की भूमिका के सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पहलुओं को ध्यान में रखा।

1871 के महान पेरिस कम्यून के अनुभव ने दिखाया कि इसकी हार का एक मुख्य कारण यह था कि फ्रांसीसी पूंजीपति वर्ग, मजदूर वर्ग के नेतृत्व वाले कम्यून के खिलाफ किसानों सहयोग प्राप्त करने में सक्षम था। यह सहयोग किसानों में यह डर पैदा करके जुटाया गया था कि बुर्जुआ संपत्ति पर मजदूर वर्ग का हमला किसानों की संपत्ति पर भी हमला करेगा।

हालांकि, मार्क्स और एंगेल्स भी किसानों की सकारात्मक क्षमता से अवगत थे। यह मार्क्स द्वारा 16 अप्रैल 1856 को एंगेल्स को लिखे गए एक पत्र में स्पष्ट रूप से सामने आता है, जहां वे कहते हैं, "जर्मनी में पूरी घटना इस बात पर निर्भर करेगी कि श्रमिक क्रांति को कुछ दूसरे संस्करण के किसा-

-न युद्ध द्वारा समर्थन मिल सकता है या नहीं । तब यह मामला शानदार होगा...” लेनिन ने बहुत पहले ही इस अवलोकन पर गंभीरता से ध्यान दिया और इसे फिर से अपने जीवन के अंतिम लेखों में से एक में दोहराया, जिसका नाम था हमारी क्रांति, जो पहली बार 30 मई 1923 को प्राव्दा में प्रकाशित हुआ था ।

26 वर्ष की छोटी उम्र में, लेनिन ने 1896 में ‘रूस में पूंजीवाद का विकास’ लिखा । उस पुस्तक में उन्होंने सर्वहारा वर्ग और किसान, दोनों की क्रांतिकारी क्षमता को रेखांकित किया । 1901 की शुरुआत में, अपने लेख द वर्कर्स पार्टी एंड द पीजेंट्री में, लेनिन ने मजदूर वर्ग के संघर्षों के क्रांतिकारी उद्देश्य की बात की और फिर लिखा, “क्या यह लक्ष्य कई लाखों किसानों के बीच वर्ग संघर्ष और राजनीतिक चेतना के बीज बोए बिना हासिल किया जा सकता है ? कोई यह न कहे कि इन बीजों को बोना असंभव है ! यह पहले से ही हजारों तरीकों से किया जा रहा है जो हमारे ध्यान और प्रभाव से बचते हैं ।” 1903 में, लेनिन ने इस विषय पर अपनी पुस्तक ‘ग्रामिण गरीबों के नाम’ के माध्यम से इस पर विस्तार से व्याख्या की, जो आज भी अपनी प्रासंगिकता बनाए रखे हुए है ।

## मजदूर-किसान एकता का दोहरा उद्देश्य

1905 की पहली रूसी क्रांति, जिसे ज़ार शासन ने कुचल दिया था, ने मूल्यवान सबक दिए थे । यह तब था जब बोल्शेविक पार्टी ने ‘सर्वहारा वर्ग और किसानों की क्रांतिकारी जनवादी सर्वहाराशाही’ का नारा दिया था । यह मार्क्सवाद में एक मूल्यवान बढ़ौतरी था ।

इस नए नारे के लिए लेनिन ने ठोस परिस्थितियों के ठोस विश्लेषण के आधार पर जो बुनियादी विश्लेषण और तर्क दिया, वह इस प्रकार था । प्रारंभिक पूंजीवाद और बाद के पूंजीवाद के बीच बहुत अंतर था । पूंजीपति वर्ग के नेतृत्व में 1789 की फ्रांसीसी क्रांति, जो प्रारंभिक पूंजीवाद का प्रतिनिधित्व करती थी, ने सामंतवाद को ध्वस्त कर दिया था और सामंती सम्पदा की भूमि को किसानों के बीच पुनर्वितरित कर दिया था । लेकिन रूस और अन्य जगहों पर उत्तर पूंजीवाद में पूंजीपति वर्ग अपनी पहले की ताकत खो चुका था, सामंतवाद पर ऐसे घातक प्रहार करने में असमर्थ था, वास्तव में सामंती व्यवस्था के साथ समझौता करने की कोशिश कर रहा और जिसने किसानों की जनवादी आकांक्षाओं को निराश किया था तथा खुद उभरते हुए मजदूर वर्ग से खतरा महसूस कर रहा था । पूंजीपति वर्ग भयभीत था कि अगर उसने सामंती संपत्ति पर हमला किया, तो इससे बुर्जुआ संपत्ति पर भी मेहनतकश लोगों द्वारा पलटवार किया जाएगा ।

ऐसी स्थिति में लेनिन ने मजदूर वर्ग के नेतृत्व में मजदूर-किसान

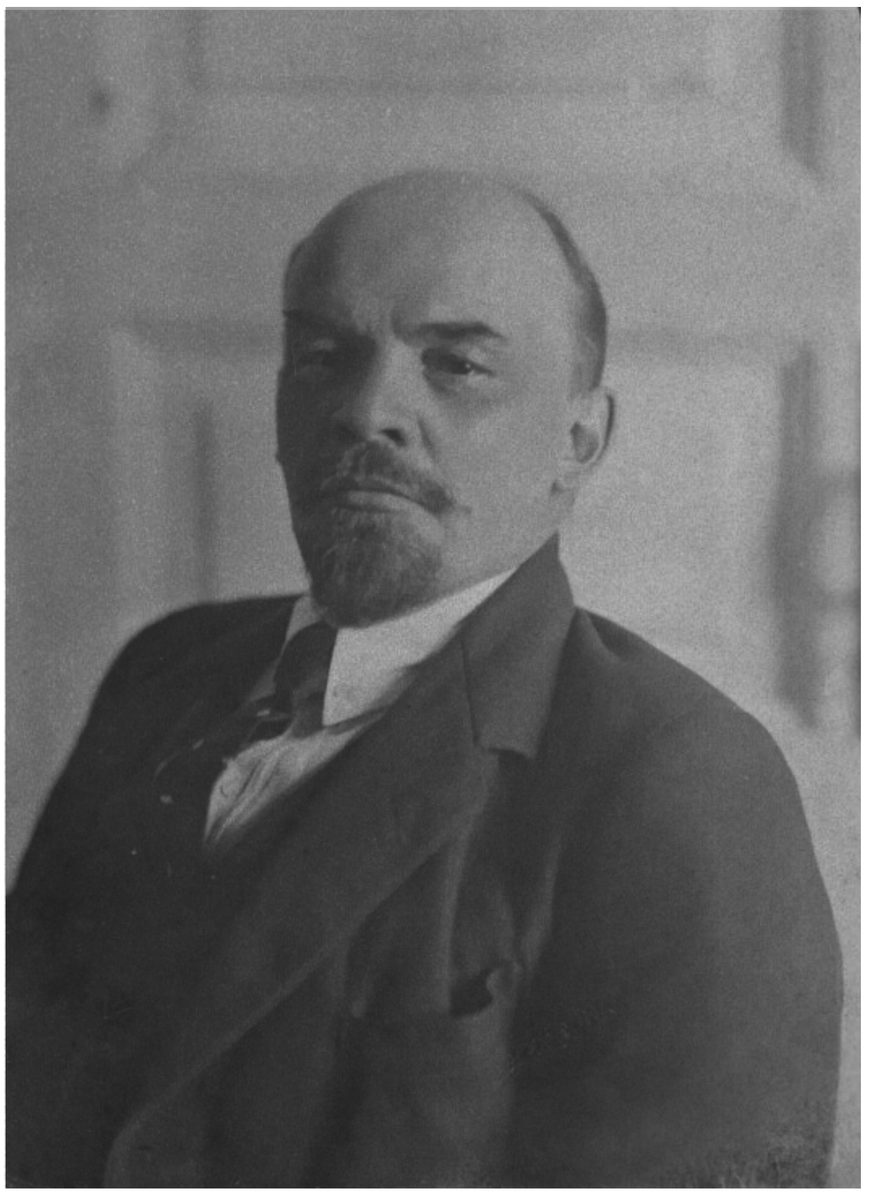

ऐसी स्थिति में लेनिन ने मजदूर वर्ग के नेतृत्व में मजदूर-किसान एकता के दोहरे उद्देश्य को सामने रखा, जो न केवल जनवादी (सामंती-विरोधी) क्रांति को पूरा करेगा, बल्कि फिर समाजवादी (पूंजीवाद-विरोधी) क्रांति की ओर भी आगे बढ़ेगा ।

लेनिन ने 1905 में लिखी अपनी प्रसिद्ध पुस्तक ‘जनवादी क्रांति में सामाजिक जनवाद की दो रणनीतियां’ में निम्नलिखित निष्कर्ष निकाला था, “सर्वहारा वर्ग को जनवादी क्रांति को पूर्णता तक ले जाना होगा, अभिजात वर्ग के प्रतिरोध को बलपूर्वक कुचलने और पूंजीपति वर्ग की अस्थिरता को पंगु बनाने के लिए किसानों के बड़े समूह को अपने साथ जोड़ना होगा । सर्वहारा वर्ग को समाजवादी क्रांति को पूरा करना होगा, आबादी के अर्ध-सर्वहारा तत्वों के बड़े समूह को अपने साथ जोड़ना होगा, ताकि पूंजीपति वर्ग के प्रतिरोध को बलपूर्वक कुचल जा सके और किसानों एवं पेटी बुर्जुआ वर्ग की अस्थिरता को पंगु बनाया जा सके ।”

मजदूर-किसान एकता को सुदृढ़ करने के आधारभूत सिद्धांत के आधार पर, लेनिन और बोल्शेविकों ने अक्टूबर क्रांति के बाद, जब वे सत्ता में थे, कई नीतिगत रुख अपनाए और व्यावहारिक कदम उठाए ।

रूसी क्रांति का प्रतिष्ठित नारा — “शांति! भूमि! रोटी!” — इस एकता को दर्शाता है । मज़दूरों, किसानों और सैनिकों की सोवियतें चुनी गईं तथा उनके प्रतिनिधि सम्मेलनों में एकत्रित हुए । अपने आखिरी लेख में, जो 2 मार्च 1923 को प्रकाशित हुआ और जिसका नाम “कम बेहतर, लेकिन बेहतर” था, जिसमें मजदूरों और किसानों के निरीक्षण के कार्यों पर चर्चा की गई, लेनिन ने लिखा, “हमें ऐसे राज्य के निर्माण की कोशिश करनी चाहिए, जिसमें मजदूरों के पास किसानों का नेतृत्व हो, जिसमें वे किसानों का विश्वास बनाए रखें, और सबसे बड़ी सावधानी बरतते हुए हमारे सामाजिक संबंधों से व्यर्थता का हर निशान हटा दें ।”

## साम्राज्यवादी वैश्वीकरण और नवीन चुनौतियाँ

लेनिन ने 1916 में इसी नाम की अपनी पुस्तक में साम्राज्यवाद का शानदार विश्लेषण किया था । आज, एक सदी से भी ज़्यादा समय के बाद, लेनिन द्वारा रेखांकित साम्राज्यवाद के मूल चरित्र — इसका शोषण, लूट, असमानताएँ, युद्ध, विनाश — और भी स्पष्ट हो गए हैं । अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय पूंजी उत्पात मचा रही है । युद्धों और अकालों में लाखों लोग मारे गए हैं । ग्लोबल वार्मिंग एवं पर्यावरण संकट के कारण हमारा ग्रह पृथ्वी स्वयं गंभीर खतरे में है ।

जैसा कि प्रभात पटनायक लिखते हैं, “तीसरी दुनिया के अधिकांश हिस्सों में क्रांति की संभावना एक मज़दूर-किसान एकता के सफल निर्माण पर निर्भर करती है । इस तरह की एकता के बिना पूंजीवाद का कोई भी क्रांतिकारी उत्थान संभव नहीं है, ठीक वैसे ही जैसे अक्टूबर क्रांति इस तरह की एकता के बिना संभव नहीं थी ।”

आज इस तरह के एकता की ज़रूरत सिर्फ़ सामंतवाद-विरोधी जनवादी क्रांति को पूरा करने के लिए ही नहीं है, बल्कि तीव्र होते कृषि संकट और छोटे उत्पादन के संकट पर काबू पाने के लिए भी जरुरी है, जिसे समकालीन वैश्वीकरण ने तीसरी दुनिया के अधिकांश हिस्सों में फैला दिया है । इसने छोटे उत्पादन के लिए राज्य के समर्थन को खत्म कर दिया है, जिसे उत्तर-औपनिवेशिक शासन ने उपनिवेशवाद-विरोधी संघर्ष के वादों के अनुरूप और इस क्षेत्र को वैश्विक रूप से गतिशील बड़े पूंजी द्वारा अतिक्रमण एवं विश्व बाजार मूल्य में उतार-चढ़ाव के संकटों के प्रति उजागर किया है ।

“चूंकि इन अर्थव्यवस्थाओं के पूंजीवादी क्षेत्रों में श्रम की मांग में वृद्धि बेहद अपर्याप्त रही है, जो कार्यबल की प्राकृतिक वृद्धि से भी कम है, इसलिए छोटे उत्पादन पर बड़ी पूंजी द्वारा किए गए इस अतिक्रमण ने लाखों कामकाजी लोगों को गंभीर संकट में डाल दिया है, जिसमें पूंजीवादी क्षेत्र में कार्यरत मजदूर भी शामिल हैं । उदाहरण के लिए भारत में पिछले तीन दशकों में चार लाख से अधिक किसानों ने आत्महत्या की है ।”

## भारत में मज़दूर-किसानों के संघर्ष की विरासत

भारत में मज़दूरों और किसानों की एकजुट कार्रवाइयों की झलक हमारे साम्राज्यवाद-विरोधी स्वतंत्रता संग्राम में कई शानदार उदाहरणों में देखने को मिलती है, साथ ही आज़ादी से पहले एवं बाद में मज़दूर वर्ग व किसानों के कई संघर्षों में भी देखी जा सकती है । उन सभी संघर्षों का वर्णन एक लेख में कर पाना मुश्किल है ।

19 जनवरी 1982 को तत्कालीन कांग्रेस की केंद्र सरकार की मज़दूर-विरोधी, किसान-विरोधी और जन-विरोधी नीतियों के ख़िलाफ़ मज़दूर वर्ग द्वारा एक विशाल संयुक्त राष्ट्रव्यापी आम हड़ताल सफलतापूर्वक आयोजित की गई थी । इसने न केवल मज़दूरों की माँगों, बल्कि किसानों और खेत मज़दूरों की भी माँगों को उठाया, जो एकजुटता के लिए बड़ी संख्या में सड़कों पर उतर आए थे । उत्तर प्रदेश में हड़ताल रैलियों पर पुलिस द्वारा क्रूर दमन करते हुए गोली भी चलाई, जिसमें दो किसान भोला पासवान और उनके छोटे भाई लाल चंद पासवान की मौत हो गई थी, साथ ही तमिलनाडु में तीन खेत मज़दूर अंजन, नागूरन और गुणशेखरन मारे गए थे । देश के विभिन्न हिस्सों में किए गए दमन में भी अनेकों लोग

घायल हुए थे ।

एक दिन पहले, 18 जनवरी 1982 को, मुंबई कपड़ा मज़दूरों की महान हड़ताल शुरू हुई थी, जिसमें शहर की सभी कपड़ा मिलों के ढाई लाख मज़दूर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए थे और यह एक साल से ज़्यादा चली थी । 19 जनवरी को अखिल भारतीय कार्रवाई ने भी मुंबई कपड़ा मज़दूरों की हड़ताल के साथ एकजुटता दिखाई और समर्थन दिया ।

बाद के वर्षों में कई अन्य अखिल भारतीय हड़तालें हुईं, जिनमें मज़दूर वर्ग और किसानों ने एक-दूसरे की माँगों को उठाया और एक-दूसरे को समर्थन दिया ।

## मोदी शासन के ख़िलाफ़ तेज़ होते संयुक्त संघर्ष

2014 में मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा-आरएसएस सरकार के सत्ता में आने के साथ ही एक नया अध्याय शुरू हुआ । 1991 में नरसिम्हा राव नेतृत्व वाली कांग्रेस की केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई और तब से सभी केंद्र सरकारों द्वारा जारी रखी गई नव-उदारवादी नीतियाँ नरेंद्र मोदी शासन के तहत अपने चरम पर पहुँच गईं । बड़ी बेशर्मी से कॉरपोरेटपक्षीय और नवउदारवादी नीतियों में सांप्रदायिकता, जातिवाद, अधिनायकवाद और नव-फासीवाद का खतरनाक मिश्रण जुड़ गया । स्वाभाविक रूप से, मजदूरों और किसानों का प्रतिरोध उसी अनुपात में बढ़ा । 2015 में, भूमि अधिकार आंदोलन (बीएए) की संयुक्त छत्री में किसानों, खेत मजदूरों, आदिवासियों और दलितों के कई संगठनों द्वारा संयुक्त रूप से किए गए एक बड़े संघर्ष ने मोदी शासन को भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 2013 में संशोधन करने वाले प्रतिक्रियावादी कॉरपोरेटपरस्त अध्यादेश को वापस लेने के लिए मजबूर किया । 2017-18 में किसान सभा के नेतृत्व में हजारों किसानों के बड़े संघर्ष किये, जैसे कि राजस्थान में 10-दिवसीय महापड़ाव व 3-दिवसीय राज्यव्यापी रास्ता रोको और महाराष्ट्र में 11-दिवसीय राज्यव्यापी किसान हड़ताल तथा उसके बाद 7-दिवसीय किसान लांग मार्च न केवल अपनी मांगों को हासिल करने में सफल रहे, बल्कि उन्होंने पूरे भारत में किसानों व आम जनता का ध्यान भी अपनी ओर आकर्षित किया । इसी पृष्ठभूमि में तीन वर्ग संगठनों सीटू, किसान सभा और खेत मजदूर यूनियन ने एक साथ आकर 2018 में दो बड़ी संयुक्त राष्ट्रव्यापी जन कार्रवाइयों का आयोजन किया । पहली 9 अगस्त को अनेकों राज्यों में सैकड़ों केंद्रों पर फैला 5 लाख की भागेदारी वाला जेल भरो संघर्ष था । और दूसरा 5 सितंबर को दिल्ली में 2 लाख की राष्ट्रव्यापी दमदार मजदूर-किसान रैली थी ।

इन दो विशाल एकजुट कार्रवाइयों ने मजदूर वर्ग और किसानों को उत्साहित किया। और फिर, सितंबर 2020 में, कोविड महामारी के बीच, मोदी शासन ने सभी संसदीय विरोधो को कुचलते हुए संसद के माध्यम से तीन कृषि कानूनों और चार श्रम संहिताओं को पारित किया। यह किसान और मजदूर वर्ग पर एक अभूतपूर्व हमला था । मनरेगा के लिए धन की लगातार कटौती करके, सरकार पहले से ही खेत मजदूरों पर हमला कर रही थी। इन कदमों के खिलाफ मजदूरो-किसानों का एकजुट और तीव्र प्रतिरोध अपरिहार्य था । वह प्रतिरोध 26 नवंबर, 2020 को शुरू हुआ, जिस दिन संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान को अपनाया गया था। उस दिन, केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के संयुक्त मंच (सीटीयू) ने अखिल भारतीय आम हड़ताल का आह्वान किया, जिसमें लाखों मजदूरों ने न केवल काम बंद रखा, बल्कि सड़कों पर भी उतरे । उसी दिन, कई किसान संगठनों के एक साथ आने से बने संयुक्त किसान मोर्चा (एसकेएम) ने दिल्ली कूच का आह्वान किया था । पुलिस द्वारा पानी की बौछारों, आंसू गैस के गोले और लाठीचार्ज का सामना करते हुए, दिल्ली से सटे राज्यों के लाखों किसान राजधानी के द्वार पर पहुँच गए और 11 दिसंबर, 2021 तक एक साल, 15 दिनों की रिकॉर्ड अवधि के लिए कई राष्ट्रीय राजमार्गों पर किसानो का पड़ाव चला । यह संघर्ष पूरे देश में फैल गया, जिसमें आगे कई राज्यों में हजारों किसानों और मजदूरों की एकजुटता रैलियां हुईं । इस संघर्ष में 700 से अधिक किसान शहीद हुए । आखिरकार एक साल बाद 29 नवंबर 2021 को मोदी सरकार को तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने के लिए मजबूर होना पड़ा । यह एक ऐतिहासिक जीत थी ।

इस संघर्ष का एक बड़ा परिणाम यह हुआ कि इसने किसान और मजदूर वर्ग को एक-दूसरे के काफी करीब ला दिया । एसकेएम और सीटीयू के बीच समन्वय बढ़ा । सीटीयू के नेतृत्व में मजदूर वर्ग ने एसकेएम द्वारा दिए गए सभी कार्रवाई व आह्वानों को एकजुटता और समर्थन दिया । बदले में, एसकेएम ने सीटीयू द्वारा दिए गए विभिन्न कार्रवाई आह्वानों के साथ एकजुटता दिखाई । इन सभी संयुक्त कार्रवाइयों में किसान सभा, सीटू और खेत मजदूर यूनियन की देशव्यापी लामबंदी निस्संदेह सबसे बड़ी थी । 5 सितंबर 2022 को नई दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में सीटू, किसान सभा और खेत मजदूर यूनियन का संयुक्त राष्ट्रीय अधिवेशन आयोजित किया गया । इसमें 5,000 से अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया । राज्य स्तरीय संयुक्त अधिवेशन आयोजित किए गए, जिसमें तीनों मोर्चों के नेतृत्व ने भाग लिया । कई राज्यों में बहुत गहनता से संयुक्त अभियान चलाया गया और 5 अप्रैल 2023 को नई दिल्ली के रामलीला मैदान में मजदूर-किसान संघर्ष रैली का आयोजन किया गया, जिसमें देश भर से मजदूरों व किसानो ने भागीदारी की । 1 अगस्त से 14 अगस्त 2022 तक पूरे देश में एक पखवाड़ा भर का अभियान चलाया गया ।

संयुक्त मजदूर किसान कार्रवाइयों के दायरे को और भी व्यापक बनाते हुए, 24 अगस्त 2023 को सी.टी.यू. एवं एस.के.एम. ने मिलकर नई दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में एक और प्रभावशाली अखिल भारतीय

मजदूर-किसान अधिवेशन आयोजित किया । इस अधिवेशन के  के आह्वान के अनुसार, सी.टी.यू. और एस.के.एम. द्वारा 26-28 नवंबर 2023 तक सभी राज्यों की राजधानियों में राजभवनों के सामने तीन दिवसीय महापड़ाव आयोजित किए गए । इन कार्रवाइयों में लाखों किसानों और मजदूरों ने हिस्सा लिया । इनका बड़ा राजनीतिक प्रभाव पड़ा ।

16 फरवरी 2024 को सी.टी.यू. और एस.के.एम. ने संयुक्त रूप से अखिल भारतीय औद्योगिक हड़ताल और ग्रामीण बंद का आह्वान किया । विरोध कार्रवाइयों में लगभग 2 लाख लोगों ने भागेदारी की । 14 मार्च, 2024 को नई दिल्ली के रामलीला मैदान में एक बड़ी किसान-मजदूर महापंचायत आयोजित कर प्रभावशाली भागीदारी देखी गई और आगामी लोकसभा चुनावों में भाजपा को बेनकाब करने, उसका विरोध करने और उसे दंडित करने के आह्वान के साथ एक राजनीतिक प्रभाव पैदा किया ।

## मजदूर-किसान गठबंधन बनाना: एक कठिन कार्य

भारत में मजदूर-किसान गठबंधन बनाना एक कठिन कार्य है ।

सबसे पहले, इसकी शुरुआत सांझे वर्ग और राजनीतिक शत्रु के खिलाफ एकजुट मजदूर-किसान कार्रवाइयों से करनी होगी, जैसा कि पहले ही हो चुकी है । लेकिन यह केवल एक छोटी सी शुरुआत है । बहुत बड़े एकजुट संघर्ष करने होंगे । हमारे संघर्षों में आने वाले लोगों की चेतना और राजनीतिकरण सबसे महत्वपूर्ण है । हमारे लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमें बहुत अधिक व्यापक और गहन आंदोलनकारी, राजनीतिक, वैचारिक एवं संगठनात्मक कदम उठाने होंगे ।

दूसरा, मजदूरों व किसानों के संयुक्त संघर्षों के निर्माण पर ध्यान केंद्रित करते हुए, स्वतंत्र संघर्षों को आगे बढ़ाने, अपने संगठन को मजबूत करने और अपनी स्वतंत्र ताकत को व्यापक रूप से बढ़ाने का मुख्य महत्व हमारी सर्वोच्च प्राथमिकताओं में होना चाहिए । कोई भी स्थिर गठबंधन एक मजबूत क्रांतिकारी धुरी के बिना प्रभावी रूप से नहीं चल सकता है जो इसे एक साथ रखता है । केरल, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा में हमारे वर्तमान और पिछले अनुभव इसी बात को साबित करते हैं ।

तीसरा, मजदूर किसान एकता बनाने का मतलब भारत में वामपंथी और जनवादी ताकतों की एकता का धैर्यपूर्वक निर्माण करना तथा वर्ग शक्तियों के सहसंबंध को मौलिक रूप से बदलना भी है । ऐसी ताकतों को पहले प्रत्येक राज्य में पहचाना जाना चाहिए और उन्हें एक साथ लाने के लिए ठोस प्रयास किए जाने चाहिए । यहां फिर से, यह याद रखना चाहिए कि हमारी स्वतंत्र ताकत एक निर्णायक कारक होगी ।

भाजपा-आरएसएस के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने अपने वर्ग चरित्र के अनुरूप अब मजदूर वर्ग और किसानों पर नए हमले शुरू करने का फैसला किया है । इसने अप्रैल 2025 से मजदूर विरोधी एवं कॉरपोरेटपक्षीय श्रम संहिताओं को लागू करने का फैसला किया है । इसने कृषि विपणन पर एक राष्ट्रीय नीति ढांचे का मसौदा प्रस्तावित किया है, जो पिछले दरवाजे से किसान विरोधी और कॉरपोरेट परस्त कृषि कानूनों को छिपा कर लाने के अलावा और कुछ नहीं है । अपने शासन के पिछले 11 वर्षों में मोदी सरकार का पूरा प्रक्षेपवक्र मेहनतकश लोगों के सभी वर्गों की कीमत पर घरेलू और विदेशी दोनों तरह के कॉरपोरेट्स को समृद्ध व बड़ा बनाने के अलावा कुछ नहीं रहा ।

वर्षों से लंबित लोगों के अन्य ज्वलंत मुद्दे हैं, मूल्य वृद्धि, बेरोजगारी, निजीकरण, लाभकारी एमएसपी की कानूनी गारंटी व सुनिश्चित सरकारी खरीद, कर्ज माफी, फसल बीमा, मनरेगा का विस्तार, खाद्य सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य और सभी के लिए आवास, पेंशन बढ़ोतरी, भूमि स्वामित्व, भूमि अधिग्रहण, आदि । इन मुद्दों के समाधान के लिए केवल व्यापक और विशाल मजदूर-किसान संघर्ष ही आगे का रास्ता है ।

लेकिन यह स्पष्ट रूप से कहा जाना चाहिए कि ये सभी मूलतः आर्थिक मुद्दे हैं । वे निस्संदेह महत्वपूर्ण हैं और उन्हें अत्यंत गंभीरता से लिया जाना चाहिए । लेकिन यह रेखांकित किया जाना चाहिए कि समाज में आमूलचूल परिवर्तन करने के लिए मजदूर किसान एकता का निर्माण करना मूलतः एक राजनीतिक परियोजना है, न कि आर्थिक । और इसलिए, हमारे संघर्ष को जनतांत्रिक, धर्मनिरपेक्षता, सामाजिक न्याय एवं संविधान की रक्षा के राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण मुद्दों तक बढ़ाया जाना चाहिए । हमें वर्तमान और तात्कालिक संदर्भ में भारत की सभी धर्मनिरपेक्ष ताकतों को एकजुट करके भाजपा-आरएसएस के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार एवं उनकी राज्य सरकारों को करारी शिकस्त देने का लक्ष्य रखना चाहिए । वर्तमान कार्यों का निर्वहन करते हुए, हमारा संघर्ष वर्तमान भारतीय परिस्थितियों में समाजवाद की प्राप्ति की ओर बढ़ना चाहिए । आइए हम लेनिन के सपनों की मजदूर किसान एकता का निर्माण करने के लिए अपने सभी प्रयासों को केंद्रित करना होगा, जो अकेले ही हमारे देश में वास्तव में क्रांतिकारी सामा--जिक परिवर्तन हासिल करने में सफल हो सकता है । ■

# वी एस अच्युतानंदन: संघर्षों की भट्टी तपकर निकले कुंदन


डॉ वीजू कृष्णन
(अखिल भारतीय महासचिव, किसान सभा)

किसी ऐसे क्रांतिकारी के जीवन का वर्णन करना आसान कार्य नहीं है, जिसने लगभग एक सदी तक एक राष्ट्र के राजनीतिक जीवन में सक्रिय भागीदारी निभाई हो। निस्संदेह, कोई भी व्यक्ति न तो अपने जन्म से पहले के अनंत समय का उपयोग कर सकता है और न ही मृत्यु के बाद के अनंत समय का। परंतु जन्म और मृत्यु के बीच के सीमित समय का उपयोग कर जनसाधारण के जीवन पर अमिट प्रभाव छोड़ने का दुर्लभ कार्य कॉमरेड वी.एस. अच्युतानंदन ने किया। कॉमरेड वी.एस. अच्युतानंदन, जिन्हें उनके साथी, मित्र और राजनीतिक विरोधी 'वी. एस.' के नाम से जानते थे, का निधन 21 जुलाई 2025 को हो गया। उन्होंने साढ़े आठ दशक तक राजनीतिक रूप से सक्रिय जीवन जिया। उनके राजनीतिक हस्तक्षेपों का विस्तार पिछली सदी की कई बड़ी घटनाओं तक फैला हुआ है — सामंती जमींदारी प्रथा, जातिगत उत्पीड़न, ब्रिटिश साम्राज्यवाद, निरंकुश राजतंत्र, पूंजीवादी शोषण, मजदूर वर्ग पर शासक वर्ग का हमला, राज्य दमन, आपातकालीन तानाशाही, फिलिस्तीन में कट्टरपंथी यहूदियों द्वारा नरसंहार, सांप्रदायिक फासीवाद, नवउदारवादी युग के धनकुबेर का प्रभुत्व, महिलाओं के खिलाफ हिंसा, अल्पसंख्यकों पर हमलों, सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों का दमन, पर्यावरण प्रदुषण, एलजीबीटीक्यू समुदाय पर हमले, माइक्रोसॉफ्ट जैसे मालिकाना सॉफ्टवेयर के एकाधिकार, कोका कोला,जहरीले कीटनाशक एंडोसल्फान व रियल एस्टेट माफिया के अतिक्रमण, अवैध खनन — और न जाने कितने अन्य मुद्दों पर उन्होंने संघर्ष किये थे। लगातार सड़कों पर संघर्ष करते हुए, उस व्यक्ति की अटूट भावना, उस सामूहिकता से मजबूत हुई थी जिससे वह जीवन भर जुड़ा रहा। उसकी राजनीति केवल विरोध के लिए विरोध करने की नहीं थी, बल्कि उन संघर्षों से रचनात्मक समाधान निकले जो आज केरल द्वारा प्रस्तुत वाम विकल्प का हिस्सा बन चुके हैं। दिवंगत कॉमरेड को श्रद्धांजलि देने उमड़े लाखों लोगों की भीड़ इस बात का प्रमाण है कि उनके हस्तक्षेप कितने व्यापक थे और उन्होंने जनसाधारण के जीवन को कितनी गहराई से छुआ।

वी. एस. का जन्म 1923 में केरल के आलप्पुझा में एक गरीब किसान परिवार में हुआ था। जब वे केवल 4 वर्ष के थे तब उनकी माता का निधन हो गया और 11 वर्ष की आयु में उन्होंने अपने पिता को खो दिया। इसी कारण उन्हें केवल सातवीं कक्षा तक पढ़ाई कर शिक्षा छोड़नी पड़ी। हालात ने उन्हें पहले एक दर्जी की दुकान में काम करने को मजबूर किया और फिर अस्पिनवाल कंपनी में नारियल रेशा श्रमिक के रूप में काम करना पड़ा। उनका बचपन महामंदी के आर्थिक संकटों से त्रस्त था — जिनमें भूख के दिन भी शामिल थे। बेरोज़गारी, जमींदारों और पूंजीपतियों द्वारा श्रमिकों व किसानों का तीव्र शोषण, व्यापारी वर्ग द्वारा जमाखोरी व कालाबाज़ारी के कारण उत्पन्न खाद्य संकट तथा महंगाई — इन सबने आम जन के जीवन को नर्क बना दिया था। साथ ही, दलितों और पिछड़ी जातियों पर सामाजिक अत्याचार भी अत्यंत कष्टकारी था। बचपन से ही जीविका के लिए संघर्ष, भूख से जूझना और जातिगत उत्पीड़न के खिलाफ प्रतिरोध उनके जीवन के अंग बन गए। इन्ही जीवनानुभवों ने उन्हें हमेशा मेहनतकश वर्गों और उनके संघर्ष से जोड़े रखा।

आलप्पुझा त्रावणकोर में आधुनिक श्रमिक आंदोलन का केंद्र था। यहीं वी. एस. ने नारियल रेशा श्रमिकों को उनके अधिकारों के लिए संगठित किया और 1940 में उन्हें उन्नत सर्वहारा वर्ग के तत्वों ने कम्युनिस्ट पार्टी की ओर आकर्षित किया। पी. कृष्णपिल्लै, जो आलप्पुझा से ही थे और केरल में कम्युनिस्ट पार्टी के पहले सचिव थे, ने वी. एस. की संगठनात्मक क्षमताओं एवं श्रमिकों के मुद्दों से निपटने की योग्यता को पहचाना तथा उन्हें बड़ी ज़िम्मेदारियों के लिए तैयार किया। उन्हें कुट्टनाड भेजा गया, जहां उन्होंने मुख्यतः दलित और पिछड़ी जातियों के खेत मजदूरों को संगठित किया। यहीं, बहुत कम औपचारिक शिक्षा प्राप्त करने वाले वी. एस. ने अपने राजनीतिक और संगठनात्मक कौशल को निखारा और एक प्रभावशाली शिक्षक, आंदोलनकर्ता व संगठनकर्ता के रूप में उभरे। उन्होंने मार्क्सवादी-लेनिनवादी सिद्धांतों को ठोस रूप से लागू करते हुए सामाजिक और आर्थिक रूप से उत्पीड़ित खेत मजदूरों व गरीब किसानों को सामंती जमींदारों, दमनकारी राज्य एवं ब्रिटिश साम्राज्यवाद के खिलाफ संगठित किया। यह उल्लेखनीय है कि भारत में कम्युनिस्ट आंदोलन के नेताओं में, विशेष रूप से सी.पी.आई (एम) के नेताओं में, पहले पोलितब्यूरो के नवरत्नों से लेकर हाल के नेताओं तक, जो हमारे बीच अब नहीं रही है — उनमें ई. बालानंदन और वी. एस. ही ऐसे नेता थे जो मजदूर वर्ग से उभरे थे।

1946 में पुनप्रा और वायलार में हुए क्रांतिकारी जनउभार और उसमें वी. एस. की भूमिका आज किंवदंती बन चुकी है। त्रावणकोर में निरंकुश राजशाही और दीवान सी. पी. रामास्वामी अय्यर द्वारा भारतीय संघ से बाहर एक अमेरिकी मॉडल पर आधारित स्वतंत्र राष्ट्र बनाने के प्रस्ताव के खिलाफ मजदूरों और किसानों के जनविद्रोह के वह मुख्य नेताओं में से एक थे। कम्युनिस्ट पार्टी ने नारा दिया था — "अमेरिकन मॉडल को अरब सागर में फेंको !" इस विद्रोह को बर्बर दमन का सामना करना पड़ा, जिसमें कई लोग शहीद हुए, लेकिन इसने जनमानस की कल्पना को झकझोर दिया। इससे मज़दूरों और किसानों के बीच वर्ग चेतना का विकास हुआ, उनके बीच एकता की आवश्यकता स्पष्ट हुई और राज्य में वामपंथी राजनीति के उदय के वैचारिक आधार को मजबूती मिली। इस आंदोलन ने निरंकुश राजशाही को समाप्त करने की प्रक्रिया की नींव रखी और बाद में एकीकृत भाषाई राज्य केरल का निर्माण संभव हुआ। साम्राज्यवाद और राजशाही के विरुद्ध मजदूरों के अधिकारों और भूमि अधिकारों के लिए वर्ग संघर्षों के आधार पर कम्युनिस्ट पार्टी का विस्तार, कयूर, करिवेल्लूर और पुन्नप्रा-वायलार जैसे अनेक संघर्षो से उत्पन्न आत्मविश्वास ने 1957 में केरल के पहले चुनावों में कम्युनिस्ट पार्टी की चुनावी जीत में अहम भूमिका निभाई।

वी. एस. को लंबे समय तक भूमिगत रहना पड़ा, उन्हें कई बार गिरफ़्तार किया गया और यातनाएं दी गईं। पनप्रा-वायलार संघर्ष के बाद पुलिस हिरासत में उन्हें बर्बर यातना दी गई, संगीनों से घायल कर मृत समझा पुलिस ने उनके शव को जंगल में फेंकने की योजना बनाई, लेकिन एक मामूली चोर ने उनमें जीवन के संकेत देखे यह जानकारी दी वह जीवित है, जिससे उन्हें अस्पताल ले जाया गया और वे फिर सक्रिय जीवन में लौटे। आपातकाल लगने के तीन महीने बाद वी. एस. को गिरफ़्तार किया गया और उस पूरी अवधि वे जेल में ही रहे। पुलिस हिरासत में मिली क्रूर यातना ने उन्हें सत्ताधारी वर्ग द्वारा मेहनतकशों, विशेषकर ग्रामीण सर्वहारा पर होने वाले दमन के प्रति अत्यधिक संवेदनशील बना दिया। उन्होंने अपने पूरे राजनीतिक जीवन में राज्य हिंसा का डटकर विरोध किया।

1956 में वे संयुक्त कम्युनिस्ट पार्टी की राज्य समिति में चुने गए और 1958 में राष्ट्रीय परिषद के सदस्य बने। वे संयुक्त कम्युनिस्ट पार्टी उन 32 सदस्यों में से अंतिम जीवित व्यक्ति थे जिन्होंने अलग होकर भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) की स्थापना की थी। वे 1980 से 1991 तक पार्टी की केरल राज्य समिति के सचिव रहे। 1964 में केंद्रीय समिति के सदस्य बने और 1985 में पोलितब्यूरो का हिस्सा हुए। 2022 में उम्र के कारण केंद्रीय समिति से विशेष आमंत्रित सदस्य से कार्यमुक्त हुए। उन्हें केरल विधानसभा के लिए सात बार चुना गया। तीन बार नेता प्रतिपक्ष के रूप में उन्होंने पर्यावरण संरक्षण, लैंगिक समानता, आर्द्रभूमि संरक्षण, जनजातीय अधिकार, नर्सों की बेहतर तनख्वाह, ट्रांसजेंडर अधिकार और फ्री सॉफ्टवेयर जैसे मुद्दों को मजबूती से उठाया। 2006 से 2011 तक वे केरल मुख्यमंत्री रहे और इस दौरान मजदूर वर्ग के हित में कई विधायी व प्रशासनिक कदम उठाए। वे मुख्यमंत्री पद को सत्ता का केंद्र नहीं, बल्कि संघर्ष का औजार मानते थे।

वे क्रांतिकारी किसान आंदोलन से गहराई से जुड़े रहे। उनके लेख

और भाषण इस बात को विस्तार से बताते हैं कि नव-उपनिवेशवाद किस तरह से किसान वर्ग को लूटता है । अखिल भारतीय किसान सभा की स्वर्ण जयंती श्रृंखला में पनप्रा-वायलार पर उनका लेखन यह स्पष्ट करता है कि शासक वर्ग किस प्रकार साम्राज्यवाद से समझौता करता हैं । कांग्रेस सरकार द्वारा नवउदारवादी नीतियों के लागू किए जाने के समय उन्होंने केरल में मजदूरों और किसानों का नेतृत्व किया । कृषि क्षेत्र में 'मुक्त व्यापार' की नीतियों पर उनकी तीखी आलोचना केरल की राजनीतिक अर्थव्यवस्था में दूरदर्शिता से भरी हुई थी । भारत-आसियान मुक्त व्यापार समझौते के विरुद्ध उनका हस्तक्षेप आज विशेष उल्लेखनीय है, जब भारत एक के बाद एक असमान मुक्त व्यापार समझौतों में प्रवेश कर रहा है । उन्होंने तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से मुलाकात कर राज्यों के संघीय अधिकारों की बात की और असमान समझौते का विरोध किया । उन्होंने साफ-साफ चेतावनी दी कि इससे कीमतों में गिरावट आएगी और केरल के किसानों को भारी नुकसान, कर्ज़ और तबाही का सामना करना पड़ेगा । वे पारिस्थितिकीय मुद्दों को लेकर गहराई से चिंतित थे और लगातार कॉरपोरेट लालच द्वारा प्रकृति को वस्तु में बदलने की प्रवृत्ति की आलोचना करते रहे । 1990 के दशक के उत्तरार्ध में महिलाओं पर हो रहे पितृसत्तात्मक हमलों के खिलाफ उन्होंने अनवरत आन्दोलन किया ।

मुख्यमंत्री के रूप में उनके कार्यकाल में कृषि अर्थव्यवस्था में कई रचनात्मक हस्तक्षेप हुए । कांग्रेस और बीजेपी की केंद्र सरकारों द्वारा लागू की गई हिंसात्मक उदारीकरण नीतियों से किसानों में भारी संकट और आत्महत्याओं की स्थिति बनी । वी. एस. के नेतृत्व वाली वाम जनवादी मोर्चा (एल. डी. एफ.) सरकार ने ऋण राहत आयोग की स्थापना की, जिससे किसानों को व्यापक राहत मिली । यह देश भर के किसानों के आंदोलन का आदर्श बन गया । उनके कार्यकाल में धान की खेती के लिए देश में सर्वोत्तम न्यूनतम समर्थन मूल्य की नीति अपनाई गई । प्रो. प्रभात पटनायक राज्य योजना बोर्ड के उपाध्यक्ष थे, प्रो. उत्सा पटनायक कृषि समिति की अध्यक्ष थीं और मैं स्वयं उस समिति का सदस्य था, जिसने धान पर केंद्र सरकार द्वारा घोषित एमएसपी के अतिरिक्त 400 रुपये / क्विंटल प्रोत्साहन देने की सिफारिश की । यह परंपरा आज भी एलडीएफ सरकार द्वारा जारी है जो वर्तमान में 2832 रुपये / क्विंटल दे रही है जबकि केंद्र का एमएसपी केवल 2369 रुपये / क्विंटल है । धान और आर्द्रभूमियों के परिवर्तन के ख़िलाफ़ कानून भी उनके कार्यकाल में ही पारित हुआ था । उनके प्रशासनिक कदम और वैचारिक संघर्षों ने नवउदारवाद की दिवालियापन को उजागर कर दिया । सहकारिता आंदोलन के ताउम्र संगठनकर्ता के रूप में, अपने अंतिम वर्षों में उन्होंने बड़े कॉरपोरेट्स द्वारा किसानों के शोषण के खिलाफ सहकारिताओं को पुनर्गठित करने की ज़रूरत पर गहराई से लिखा ।

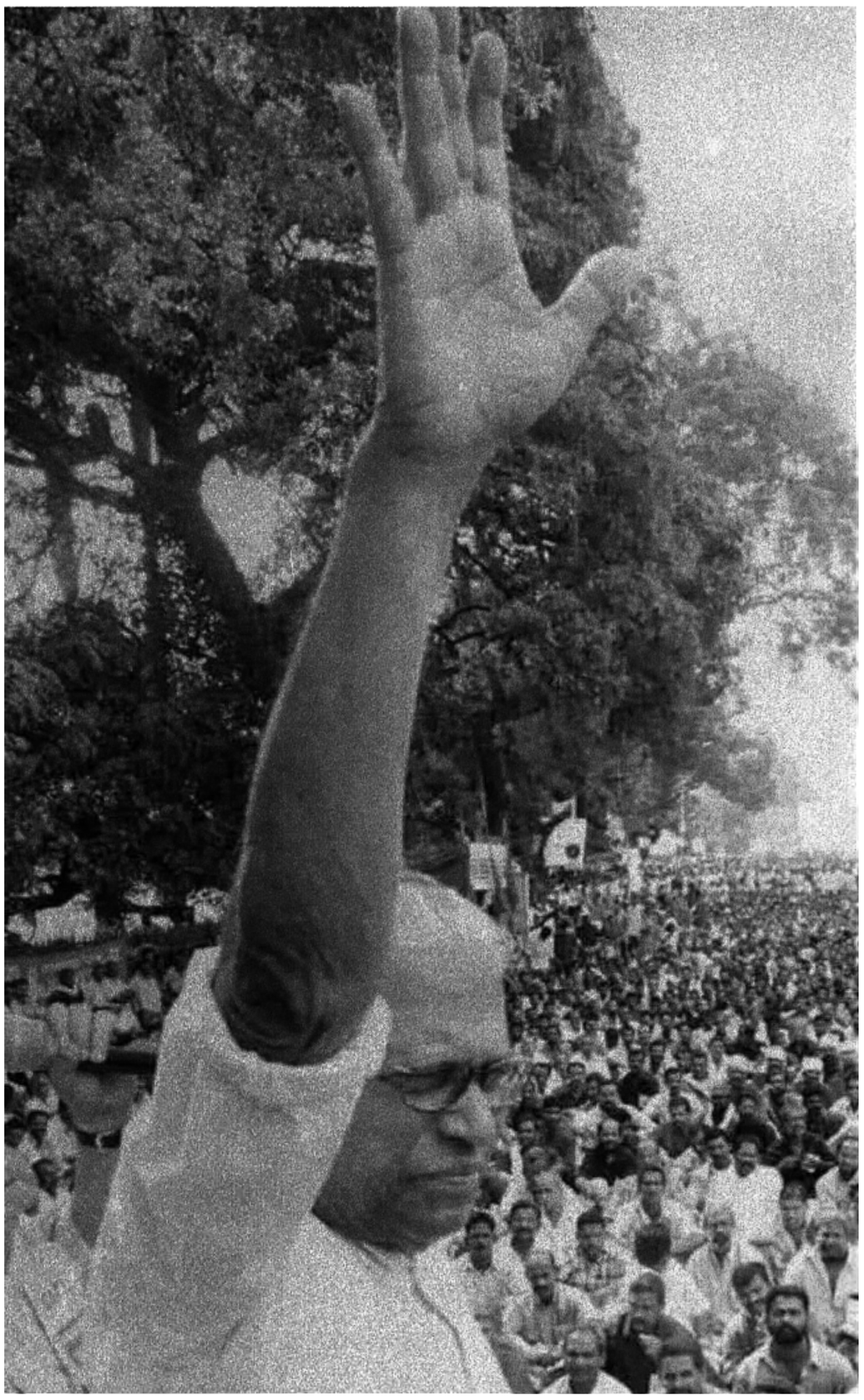

उनके निधन से मेहनतकश वर्गों ने अपना सच्चा हमदर्द खो दिया है और वी. एस. द्वारा छोड़े गए खाली स्थान को भरना निस्संदेह एक कठिन कार्य है । उनके साथ अपने लंबे जुड़ाव की अनेक स्मृतियाँ मेरे मन में हैं — बचपन में उनकी भाषण की शैली से चकित होकर उनका भाषण सुनना, 18वें पार्टी कांग्रेस में वालंटियर बनना, 2006 में वायनाड में चुनाव प्रचार में हिस्सा लेना, कोझीकोड पार्टी कांग्रेस और उसके बाद की कांग्रेसों में उनसे संवाद, पार्टी की केंद्रीय समिति में सहसदस्य के रूप में साथ रहना और भी बहुत कुछ । उनके जीवनकाल और निधन के बाद तीन दिनों तक — जब तक उन्हें पनप्रा-वायलार स्मारक पर अग्नि को समर्पित किया गया, युवा और बुजुर्गों द्वारा दिखाया गया प्यार व सम्मान मैं स्वयं देख चुका हूँ । मेहनतकशों की मुक्ति के प्रति उनका संकल्प, कॉरपोरेट, सांप्रदायिक और फासीवादी ताकतों के ख़िलाफ़ उनका अडिग विरोध हमेशा प्रेरणा देता रहेगा । केरल की सड़कों पर गूंजता रहा नारा — 'हमारी आंखें और हमारा दिल — वी.एस.; कौन कहता है कि वे मर गए? वे हमारे भीतर जिंदा हैं!' वी.एस. की विरासत जीवित है ! ■

# कॉमरेड वी.एस. अच्युतानंदन : एक कम्युनिस्ट का महाकाव्यात्मक जीवन

निधीश जे. विलट्ट
(सीकेसी सदस्य, किसान सभा)

अपने हाई स्कूल के दिनों में मैंने प्रसिद्ध मलयालम लेखक थकाझी शिवशंकर पिल्लई का क्लासिक उपन्यास 'रंडीदंगाझी' पढ़ा था, जो मुझे अच्छी तरह से याद है। इस उपन्यास में मुख्यतः दलित खेतिहर मज़दूरों और गरीब बंटाईदारों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति और केरल के धान के कटोरे के रूप में प्रसिद्ध अलपुझा के कुट्टनाड में कम्युनिस्टों द्वारा आयोजित साम्राज्यवाद-विरोधी, ज़मींदारी-विरोधी प्रतिरोध का चित्रण किया गया है। यह उपन्यास मुख्यतः 1940 के दशक के कृषि संबंधों को दर्शाता है। मेरी पीढ़ी के छात्रों के लिए, 'रंडीदंगाझी' में चित्रित ज़मींदारों द्वारा मेहनतकश लोगों पर शोषण और हिंसा के चरम रूप, उदाहरण के लिए : खेतिहर मज़दूरों और गरीब किसानों पर हृदयविदारक और सामान्यीकृत यौन हिंसा का मामला, अकल्पनीय थे। जब मैंने 1999 में यह उपन्यास पढ़ा था, तब केरल में वर्गीय सहसंबंध इतने बदल चुके थे कि उपन्यास में वर्णित घटनाएँ हमें कहीं और की लग रही थीं। सामाजिक संबंधों में यह युगांतकारी बदलाव कम्युनिस्टों द्वारा 'कृषि क्रांति' को आगे बढ़ाने के लिए किए गए अथक मेहनत का परिणाम था।

5 दिसंबर 1922 को कम्युनिस्ट इंटरनेशनल की चौथी कांग्रेस में, पूर्वी क्षेत्र के सवालों पर आयोग ने 'पूर्वी क्षेत्र के सवालों पर शोध' शीर्षक से एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव का मसौदा तैयार किया था। लेनिन की राजनीतिक देखरेख में, इस प्रस्ताव में एक बुनियादी तर्क दिया गया था : "औपनिवेशिक और अर्ध-औपनिवेशिक देशों की कम्युनिस्ट मज़दूर पार्टियों के पास दो कार्यभार हैं : राजनीतिक स्वतंत्रता हासिल करने के उद्देश्य से बुर्जुआ-लोकतांत्रिक क्रांति के कार्यभार के सबसे क्रांतिकारी समाधान के लिए संघर्ष करना, और साथ ही राष्ट्रवादी बुर्जुआ-लोकतांत्रिक खेमे के सभी अंतर्विरोधों का लाभ उठाते हुए, मज़दूर-किसान जनता को उनके विशिष्ट वर्ग हितों के लिए संघर्ष में संगठित करना।"

कॉमरेड वी. एस. अच्युतानंदन के निधन के साथ — जिन्हें वीएस के नाम से जाना जाता है — केरल के मेहनतकश लोगों ने बोल्शेविकों की एक दुर्लभ प्रजाति से अपने अद्वितीय युद्ध-प्रशिक्षित कॉमरेड को खो दिया है, जो 1940 में अविभाजित सीपीआई में शामिल हुए थे, ताकि कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के 'दोहरे कार्यभार' के सिद्धांत को आगे बढ़ाया जा सके। वी. एस. अक्सर बताया करते थे कि 1917 की बोल्शेविक क्रांति और कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के काम ने उनकी पीढ़ी को कैसे प्रेरित किया, जो 1929 की आर्थिक महामंदी के दुख और भयावहता को देखते हुए बड़ी हुई थी। 1923 में एक पिछड़ी जाति के बंटाईदार किसान परिवार में उनके जन्म ने उन्हें औपनिवेशिक क्रूरताओं के साथ-साथ रक्तपिपासु सामंती शोषण, इसके हिंसक दमन और जातिगत भेदभाव का अनुभव कराया। 102 वर्षों की अपनी लंबी यात्रा में जहां उन्होंने केरल के मुख्यमंत्री और भारत की सबसे बड़ी कम्युनिस्ट पार्टी, सीपीआईएम के सबसे सम्मानित नेताओं में से एक बनने का सफर तय किया, वहीं वी. एस. एक कट्टर साम्राज्यवाद-विरोधी व्यक्ति बने रहे, जो विश्व के क्रांतिकारी परिवर्तन के लिए प्रतिबद्ध थे।

मैंने अपने कम्युनिस्ट नाना से यह जाना कि कुट्टनाड में जमींदारी हिंसा — सामंती और पूंजीवादी — को समाप्त करने में वीएस की महत्वपूर्ण भूमिका थी, जिसका वर्णन 'रंदीदंगाझी' उपन्यास में किया गया है। इससे मुझे गहराई से वीएस की महानता से अवगत होने का मौका मिला। केरल में अपनी स्कूली शिक्षा के दौरान ही, मलयालम समाचार पत्रों के एक उत्साही पाठक के रूप में, मुझे यह भी याद है कि कैसे केरल के दो प्रमुख दैनिक समाचार पत्रों — मलयाला मनोरमा (जो स्वदेशी सीरियाई ईसाई पूंजीपति वर्ग द्वारा शुरू किया गया) और मातृभूमि (जो पतनशील उच्च जाति के हिंदू जमींदारों द्वारा शुरू किया गया) — ने वीएस को सबसे बड़े अवरोधक के रूप में खलनायक के रूप में चित्रित किया था। पूंजीपति वर्ग और जमींदारों के लिए, वीएस विकास के नवउदारवादी मॉडल में बाधा डाल रहे थे, जिसके प्रति वे एक वर्ग के रूप में प्रतिबद्ध थे। वीएस के लिए किसानों, खेतिहर मजदूरों, बागान मजदूरों और अन्य सभी मेहनतकश लोगों की आजीविका के साथ-साथ पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखना नवउदारवाद का पोस्टर बॉय बनने से ज्यादा महत्वपूर्ण था।

केरल में अविभाजित सीपीआई के संस्थापक सचिव कॉमरेड पी कृष्णा पिल्लई थे, जिन्होंने वीएस को पार्टी में भर्ती किया था। उनके द्वारा वीएस को कुट्टनाड भेजने का फैसला लिया गया। इस फैसले ने उभरते खेतिहर मजदूरों और केरल में ग्रामीण सर्वहारा वर्ग के आंदोलन की दिशा बदल दी। एस्पिनवॉल कंपनी में अपने काम के दौरान आधुनिक नारियल जटा फैक्ट्री के मजदूरों को संगठित करने के लिए वे कंपनी में अपने काम के दौरान

आधुनिक नारियल जटा फैक्ट्री के मजदूरों को संगठित करने के लिए वे शुरू में प्रशिक्षित हुए, लेकिन वीएस ने जल्दी ही खेतिहर मजदूरों का दिल और दिमाग भी जीत लिया । 1940 के दशक की शुरुआत में जब वीएस कुट्टनाड गए, तो कृषि में पूंजीवादी निवेश कई क्षेत्रों में फल-फूल रहा था । 1943 तक, वीएस कुट्टनाड के कावलम और कुन्नुमल इलाकों में केंद्रित हो गये । इस क्षेत्र में जोसेफ मुरिकन, चालायिल पणिक्कर और मनकोम्बु स्वामी जैसे बड़े जमींदार थे । पूंजीवादी निवेश के बावजूद, जमींदारों ने 'संलग्न श्रम' की प्रणाली के माध्यम से कृषि दासों के सामंती दमन के भयावह तरीकों को जारी रखा था ।

यह एक कटु सामाजिक-राजनीतिक विरोधाभास था कि पूंजीवादी कृषि पद्धति के आगमन से, अमानवीय दमनकारी दासता और जाति व्यवस्था की प्रतिक्रियावादी संस्था के पुरातन सामंती बंधन से मुक्ति पाने के बजाय, ये क्रूर राक्षसी चरित्र शैतानी तीव्रता के साथ और भी मज़बूत होते गए । यह ब्रिटेन में कपड़ा मिलों के औद्योगिक उछाल जैसा था, जिसने अमेरिका के दक्षिणी राज्यों में दास प्रथा को समाप्त करने के बजाय, उसे फलने-फूलने दिया, ताकि सबसे सस्ते दामों पर कच्चा कपास मिल सके ! बाद में, अमेरिका के उत्तरी राज्यों में रेलवे के विकास ने ही उस गृहयुद्ध की वस्तुगत पृष्ठभूमि तैयार की, जिसने दक्षिणी राज्यों में दास प्रथा को समाप्त किया !

उक्त 'संलग्न मजदूर' मुख्यतः पुलाया और पराया दलित जातियों से आते थे । संलग्न मजदूरी की अत्यधिक शोषणकारी व्यवस्था ने बहुत ही कम मजदूरी पर ज्यादा काम का बोझ सुनिश्चित किया था । एलेक्स जॉर्ज लिखते हैं कि "जबरन आर्थिक निर्भरता, घर से बेदखल करने की धमकी, शारीरिक हिंसा और जाति प्रथा के सामाजिक रूप से निर्योग्य करने वाले नियमों द्वारा अधीनता" — वे तरीके थे, जिनके द्वारा जमींदार संलग्न मजदूरी को नियंत्रित करते थे ।

खेत मजदूरों को संगठित करने के विचार से वीएस ने संलग्न मजदूरों को संगठित करने में आने वाली चुनौतियों का दस्तावेजीकरण किया । ये संलग्न मजदूर मानते थे कि उन्हें शारीरिक रूप से प्रताड़ित करना और यहाँ तक कि मार डालना ज़मींदारों का स्वाभाविक अधिकार है । वीएस ने लगातार उनमें जोश भरा, उनमें लड़ने की भावना जगाई और धैर्यपूर्वक उन्हें ज़मींदारों द्वारा उनका अधिकतम शोषण करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले दुर्भावनापूर्ण तरीकों के बारे में बताया । अपने व्यवस्थित प्रयासों से, वीएस उन्हें उत्साहित करने और समझाने में सफल रहे । अंततः, ग्रामीण सर्वहारा वर्ग, यानी खेत मजदूर वर्ग का आंदोलन कुट्टनाड में स्थापित हुआ और फिर ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि उत्पादन के क्षेत्र में औद्योगिक सर्वहारा वर्ग के विस्तार के रूप में अलप्पुझा और केरल के विभिन्न हिस्सों में फैल गया । पुन्नप्रा-वायलार विद्रोह में खेत मजदूरों ने भी बहादुरी के साथ भागीदारी की।

1948 में जब कम्युनिस्ट पार्टी पर प्रतिबंध लगा, तो ज़मींदारों ने अल-प्पुझा में "सन्नाधा सेना" नामक एक स्वयंसेवी दल बनाया, ताकि खेतिहर मज़दूरों और बंटाईदार किसानों के खिलाफ हिंसा फैलाई जा सके । रिवाज़ के अनुसार, मेहनतकशों के घरों की नवविवाहित महिलाओं को तीन महीने तक "कोचा" जैसे ज़मींदारों के साथ रहना होता था । राजनीतिक रूप से जागरूक ग्रामीण सर्वहारा वर्ग ने इन प्रथाओं का विरोध किया। एन के कमलासन एक कम्युनिस्ट खेतिहर मज़दूर, जिसका नाम "गोपालन" था, की कहानी सुनाते हैं, जो सामंती हिंसा का जुझारू प्रतिरोध कर रहा था । ज़मींदार कोचा के लेफ्टिनेंट नलुकेट्टुंगल रमन ने पुलिस की मिलीभगत से गोपालन के परिवार को निशाना बनाया । पुलिस और ज़मींदारों के गुंडों ने गोपालन और उसकी माँ को नंगा कर दिया और दोनों को आमने-सामने बाँध दिया । गोपालन की पत्नी के साथ उसके सामने बलात्कार किया गया । बदले में, रमन को मज़दूरों ने मार डाला ।

'कलकत्ता थीसिस' के वर्षों के दौरान कम्युनिस्ट विरोधी क्रूर हिंसा ग्रामीण सर्वहारा वर्ग, यानी खेतिहर मजदूरों के आंदोलन को खत्म नहीं कर सकी । वीएस द्वारा स्थापित कुट्टनाड स्थित खेत मजदूरों के आंदोलन, त्रावणकोर कार्शका थोझिलाली यूनियन (टी. के. टी. यू.), पर 1946 में पुन्नप्रा-वायलार विद्रोह के तुरंत बाद प्रतिबंध लगा दिया गया था। इस चरण में कठिन भूमिगत गतिविधियों ने टी. के. टी. यू. को और अधिक जुझारू बना दिया । इस संगठन पर प्रतिबंध 1951 में ही हटाया गया । उस वर्ष, वीएस ने कावलम में खेत मजदूरों का एक ऐतिहासिक विशेष सम्मेलन आयोजित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई । इस सम्मेलन ने एक व्यापक मांग पत्र भी स्वीकृत किया, जिसने श्रम विभाग को एक त्रिपक्षीय सम्मेलन और समझौता करने के लिए मजबूर किया । बहरहाल, बड़े ज़मींदारों ने मज़दूरी और काम करने की शर्तों पर हुए इस समझौते को लागू करने से इंकार कर दिया । इससे जुझारू हड़तालों में तेज़ी आई । वीएस के दस्तावेज़ों के अनुसार, 1950 और 1957 के बीच कुट्टनाड में 4279 श्रमिक विवाद हुए ।

सर्वहारा वर्ग के जुझारूपन का नया रूप जोसेफ मुरिकन और केएम कोरा जैसे "डूबान क्षेत्र के राजाओं (बैकवाटर्स किंग) के विरुद्ध छेड़े गए जुझारू संघर्षों में स्पष्ट दिखाई दिया । के. एम. कोरा, जो एक बड़े ज़मींदार होने के साथ-साथ कांग्रेस नेता और त्रावणकोर-कोचीन मंत्रिमंडल में तत्कालीन कृषि मंत्री भी थे, के विरुद्ध 1956 के ऐतिहासिक मज़दूरी संघर्ष ने ग्रामीण सर्वहारा वर्ग के जुझारूपन को प्रदर्शित किया । के. एम. कोरा ने हड़ताली मज़दूरों के विरुद्ध पुलिस और गुंडों की हिंसा का सहारा लिया । तीखी हिंसा भी संघर्ष को तोड़ नहीं सकी और अंततः कोरा को मज़दूर वर्ग के दावे के आगे झुकना पड़ा । बाद में कोरा ने एक वरिष्ठ कम्युनिस्ट नेता से शिकायत की कि "हमें खेतिहर मज़दूरों की मज़दूरी बढ़ाने में कोई आपत्ति नहीं है ; यह उनकी अकड़ है, जिसे हम बर्दाश्त नहीं कर सकते । ज़रा उन्हें देखिए — मूँछों के साथ, घुटनों तक धोती मोड़े,

और तौलिये को पगड़ी में लपेटे हुए, अकड़ते हुए ।" यह बदलते वर्गीय संबंधों का स्पष्ट संकेत था ।

कोरा के शब्दों से यह स्पष्ट था कि नया पूंजीवाद दुर्भावना से ग्रस्त एक उभयचर जानवर था, जो पतनशील सामंतवाद से आदिम कृषि पूंजीवाद की ओर बढ़ रहा था, जो उन्मत्त लाभ से प्रेरित था, उसमें अवसरवादी ढंग से मजदूरों को काम पर रखने की लागत कम करने की सहज प्रवृत्ति थी और इसलिए उसने सामंती क्रूरताओं को चरम शोषण के साधन और अमानवीय उत्पीड़न के हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रहा था । इसलिए, एक क्रांतिकारी संगठन के लिए यह आवश्यक था कि वह एक ही झटके में नवोदित कृषि सर्वहारा वर्ग को 'स्वयं में वर्ग' और 'स्वयं के लिए वर्ग' के रूप में जन्म दे । अविभाजित भाकपा और उसके अग्रणी कैडर कॉमरेड वीएस ने कुट्टनाड में इसे संभव बनाया । यह एक अनूठा परिवर्तन था । इसने केरल के खेतिहर मजदूर वर्ग को राज्य में राजनीतिक रूप से जागरूक सर्वहारा वर्ग का एक दुर्लभ पक्ष बना दिया । यह अनुभव तमिलनाडु के तंजावुर, महाराष्ट्र के वारली क्षेत्र और त्रिपुरा के आदिवासी क्षेत्र में कम्युनिस्टों के अनुभव के समान था । लेकिन यह उन लोगों से अलग था, जो आदिम कृषि पूंजीवाद के खिलाफ अथक लड़ाई का परिणाम था, न कि ठेठ सामंतवाद के खिलाफ ।

वी. एस. के नेतृत्व में ग्रामीण सर्वहारा वर्ग के जुझारू आंदोलन ने 'केरल के एकीकृत राज्य' के गठन और 1957 में ई. एम. एस. नंबूदरीपाद के नेतृत्व में प्रथम कम्युनिस्ट मंत्रिमंडल के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई । 1959 में पारित 'कृषि संबंध विधेयक', जिसने केरल की राजनीतिक अर्थव्यवस्था में एक क्रांतिकारी बदलाव लाया, में झोपड़ीवासियों को अधिकार देने के प्रावधान थे । 1957 में अलप्पुझा जिले में औद्योगिक संबंध समिति (आई. आर. सी.) के गठन के अलावा, ई. एम. एस. सरकार ने 1958 में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम (भारत) 1948 के प्रावधानों को कृषि कार्यों तक भी लागू किया । ई. एम. एस. की नई पुलिस नीति — श्रम विवादों में हस्तक्षेप न करना — ने भी खेतिहर मजदूरों का आत्मविश्वास बढ़ाया ।

ज़मींदारी प्रथा को समाप्त करने के कम्युनिस्टों के प्रयास को विफल करने के लिए अमेरिकी साम्राज्यवाद की सहायता से बुर्जुआ-ज़मींदार वर्ग द्वारा एक प्रतिक्रांतिकारी लामबंदी देखी गई । ई. एम. एस. मंत्रालय के खिलाफ कुख्यात 'विमोचन संग्राम' में दलित खेतिहर मज़दूरों पर लक्षित हमले किए गए और उन्हें जातिवादी गालियाँ दी गईं । ज़मींदारों की सेनाएँ चिल्ला उठीं, 'हम तुम्हें हमको सामंत कहने पर मजबूर कर देंगे ; हम तुम्हें पत्तों का दलिया पिलाएँगे ; दलित को खेत जोतना पड़ेगा है और चाको (उच्च जाति का कांग्रेसी नेता) ज़मीन पर राज करेगा" । 1959 में ईएमएस सरकार की बर्खास्तगी के बाद के महीनों में मेहनतकशों को तीखे हमलों का सामना करना पड़ा ।

वी. एस. के नेतृत्व में कृषि श्रमिकों, अर्थात् ग्रामीण सर्वहारा वर्ग के बीच किए गए श्रमसाध्य संगठनात्मक और वैचारिक कार्य ने 1967 में दूसरे ईएमएस मंत्रालय के गठन में महत्वपूर्ण योगदान दिया । 1968 में खेत मजदूरों के लिए राज्य-स्तरीय पृथक संगठन, केरल राज्य कार्शका थोजिलाली संघ (के. एस. के. टी. यू.) के गठन में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी, जो अखिल भारतीय खेत मजदूर यूनियन (ए. आई. ए. डब्ल्यू. यू.) से संबद्ध है । 1969 में ईएमएस मंत्रालय के पतन के बाद, केएसकेटीयू ने एआईकेएस के साथ मिलकर "मिच्छा भूमि संग्राम" नामक 'अतिरिक्त भूमि पर दावा आंदोलन' का नेतृत्व किया ।

इस आंदोलन ने हदबंदी से ऊपर की अतिरिक्त भूमि की पहचान की और सरकार को उसका विवरण दिया । इस आंदोलन का तात्कालिक उद्देश्य अतिरिक्त भूमि पर दावा आंदोलन ("मिच्छा भूमि संग्राम") था । के. एस. के. टी. यू. और ए. आई. के. एस. के कार्यकर्ताओं ने बहादुरी से ज़मींदारों के नियंत्रण वाली अतिरिक्त भूमि पर कब्जा किया और नीचे से इस आंदोलन के दबाव ने भूमि सुधारों के क्रियान्वयन की प्रक्रिया को गति दी । इसके परिणामस्वरूप राज्य के कई हिस्सों में आरएसएस कार्यकर्ताओं के साथ हिंसक शारीरिक झड़पें भी हुईं, जो ज़मींदारों के दक्षिणपंथी गुंडों के रूप में काम करते थे । ज़मींदारों और राज्य तंत्र के साथ इस राजनीतिक संघर्ष और सड़क पर हुई लड़ाईयों ने केरल के लोकतांत्रिक ताने-बाने को तार-तार कर दिया ।

वी. एस. वैश्विक वित्त के बढ़ते प्रभाव और कृषि प्रश्न से उसके संबंध के भी गंभीर प्रेक्षक थे । उन्होंने राजनीतिक अर्थव्यवस्था में नवउदारवादी मोड़ के विरुद्ध लगातार लेखन और आंदोलनों का नेतृत्व किया । धान और आर्द्रभूमि के संरक्षण के लिए उनके बहु-प्रलेखित संघर्षों के साथ-साथ रबर जैसी नकद कृषि फसल की नवउदारवादी लूटपाट का विरोध करने के लिए उनके वैचारिक और संगठनात्मक आलोचनात्मक हस्तक्षेप बहुत महत्वपूर्ण हैं । अपने सक्रिय राजनीतिक जीवन के अंतिम चरण में, वे "भूमि सुधार के अगले चरण" की आवश्यकता के प्रति पूरी तरह आश्वस्त थे, जहाँ मजदूरों और किसानों की वैज्ञानिक रूप से डिज़ाइन की गई जीवंत उत्पादन और विपणन सहकारी समितियाँ उन्नत राजनीतिक-आर्थिक अंतर्वस्तु और उन्नत रूपों के साथ एक मजबूत मजदूर-किसान गठबंधन की नींव का काम करेंगी ; और कृषि क्रांति को उसकी पूर्णता तक ले जाएँगी । लाल सलाम, कॉमरेड वी. एस. ! ■

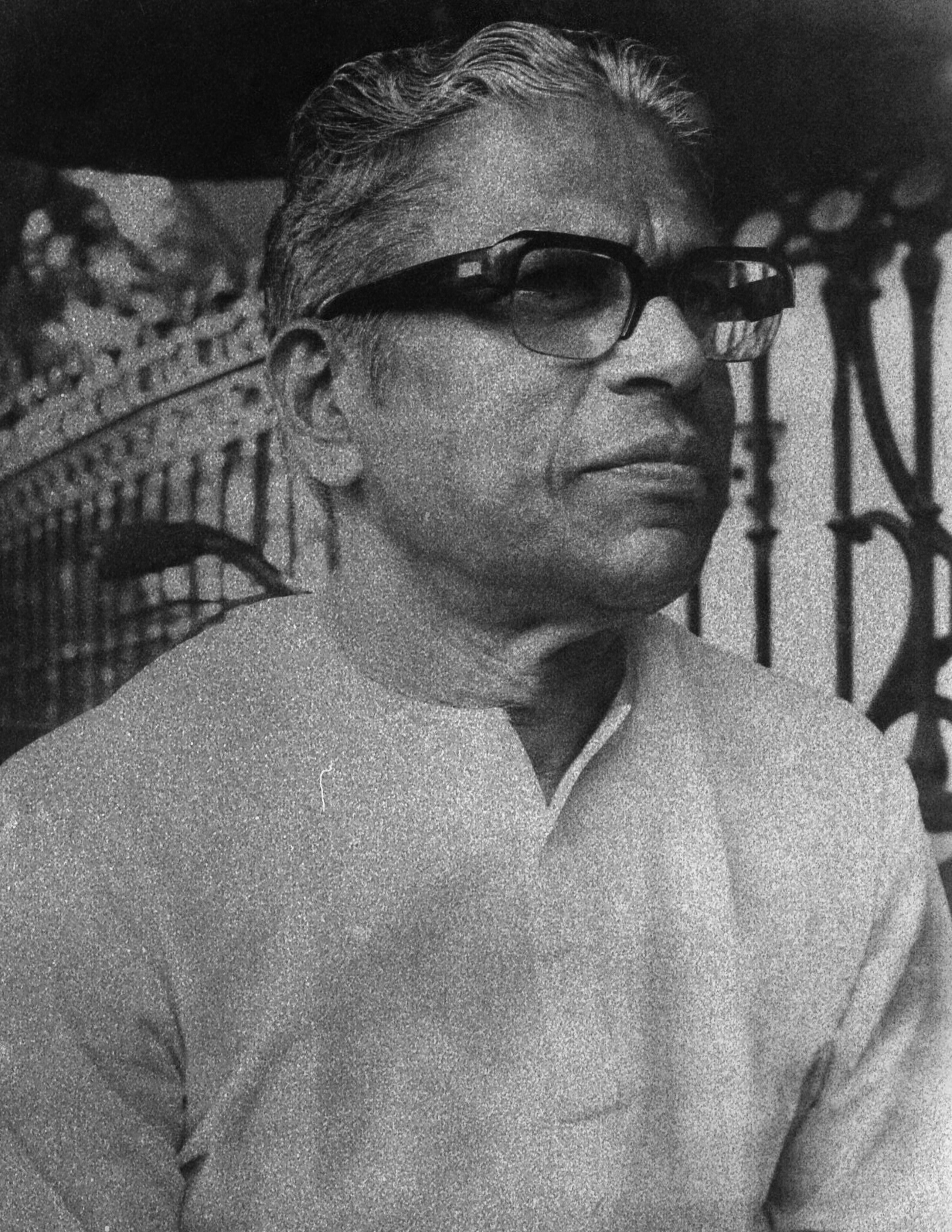

# एस. आई. आर., बिहार में सत्ता हड़पने की बी. जे. पी. की हताश कोशिश

अरुण मिश्रा
(बिहार राज्य उपाध्यक्ष, सीटू)

हिन्दू राष्ट्र की स्थापना की अपनी भव्य योजना के तहत बीजेपी बिहार में अपने दम पर सत्ता हड़पने की कोशिश कर रही है । अब तक, बिहार भाजपा की दीर्घकालिक राजनीति — जिसमें भारत को एक बहुसंख्यक धर्म-सापेक्ष राष्ट्र बनाना शामिल है — के लिए एक चुनौ--ती बना रहा है, क्योंकि वह समाज का सांप्रदायिक विभाजन कर अपनी राजनीतिक फसल काटने में वह अभी तक कामियाब नहीं हो पाई है ।

बिहार की राजनीतिक जागरूकता की शक्तिशाली ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और देश के राजनीतिक जीवन के विभिन्न चरणों में इसकी जनता की भागीदारी — स्वतंत्रता संग्राम से लेकर आपातकाल के खिलाफ साहसिक लड़ाई तक — ने इसे भाजपा की योजनाओं के लिए एक कठिन चुनौती बना दिया है । भाजपा बिहार में लंबे समय से जेडीयू के साथ गठबंधन में जूनियर पार्टनर के रूप में सत्ता में रही है। पिछले विधानसभा चुनावों में इसने जेडीयू को कमज़ोर करने की कोशिश की और कुछ हद तक सफल भी रही और भाजपा बिहार में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, फिर भी उसे पीछे हटना पड़ा और मुख्यमंत्री पद नीतीश कुमार को देना पड़ा ।

नीतीश कुमार अब इतने अविश्वसनीय हो चुके हैं कि कोई नहीं कह सकता कि अगर उनके मुख्यमंत्री पद पर खतरा आता है तो वह क्या करेंगे । लेकिन अब भाजपा ने अपनी पकड़ मजबूत कर ली है और जेडीयू के अधिकतर सलाहकार भाजपा के इशारे पर काम कर रहे हैं । जेडीयू का संगठन बिखर चुका है और नीतीश कुमार का उस पर प्रभाव भी कम हो गया है, ऐसे में भाजपा बिहार में अकेले सत्ता पर काबिज होने का सपना देख रही है । लेकिन सिर्फ सामाजिक इंजीनियरिंग और सांप्रदायिक ध्रुवीकरण जैसी सामान्य रणनीतियाँ भाजपा को बिहार में सत्ता तक नहीं पहुंचा पाएंगी । उसे महागठबंधन के शक्तिशाली संयुक्त विपक्ष का सामना करना है और इसी कारण वह बेहद खतरनाक योजना — विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के जरिए बड़ी संख्या में मतदाताओं को बाहर करने का सहारा ले रही है ।

महाराष्ट्र और हरियाणा में जीत के बाद भाजपा ने 'खून का स्वाद' चख लिया है और अब चुनाव आयोग को एक औजार की तरह इस्तेमाल करते हुए बिहार में अपनी महत्वाकांक्षा पूरी करना चाहती है । भाजपा द्वारा कराए गए सभी आंतरिक सर्वेक्षणों ने महागठबंधन को आरजेडी के नेतृत्व में स्पष्ट बढ़त दी है । इस पृष्ठभूमि में चुनाव आयोग द्वारा 24 जून को एसआईआर की घोषणा, एक जोरदार झटका था, क्योंकि पिछला लोकसभा चुनाव भी उसी मतदाता सूचियों के आधार पर लड़ा गया था । जब राज्य अगले दो-तीन महीनों में चुनाव की तैयारी कर रहा है, तो एसआईआर के लिए इतनी जल्दी क्यों ?

चुनाव आयोग ने घोषणा की कि एक महीने के भीतर घर-घर जाकर मतदाता पंजीकरण किया जाएगा ।

जून से अगस्त तक बिहार की जनता कृषि कार्यों में व्यस्त रहती है । बारिश और बाढ़ ग्रामीण जनता के जीवन को कठिन बना देती हैं । क्या चुनाव आयोग के पास कोई जादु की छड़ी है जिससे वह इतने बड़े पैमाने पर यह कार्य निष्पक्ष रूप से पूरा कर ले और विशेषकर गरीब, दलित, अल्पसंख्यक, महिलाएं, प्रवासी श्रमिक जैसे तबकों के साथ न्याय कर सके ?

सीपीआईएम ने इस मुद्दे को तुरंत उठाया और दिल्ली में चुनाव आयोग का ध्यान इस ओर दिलाया। साथ ही, महागठबंधन के घटक दलों ने एक प्रेस कांफ्रेंस कर एसआईआर पर कई ठोस सवाल उठाए । चुनाव आयोग ने यह भी कहा कि हर पात्र मतदाता को 11 दस्तावेजों में से एक प्रस्तुत करना होगा — जन्म प्रमाणपत्र, पैतृक दस्तावेज, निवास प्रमाणपत्र, मैट्रिक प्रमाणपत्र, पासपोर्ट आदि । आश्चर्य की बात है कि आधार कार्ड, राशन कार्ड, मनरेगा कार्ड, वोटर आईडी को इन 11 दस्तावेजों की सूची से बाहर रखा गया, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने बार-बार इन्हें स्वीकार करने की सलाह दी थी । यह पूरा अभियान समावेशी नहीं, बल्कि बहिष्करण की मानसिकता को दर्शाता है । 80% जनता के पास सूची में मांगे गए दस्तावेज नहीं हैं । इस सब से लगभग 2 करोड़ प्रवासी मजदूर जो देश के विभिन्न राज्यों में आजीविका के लिए गए हैं, सबसे अधिक प्रभावित होंगे ।

चुनाव आयोग ने यह भी अधिसूचना जारी की कि 2004 के बाद जन्मे सभी लोगों को अपने माता-पिता के जन्म प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने होंगे । विवाहित महिलाओं को, जो ससुराल में रहती हैं, उन्हें भी अपने माता-पिता के जन्म प्रमाणपत्र तय समय में दिखाने होंगे । इस सब ने व्यापक जनाक्रोश को जन्म दिया, जिसका प्रतिबिंब 9 जुलाई को देखा गया । बिहार में पूर्ण बंद रहा और महागठबंधन के सभी राष्ट्रीय नेता — कांग्रेस के राहुल गांधी, सीपीआईएम के महासचिव एम. ए. बेबी, सीपीआई के महासचिव डी. राजा, सीपीआईएमएल के दीपांकर भट्टाचार्य, वीआईपी के मुकेश

सहनी और आरजेडी के तेजस्वी यादव — सब एकजुट होकर बिहार के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय तक मार्च में शामिल हुए । उन्होंने सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया कि वे भाजपा को बिहार में जनादेश चोरी नहीं करने देंगे ।

तब से बहुत कुछ बदल चुका है और चुनाव आयोग ने 1 अगस्त को मतदाता सूची प्रकाशित कर दी है । लेकिन अब पूरे देश को पता चल चुका है कि 65 लाख मतदाताओं के नाम सूची से हटा दिए गए हैं — उन्हें या तो मृत या लापता घोषित कर दिया गया है । इस पूरी प्रक्रिया का पर्दाफाश दिल्ली के यूट्यूबर अजीत अंजुम ने ग्राउंड रिपोर्ट के ज़रिए किया । जिन्होंने दिखाया कि किस तरह एसआईआर के नाम पर नाटक किया जा रहा है, वह भी चुनाव आयोग की मूक स्वीकृति के साथ । अपने कुकृत्य को ढंकने की कोशिश में आयोग ने अजीत अंजुम पर एफआईआर दर्ज कर दी — यह कहते हुए कि उन्होंने संवैधानिक कार्यों में बाधा डाली है ।

हर दिन, लोग स्वयं सोशल मीडिया पर इस धोखाधड़ी को उजागर कर रहे हैं । हंसी आती है जब देखा जाता है कि पिता और पुत्र का नाम एक ही है, उम्र भी समान है, पति का नाम ही मतदाता के पिता का नाम बन गया, किसी का पिता 'चुनाव आयोग' बन गया है आदि। इन हास्यास्पद गलतियों से अलग, भाजपा से सम्बंधित परिवार के मृत लोगों के नाम भी वोटर लिस्ट में शामिल हैं।जो फॉर्म बिना किसी सहायक दस्तावेज के भरे गए हैं, उनका क्या होगा ? उनमें से कितने और बाहर कर दिए जाएंगे, कोई नहीं जानता ।

अब यह पूरी तरह स्पष्ट हो गया है कि यह पूरा अभियान भाजपा के इशारे पर किया गया है और हर जिले में एक लाखों मतदाताओं के नाम हटाए गए हैं । चुनाव आयोग इस हद तक भाजपा के पक्ष में झुक गया है कि उसने सुप्रीम कोर्ट की बार-बार की सलाहों — कि आधार, राशन, और वोटर आईडी को वैध पहचान पत्र माना जाए को भी नज़रअंदाज़ कर दिया । अब जब मतदाताओं को दस्तावेजों के साथ चुनाव आयोग से संपर्क करने के लिए केवल एक महीने का समय दिया गया है, यदि आधार, राशन, वोटर आईडी को वैधता ही नहीं दी जा रही है, तो यह प्रक्रिया बेमानी लगती है । चुनाव आयोग ने महागठबंधन के जनाधार — यानी समाज के हाशिए पर रहने वाले तबकों — को ही मुख्य रूप से निशाना बनाया है ।

द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस और दैनिक भास्कर जैसे राष्ट्रीय अखबारों ने अल्पसंख्यकों, महिलाओं, दलितों एवं अन्य कमजोर वर्गों के लक्षित नाम गायब होने की रिपोर्ट प्रकाशित की है । बिहार की जनता की नजरों में चुनाव आयोग ने अपनी साख खो दी है और वे गुस्से में हैं । अब विपक्षी दलों को चाहिए कि वे इस षड्यंत्र को उसकी शुरुआती अवस्था में ही विफल करें और जनता को संगठित करें — ताकि उस लोकतंत्र को बचाया जा सके, जिसे हर दिन पैरों तले कुचला जा रहा है । ■

# महाराष्ट्र विशेष जन सुरक्षा कानून :

## जनता की सुरक्षा के लिए नहीं, निरंकुशता की सुरक्षा के लिए है

अजित नवले
(अखिल भारतीय संयुक्त सचिव, किसान सभा)

भाजपा के नेतृत्ववाली महाराष्ट्र की महायुति सरकार ने लोकतांत्रिक शक्तियों के कड़े विरोध के बावजूद अंततः गत 10 जुलाई को राज्य विधानसभा में और 11 जुलाई को विधान पषिद में कुख्यात महाराष्ट्र विशेष जन सुरक्षा विधेयक पारित करा दिया ।

### सरकार का बेहूदा दावा

शासक भाजपा और उसके चहेते सहयोगियों ने दावा किया है कि यह विधेयक उन लोगों पर अंकुश लगाने के लिए आवश्यक था, जिन्हें वे 'अर्बन नक्सल' कहते हैं । जनमत के विभिन्न तबकों की ओर से सरकार के इस दावे की चौतरफा आलोचना हो रही है क्योंकि उसके दावे से केंद्र और राज्य सरकारों की जनविरोधी तथा कार्पोरेटपरस्त नीतियों के खिलाफ उठनेवाली हर आवाज को कुचल देने के सरकार के असली इरादे ही सामने आते हैं ।

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फड़नवीस, जिनके पास गृह मंत्रालय भी है, ने सदन में यह विधेयक पेश करते हुए अपने संबोधन में दावा किया कि नक्सलवादी गतिविधियां अब सिर्फ राज्य की दो तहसीलों तक ही सीमित रह गयी हैं । केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी यह दावा किया है कि नक्सलवादी गतिविधियों पर अब 72 फीसद तक अंकुश लगाया जा चुका है । यह इस बात का समुचित प्रमाण है कि खुद सरकार यह स्वीकार कर रही है कि नक्सलवाद पर अंकुश लगाने के लिए मौजूदा कानून काफी हैं । इसलिए तथाकथित "खत्म होती इस बुराई" पर अंकुश लगाने के लिए और ज्यादा काले कानून लाने का कोई कारण नहीं है ।

राज्य में ठीक यही सवाल उठाया जा रहा है । खासतौर से महाराष्ट्र राज्य के लिए बने महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक्ट (एमसीओसीए-मकोका) के अलावा अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट (यूएपीए) तथा भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) जैसे केंद्रीय कानूनों का भी वामपंथ के खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है जबकि केंद्र सरकार ने दक्षिणपंथ की देशविरोधी, हिंसक तथा विखंडनकारी गतिविधियों की ओर से आंखें मूंद रखी हैं । यही है वह परिदृश्य जिसमें एक और काला कानून लाने की जरूरत का सरकार का संदेहास्पद दावा उसके निरंकुशतावादी इरादों को ही सामने लाता है । यह स्वाभाविक है कि नक्सलवाद का हव्वा खड़ा करके सरकार वास्तव में लोकतांत्रिक विरोध को ही निशाना बनाने की तैयारी कर रही है ।

### कौन है असली निशाना ?

सरकार का दावा है कि स्पेशल पब्लिक सिक्योरिटी एक्ट (विशेष जन सुरक्षा कानून-एसपीएसए) उन संगठनों तथा उनके सदस्यों को ही निशाना बनाता है, जो 'गैरकानूनी' गतिविधियों में शामिल हैं । यह कानून राज्य सरकार को इस तरह के संगठनों पर प्रतिबंध लगाने तथा उनके सदस्यों को कड़ा दंड देने का अधिकार देता है । 'गैरकानूनी कार्रवाई' ऐसी शब्दावली है जिसे जानबूझकर बड़े ही ढ़ीले-ढ़ाले तरीके से परिभाषित किया गया है ताकि सरकार की हर उस करतूत पर पर्दा डाला जा सके, जिसे वह सार्वजनिक व्यवस्था के लिए नुकसानदेह मानती है । यहां तक कि सरकार की आलोचना करनेवाली साधारण सी राय को भी गैरकानूनी ठहराया जा सकता है ।

इस तरह से सरकार ने अपने आपको यह अधिकार दे दिया है कि वह किसी भी संगठन तथा उनके सदस्यों को गैरकानूनी घोषित कर सकती है । इस तरह के प्रतिबंधित संगठनों की गतिविधियों में भाग लेने, फंड एकत्रित करने या उन्हें चंदा देने या उनके विचारों को प्रसारित तथा प्रकाशित करने और यहां तक कि इन कार्रवाइयों को प्रोत्साहित करने को भी 'अपराध' करार दिया गया है । इस तरह की कार्रवाइयों के लिए दो से सात वर्ष तक की जेल और साथ में दो से पांच लाख रू0 तक के जुर्माने की सजा का प्रावधान है । इन संगठनों से जुड़े लोगों की व्यक्तिगत संपत्ति और यहां तक कि उनकी निजी चीजों को भी जब्त किया जा सकता है ।

## क्या है "गैरकानूनी कार्रवाई" ?

गैरकानूनी कार्रवाई की परिभाषा को जानबूझकर अस्पष्ट रखा गया है । इसके चलते सरकार की आलोचना करते हुए बोले गए या लिखे गए किसी भी विचार और/या हरकत को "सार्वजनिक व्यवस्था के लिए नुकसानदेह" और इसलिए 'गैरकानूनी' बताया जा सकता है । सोशल मीडिया की किसी पोस्ट, कार्टून, कहानी, कविता, चुटकले, पर्चे और यहां तक कि किसी प्रतिक्रिया को भी 'गैरकानूनी' करार दिया जा सकता है । इसी तरह किसी सरकारी कर्मचारी की ड्यूटी में बाधा डालना या नागरिक अवज्ञा गैरकानूनी हो सकती है ।

सरकार द्वारा किए जा रहे भूमि अधिग्रहण का विरोध करने या कार्पोरेट संचालित किसी परियोजना का विरोध करने को भी गैरकानूनी करार दिया जा सकता है । अखिल भारतीय किसान सभा की अगुवाई में आयोजित किए गए ऐतिहासिक लॉन्ग मार्च में शामिल अपने लहूलुहान पांवों के साथ पैदाल चल रहे हजारों किसानों, संविधान के रक्षकों और महात्मा गांधी के सच्चाई पर चलनेवाले अनुयायियों को पहले ही 'अर्बन नक्सल' करार दिया जा चुका है । अब यह सब भी गैरकानूनी हो जाएंगे ।

## क्यों ? और किसके लिए ?

सवाल यह है कि आखिर क्यों और किसके लिए यह कानून पारित किया गया है ? राज्य में इन दिनों अडानी तथा अंबानी जैसे कार्पोरेट मुनाफाखोरों द्वारा चलाए जा रही तथाकथित परियोजनाओं की बाढ़ आयी हुयी है । यह पूववर्ती महाविकास अघाड़ी (एमवीए) सरकार को गिराने के लिए इस्तेमाल किए गए पैसे को वापस करने, उसका कर्ज चुकाने का वक्त है ।

यह पिछले विधानसभा चुनाव को हाईजैक करने के लिए इस्तेमाल किए गए अभूतपूर्व पैसे और आरएसएस-भाजपा को चंदे के रूप में अनाम दानदाताओं द्वारा दिए गए चंदे का कर्ज चुकाने का वक्त है । आदिवासियों, किसानों, मछुआरों और स्लमवासी असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को विस्थापित करने के जरिए शक्तिपीठ एक्सप्रेसवे, वधवान पोर्ट और गढ़चिरौली तथा अन्य जिलों में बड़ी-बड़ी कार्पोरेट परियोजनाओं और मुंबई में अडानी द्वारा एशिया के सबसे बड़े स्लम धारावी का अधिग्रहण किए जाने के खिलाफ किसी भी लोकतांत्रिक तथा संवैधानिक विरोध को चतुराई और आसानी से खत्म करना ही इस नए कानून का लक्ष्य है । मजदूरों, किसानों तथा खेत-मजदूरों, महिलाओं, युवाओं, छात्रों और उनकी लोकतांत्रिक आकांक्षाओं के लिए लड़नेवाले जनसंगठनों को कुचलने के लिए इस कानून का खुल्ला इस्तेमाल किया जाएगा ।

अब यह पूरी तरह स्पष्ट हो गया है कि आरएसएस / भाजपा हमारे संविधान — जो हमारे बहु-सांस्कृतिक, बहुभाषायी तथा बहुधार्मिक देश की रक्षा करने के रूप में उनके सामने एक बाधा के रूप में खड़ा है — के स्थान पर हिंदू राष्ट्र कायम करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं । वे सांप्रदायिक नफरत के आधार पर एक तानाशाही कायम करना चाहते हैं । इस हिंदू राष्ट्र का एक देश-एक चुनाव (ओएनओई), एक धर्म, एक भाषा तथा एक संस्कृति जैसे एकाकार ढ़ांचों से निर्माण किया जा रहा है । इस परियोजना के मूल में एक बर्बर, अमानवीय, अतीतगामी दृष्टि तथा असमान समाज की स्थापना करना है । इस परियोजना में मुख्य बाधा हमारा संविधान है जो लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता तथा बुनियादी मानवीय अधिकारों की गारंटी की तरह है । यह नया कानून, इसी संविधान पर हमला करने का एक और हथियार है ।

## विचारधारा का अपराधीकरण

अगर बहुत ही रूखे ढ़ंग से कहा जाए तो एसपीएसए का उद्देश्य धुर वामपंथ और 'उसी तरह के' अन्य संगठनों को निशाना बनाना है । यह किसी कल्पना से भी परे है कि कोई एक विचारधारा रखनेवाले किसी व्यक्ति के साथ एक अपराधी जैसा व्यवहार कैसे किया जा सकता है । हमारे संविधान की यह समझ उसके कोर मूल्यों के एकदम खिलाफ है । इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण सवाल यह है कि अकेले वामपंथी संगठन ही निशाने पर क्यों हैं ?

मौजूदा सच्चाई तो इसके ठीक विपरीत है क्योंकि हाल के वर्षों में यह तो धुर दक्षिणपंथी संगठन ही रहे हैं जिन्होंने डाभोलकर, पानसरे, कलबुर्गी और गौरी लंकेश जैसे जन बुद्धिजीवियों की हत्या की है और राज्य में अल्पसंख्यकों और खासतौर से मुसलमानों तथा दलितों पर हिंसक हमले किए हैं । यह धुर हिंदुत्व ही है जो राज्य के खिलाफ कानूनहीनता को हवा देता है । अब इसी सच्चाई के खिलाफ भाजपा के नेतृत्ववाली राज्य सरकार राजनीतिक विरोध को कुचलने के लिए असंवैधानिक तौर तरीकों का इस्तेमाल कर रही है और अलोकतांत्रिक कानून बना रही है ।

## "और इसी तरह के संगठन" एक वाहियात उक्ति है

इस विधेयक में धुर वामपंथी संगठनों के साथ ही "और इसी तरह के संगठनों" जैसी वाहियात शब्दावली का भी इस्तेमाल किया गया है और उनकी कोई विशिष्ट परिभाषा नहीं की गयी है । सवाल यह है कि यह इसी तरह के संगठन कौन हैं ? इसे जानबूझकर और बड़ी चतुराई से अस्पष्ट ही रखा गया है ।

यह श्रेणीकरण सरकार को हर उस तत्व को कुचलने की खुली छूट दे देती है, जिसे आरएसएस तथा भाजपा द्वारा सोची गयी तथा तैयार की गयी नुकसानदेह परियोजनाओं को पूरी करने में बाधक के रूप में देखा जाएगा ।

सरकार का दावा है कि यह कानून वामपंथी उग्रवादी संगठनों पर लक्षित है । ऐसे में सवाल यह उठता है कि यह तय करने का पैमाना क्या है कि कोई संगठन या व्यक्ति 'वामपंथी' है ? वह कितना उग्रवादी है, उसे कैसे मापा जाएगा ? यह कैसे पता लगाया जाएगा कि वह सिर्फ सामान्य वामपंथी है, उदार वामपंथी है या फिर धुर वामपंथी है ? संक्षेप में सरकार किसी संगठन को या उसकी गतिविधि को 'गैरकानूनी' तब कहेगी, जब उसे वह राजनीतिक रूप से अपने प्रतिकूल लगेगा । इसका शुद्ध नतीजा यह होगा कि लोकतंत्र की तबाही होगी और निरंकुशतावाद सुदृढ़ होगा ।

## जांच और दंड

इस कानून में उच्च न्यायालय के एक अवकाशप्राप्त न्यायाधीश, एक अवकाशप्राप्त जिला न्यायाधीश और उच्च न्यायालय के एक सरकारी वकील को लेकर एक कमेटी गठित करने का प्रस्ताव है, जो आलोचनात्मक ढ़ंग से किसी संगठन के बारे मैं फैसला करेगी । इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह वे लोग होंगे, जो सिर्फ सरकार को खुश करना चाहेंगे । हमारा ईडी, सीबीआइ और यहां तक कि चुनाव आयोग एंव न्यायपालिका के कामकाज का हालिया अनुभव यही साबित करता है कि इस मामले में वे पक्षपाती हो सकते हैं ।

इस कानून में प्रस्तावित दंड भी बेहद निरंकुशतावादी है । इसमें जमानत देने का कोई प्रावधान नहीं है । सिर्फ उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में ही अपील की जा सकती है । यह एक ऐसी भारी शर्त है, जो उन लोगों पर लगा दी गयी है, जो गरीब आदिवासियों या अन्य शोषितों-पीड़ितों के लिए लड़ना चाहते हैं । ऐसे में गिरफ्तार किए जानेवाले लोग जमानत के बिना जिंदगी भर जेल में सड़ने को मजबूर होंगे ।

## बढ़ता प्रतिरोध

इस विधेयक के खिलाफ संघर्ष में सीपीआइएम शुरू से ही अग्रिम पंक्ति में रही है और इसे वापस लिए जाने की मांग करती रही है । उसने बहुत ही योजनाबद्ध ढ़ंग से अपना अभियान चलाया । जैसे ही इस विधेयक को लाने के सरकार के इरादों का पता चला, वैसे ही एक राज्यव्यापी जागरूकता अभियान आयोजित किया गया । फिर लाखों की संख्या में हस्ताक्षर एकत्रित करने का अभियान चलाया गया और इसके बाद मास लाइन के साथ संघर्ष चलाने के पार्टी के सच्चे संदेश का अनुसरण करते हुए संघर्ष चलाने की योजना बनायी गयी और जिला कमेटियों ने पूरे उत्साह के साथ इस निर्णय को लागू किया । सभी वामपंथी तथा धर्मनिरपेक्ष पार्टियों तथा जन संगठनों की 28 मार्च को मुंबई में एक संयुक्त मीटिंग आयोजित करने में पार्टी राज्य कमेटी ने अगुवाई की । इस मीटिंग ने इस संघर्ष को पूरे राज्य में ले जाने का निर्णय लिया ।

गत 22 अप्रैल को विशाल तथा जुझारू संयुक्त प्रदर्शन आयोजित किए गए, जिनमें पूरे राज्य में करीब 50,000 लोगों ने भाग लिया । इनमें अकेले सीपीआइएम के ही 35,930 लोग शामिल थे । पार्टी नेताओं ने एमवीए के सभी बड़े नेताओं से मुलाकात की ताकि उन्हें संयुक्त संघर्ष में शामिल किया जा सके । क्योंकि यह विधेयक सदन की संयुक्त समिति के विचाराधीन था, इसलिए इस पर कोई 12,000 आपत्तियां कमेटी को दी गयी । इनमें से 9,000 से अधिक आपत्तियां सीपीआइएम तथा सामाजिक आंदोलनों द्वारा दर्ज करायी गयी ।

इन आपत्तियों के जरिए साफतौर पर यह मांग उठायी गयी कि इस विधेयक में संशोधन करने की कोई जरूरत नहीं बल्कि पूरे के पूरे विधेयक को निरस्त किया जाना चाहिए । 30 जून को राज्य विधानसभा सत्र के पहले दिन वामपंथी पार्टियों, सामाजिक संगठनों तथा एमवीए के नेताओं ने मुंबई के आजाद मैदान में इस विधेयक को निरस्त करने की मांग को लेकर एक विशाल धरने का आयोजन किया ।

आखिरकार गत 10 जुलाई को मुख्यमंत्री देवेंद्र फड़नवीस ने यह विधेयक राज्य विधानसभा में पेश कर दिया । बहरहाल, सीपीआइएम तथा वामपंथी पार्टियों द्वारा किए गए निरंतर प्रयासों के बावजूद एमचीए की दूसरी पार्टियों ने विधानसभा में इस विधेयक का विरोध नहीं किया । सीपीआइएम विधायक तथा पार्टी के नवनिर्वाचित केंद्रीय कमेटी सदस्य विनोद निकोले, जो कि विधानसभा में पार्टी के अकेले विधायक हैं, ने इस विधेयक के खिलाफ अपनी आवाज उठायी और स्पष्ट तौर पर विधेयक के खिलाफ अपना विरोध दर्ज कराया । प्रिंट तथा इलेक्ट्रोनिक मीडिया में इसे व्यापक तौर पर रिपोर्ट किया गया ।

इसका परिणाम यह हुआ कि विधेयक सर्वसम्मति से पारित होने की बजाय बहुमत से पारित हुआ । एमवीए के रुख के प्रति सीपीआइएम असहमति से उन्हें 10 जुलाई को ही अवगत करा दिया गया था । इसने और विभिन्न हलकों द्वारा की गयी उनकी कड़ी आलोचना ने उन्हें उस वक्त इस विधेयक का विरोध करने पर मजबूर कर दिया जब अगले दिन राज्य विधान परिषद में उसे विचारार्थ पेश किया गया और एमवीए के एमएलसीज ने इस विधे-

-यक का विरोध करते हुए सदन से वाकआउट किया ।

## निष्कर्ष

इस तरह यह पूरी तरह स्पष्ट हो गया कि एमएसपीएस कानून नक्सलवाद और अन्य वामपंथी उग्रवादी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए नहीं पारित किया गया है, जैसा कि दावा किया गया है, बल्कि राज्य में सरकार के हर तरह के विरोध को कुचलने के लिए पारित किया गया है । इसका इस्तेमाल उन लोगों के खिलाफ भी किया जाएगा, जो देश पर निरंकुशतावादी और सांप्रदायिक तथा जातिवादी शासन थोपने की राह में बाधा बनेंगे । इसलिए इस गैरसंवैधानिक और गैरलोकतांत्रिक कानून को निरस्त करने के लिए संघर्ष को तेज करने की फौरी जरूरत है । ■

# अमेरिकी टैरिफ के दबाव से बाहर निकल, नवउदारवादी आर्थिक नीतियों को रद्द किया जाए और जन-केंद्रित विकास की दिशा अपनाई जाए

अखिल भारतीय किसान सभा की प्रेस विज्ञप्ति

किसान सभा का मानना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह दावा कि “किसानों का कल्याण उनकी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है” — सच्चाई से कोसों दूर है। अमेरिका द्वारा टैरिफ को 50% तक बढ़ाना और भारत पर द्विपक्षीय मुक्त व्यापार समझौते (एफटी--ए) के लिए दबाव डालने की पृष्ठभूमि में दिया गया यह बयान किसानों को लुभाने की एक और कोशिश है। भारतीय किसान अब ऐसे जुमलों और झूठे वादों के आदी हो चुके हैं, जो पिछले 11 वर्षों में बार-बार सुनने को मिले हैं।

असल में, एनडीए सरकार ने अपने 11 साल के शासन में किसानों की प्रतिस्पर्धात्मकता को पूरी तरह नष्ट कर दिया है। प्रधानमंत्री ने 2014 के भाजपा चुनावी घोषणा-पत्र में किया गया यह वादा तक पूरा नहीं किया कि सभी फसलों के लिए सी2 + 50% के आधार पर न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर गारंटीकृत खरीद की जाएगी — जो राष्ट्रीय किसान आयोग के अध्यक्ष एम. एस. स्वामीनाथन द्वारा अनुशंसित था। लाभकारी मूल्य न मिलने और लगातार बढ़ती इनपुट लागत ने भारतीय कृषि को गंभीर संकट में डाल दिया है। किसान भारी कर्ज में डूबे हैं और ग्रामीण क्षेत्रों से पलायन तेजी से बढ़ रहा है।

सरकारी आंकड़ों के अनुसार, हर दिन भारत में 31 किसान आत्महत्या करते हैं। इसके बावजूद प्रधानमंत्री ने अब तक कोई कर्ज राहत योजना लागू नहीं की है। इसके विपरीत, पिछले 11 वर्षों में 16.11 लाख करोड़ रुपये के कॉरपोरेट ऋण माफ किए गए हैं।

भारत का लगभग 48% कार्यबल कृषि पर निर्भर है और लगभग 60% परिवार ग्रामीण भारत में रहते हैं। नवउदारवादी नीतियों के तहत किसान समुदाय की दुर्दशा सरकारी आंकड़ों से स्पष्ट है। ग्रामीण भारत में 2200 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन की खपत को गरीबी की पहचान मानते हुए, 1993-94 में 58% लोग इस स्तर से नीचे थे — यह वह समय था जब 1991 में नवउदारवाद की शुरुआत हुई थी। 2011-12 में यह आंकड़ा बढ़कर 68% हो गया। 2017-18 तक हालत इतनी खराब हो गई कि सरकार ने उस वर्ष का उपभोक्ता व्यय सर्वेक्षण सार्वजनिक करने से ही मना कर दिया और आंकड़ों को बदल डाला। फिर भी जो थोड़ी जानकारी सामने आई, उससे यह स्पष्ट हुआ कि 80.5% ग्रामीण लोग इस न्यूनतम कैलोरी स्तर से नीचे थे।

प्रधानमंत्री मोदी के इस दावे के विपरीत कि उनकी सरकार किसानों, मछुआरों और पशुपालकों के हितों से कभी समझौता नहीं करेगी — पिछले 11 वर्षों की नीतियां पूरी तरह से कृषि वर्ग को गरीब और असहाय बनाने वाली रही हैं। कृषि भूमि, जंगल, खनिज और जल जैसे सभी संसाधनों को देशी-विदेशी कॉरपोरेट कंपनियों के हवाले किया जा रहा है।

कॉरपोरेट हितैषी तीन कृषि कानून — जिनका उद्देश्य था एपीएमसी  मंडियों को ख़त्म करना, एमएसपी  और सार्वजनिक वितरण प्रणाली को खत्म करना है — मोदी सरकार द्वारा थोपा गया। इन कानूनों को साल भर चले ऐतिहासिक किसान आंदोलन के जरिए रोका गया, जिसमें 736 किसानों ने अपनी जान कुर्बान की। अब राष्ट्रीय कृषि विपणन नीति-2024 (एन. पी. एफ. ए. एम.) और राष्ट्रीय सहकारिता नीति-2025 (एन. पी. सी.) जैसे कदम संविधान में राज्यों के अधिकारों और संघीय ढांचे पर सीधा हमला हैं, जो भारतीय अर्थव्यवस्था को बहुराष्ट्रीय कॉरपोरेट्स के हवाले करने की साजिश है।

चार श्रम संहिताएं, जो कॉरपोरेट कंपनियों के लिए सस्ता श्रम सुनिश्चित करती हैं, ने न्यूनतम मजदूरी का अधिकार तक छीन लिया और स्थायी रोजगार की अवधारणा को खत्म कर दिया है। आज बेरोजगारी 45 वर्षों के चरम पर है और युवाओं का भविष्य अंधकारमय होता जा रहा है। यहां तक कि आरएसएस प्रमुख को भी हाल ही में यह कहना पड़ा कि शिक्षा और स्वास्थ्य आम लोगों की पहुंच से बाहर हो चुके हैं — जो भाजपा-आरएसएस की कथनी और करनी के अंतर को उजागर करता है।

पिछले तीन दशकों में व्यापार उदारीकरण के पैरोकारों ने यह झूठा वादा किया कि निर्यात अवसर भारतीय किसानों को लाभ देंगे । लेकिन इसके विपरीत, कृषि उत्पादों के आयात के लिए भारतीय बाजार खोले गए — जिससे तेल, दालें, फल, रबर और कपास जैसी वस्तुओं के लिए आयात निर्भरता बढ़ गई । एसियान मुक्त व्यापार समझौते ने प्राकृतिक रबर, चाय और कॉफी जैसे नकदी फसल क्षेत्रों को तबाह कर दिया । एफटीए के जरिए भारतीय अर्थव्यवस्था को अंतरराष्ट्रीय व्यापार के उतार-चढ़ाव और सट्टेबाजी के हवाले किया जा रहा है, जिससे भारतीय किसान और मजदूर वर्ग गंभीर संकट का सामना कर रहा है ।

भारत को बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली को मजबूत किये जाने की जरुरत थी और अन्य विकासशील देशों को इस दिशा में साथ लाना चाहिए था । लेकिन मोदी सरकार ने विकसित देशों के दबाव में आकर द्विपक्षीय व्यापार समझौते करने शुरू कर दिए और भारत की स्थिति अंतरराष्ट्रीय मंच पर कमज़ोर हो गई है ।

किसान सभा, संयुक्त किसान मोर्चा और कई किसान संगठन लगातार यह मांग कर रहे हैं कि केंद्र सरकार एफटीए वार्ताओं का ब्योरा संसद में प्रस्तुत करे और बिना संसद की मंजूरी के कोई भी एफटीए न किया जाए ।

भारत एक कृषि प्रधान देश है । इसलिए मौजूदा निर्यात-आधारित विकास मॉडल के बजाय राज्य के नेतृत्व में कृषि आधारित विकास की दिशा अपनाई जानी चाहिए । किसानों को लाभकारी मूल्य और मजदूरों को न्यूनतम जीवन निर्वाह मजदूरी देकर देश की 140 करोड़ जनता की क्रय शक्ति को बढ़ाना ही वह वैकल्पिक रास्ता है, जिससे घरेलू औद्योगिक उपभोक्ता उत्पादों को प्रभावी ढंग से अवशोषित किया जा सकता है घरेलू बाजार को सशक्त किया जा सकता है और भारत वैश्विक बाज़ार में मुकाबला कर सकता है तथा आगे बढ़ सकता है । किसान सभा यह मांग करती है कि, भारतीय संसद बीते तीन दशकों की नवउदारवादी नीतियों की समीक्षा करे और एक जन-केंद्रित विकास मॉडल अपनाए ।

यह समय की मांग है कि अमेरिकी साम्राज्यवाद के सामने झुकने वाली तथा जनता-विरोधी मोदी सरकार को करारा जवाब दिया जाए । अखिल भारतीय किसान सभा देशभर की अपनी सभी इकाइयों से आह्वान करता है कि 13 अगस्त 2025 को एसकेएम और भूमि अधिकार आन्दोलन द्वारा बुलाए गए राष्ट्रव्यापी विरोध प्रदर्शन को जबरदस्त सफलता बनाएं — किसान-मजदूर एकता की संयुक्त ताकत से भारी भागीदारी सुनिश्चित करें । ■

POLICE
हिमाचल अग्निशमन सेवा

# 29 जुलाई शिमला चलो मार्च : हिमाचल प्रदेश में सेब के पेड़ों की कटाई क्यों हो रही है ?

शुभोजीत डे
(सीकेसी सदस्य, किसान सभा)

29 जुलाई को, अखिल भारतीय किसान सभा से संबद्ध एप्पल फॉर्मर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (ए. एफ. एफ. आई.) और हिमाचल किसान सभा के सैकड़ों झंडे शिमला की गलियों में लहरा रहे थे। वे सब राज्य के सेब उत्पादक किसान थे, जो वन विभाग द्वारा उनके फलों के पेड़ों की म--नमानी कटाई और उनके घरों को सील करने के विरोध में गरज रहे थे। हिमाचल प्रदेश के सभी सेब उत्पादक जिलों से आए बागवानों ने सचिवालय के बाहर पुलिस और भारी बैरिकेडिंग का साहसपूर्वक सामना करते हुए एक शक्तिशाली विरोध प्रदर्शन आयोजित किया। 'शिमला चलो' आह्वान के प्रदर्शन के उग्र रूप को देखते हुए, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को किसानों और उनके नेतृत्व को एक बैठक के लिए आमंत्रित करना पड़ा।

राज्य सरकार अचानक उन पेड़ों को क्यों काट रही है, जिनकी उपज हिमाचल प्रदेश के सकल घरेलू उत्पाद में पाँच प्रतिशत का योगदान देती है, जिनकी खेती से 1.75 लाख किसान परिवार जीवन यापन करते हैं और व्यापक रूप से देखे, तो जिन्होंने पड़ोसी पहाड़ी राज्य उत्तराखंड में लोगों के पलायन को रोका है ? इस साल जनवरी में हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए कई विनाशकारी आदेशों के बाद यह मौजूदा विवाद पैदा हुआ है। इन आदेशों में मूलतः यह कहा गया है कि किसानों ने 'वन भूमि' पर अवैध अतिक्रमण किया है, सेब का पेड़ स्थानीय प्रजाति नहीं है, इसलिए किसान और उसकी फसल, दोनों को पूरी तरह से बेदखल किया जाना चाहिए।

यह पहली बार नहीं है, जब राज्य ने न्यायपालिका के आदेश पर सेब के पेड़ काटे हैं। 2018 में भी ऐसा ही हुआ था और तब भी हिमाचल किसान सभा सबसे ज़्यादा प्रभावित समूह, छोटे उत्पादकों के अधिकारों की रक्षा में सबसे आगे थी। सेब उत्पादकों के खिलाफ युद्ध की कहानी एक लंबी और अस्पष्ट कहानी है कि कैसे राज्य और केंद्र, दोनों स्तरों पर राज्य ने अपने वर्गीय एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए पर्यावरण संरक्षण का इस्तेमाल किया है।

हिमाचल प्रदेश में, कुल भूमि का दो-तिहाई से ज़्यादा हिस्सा 'वन' के रूप में वर्गीकृत है, जबकि अनुभवजन्य साक्ष्य बताते हैं कि राज्य में वास्तविक वन क्षेत्र केवल 22 प्रतिशत है। ज़मीन पर वैज्ञानिक रूप से वास्तविक वन और नौकरशाही की फाइलों में बसे वन के बीच यह अजीब और विशाल अंतर है, जो 1952 में जारी एक सरकारी अधिसूचना से पता चलता है। यह वह समय था, और जब हिमाचल प्रदेश पूर्ण राज्य नहीं, बल्कि एक 'सी-स्टेट' था, जिसका प्रशासन वास्तव में एक उपराज्यपाल के हाथों में था।

उच्च न्यायालय आदेश ने उन सभी ज़मीनों को वन भूमि के रूप में वर्गीकृत कर दिया है, जिन्हें मोटे तौर पर 'बंजर भूमि' समझा जाता था (क्योंकि राजस्व समझौता लागू नहीं हुआ था)। इसका मतलब था कि हिमाचल प्रदेश के राजस्व रिकॉर्ड में केवल दो प्रकार की ज़मीनें थीं — निजी स्वामित्व वाली जमीन और वन भूमि मानी जाने वाली जमीन। हज़ारों वर्ग किलोमीटर में फैले बंजर, पथरीली या वर्तमान में खेती योग्य न रह जाने वाली ज़मीनों को अब संरक्षित वन माना जाने लगा, जिनका उपयोग आम जनता को गरीबी से बाहर निकालने के लिए, किसी भी विकासात्मक गतिविधि के लिए नहीं किया जा सकता था।

समय बीतने के साथ, जन दबाव में, 1971 में राज्य बनने के बाद प्रांत की सरकार ने कुछ प्रगतिशील भूमि सुधार कानून बनाए, और यहाँ तक कि गाँवों में वास्तविक सीमांत और पथरीली ज़मीनों के मालिकाना हक भूमिहीनों, बटाईदारों और दलितों को उनके जीवनयापन के लिए (नवतोड़ नियमों के तहत) दे दिए। इन किसानों की अथक मेहनत से ही इन बंजर ज़मीनों को कृषि योग्य बनाया जा सका ; इनमें से कई किसानों ने बिना सड़क संपर्क वाली खड़ी ढलानों पर सेब के पेड़ लगा दिए।

फिर 1980 में वन संरक्षण अधिनियम (एफसीए) आया, जो देश भर के किसानों के गले की फांस बन गया। इस अधिनियम ने राज्य सरकार की अ-

-पनी क्षेत्रीय सीमाओं के भीतर वन भूमि को पुनर्वर्गीकृत करने की कानूनी क्षमता को छीन लिया और यह अधिकार केंद्र को सौंप दिया । और चूँकि राज्य सरकार की ढिलाई के कारण, राजस्व निपटान अभी तक नहीं किया गया था, इसलिए 1952 की अधिसूचना में जो भी भूमि 'वन' के रूप में वर्गीकृत की गई थी, वह 1980 के बाद एक स्थायी तथ्य बन गई । वन संरक्षण अधिनियम लागू होने से पहले भूमि सुधार के तहत सीमांत और भूमिहीन किसानों को जो भूमि प्राप्त हुई थी, जो वास्तव में बंजर भूमि थी, उसे अब स्थायी रूप से वन भूमि मान लिया गया । बंजर भूमि को उपजाऊ बनाने वाले ये किसान अब कानून की नज़र में 'अतिक्रमणकारी' माने जाने लगे ।

इसके बाद, भूमि पुनर्वितरण प्रक्रिया पूरी तरह से ठप हो गई । यहाँ तक कि शहीद सेना के जवानों की विधवाओं जैसे अत्यंत जरूरतमंद परिवारों को भी सरकार द्वारा जीविका के लिए एक इंच ज़मीन नहीं दी जा सकी । दरअसल, एफसीए के बाद, सरकार के पास विकास कार्यों या सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने की अपनी ज़िम्मेदारियों को पूरा करने के लिए व्यावहारिक रूप से कोई ज़मीन ही नहीं बची थी ।

लेकिन हिमाचल प्रदेश की ग्रामीण जनता पर्यावरण संरक्षण की शब्दावली में इस खुले अन्याय को स्वीकार करने के मूड में नहीं थी । उन्होंने राज्य सरकार पर कोई समाधान निकालने के लिए कुछ करने का दबाव डाला । 2001 में, दबाव में आकर हिमाचल प्रदेश विधानसभा ने अपने भू-राजस्व अधिनियम में एक संशोधन पारित किया, जिसमें एक प्रावधान जोड़ा गया कि अगर किसी किसान ने वन भूमि पर अतिक्रमण किया है, तो वह उस भूमि के नियमितीकरण के लिए आवेदन कर सकता है । अगले ही साल उच्च न्यायालय में इस संशोधन को चुनौती देने वाली याचिका दायर होने से पहले ही किसानों द्वारा 1.6 लाख से ज़्यादा आवेदन दायर किए जा चुके थे ! इससे राज्य में भूमि-उपयोग वर्गीकरण की समस्या की गंभीरता का पता चलता है, और यह भी कि अगर वन विभाग या अदालतें बेदखली के आदेशों को रद्द नहीं करती हैं, तो कितने किसानों की आजीविका छिन सकती है ।

संशोधन की संवैधानिकता का आकलन और उस पर निर्णय होने से पहले ही, उच्च न्यायालय ने इस वर्ष बेदखली और पेड़ों की कटाई के आदेश दे दिए । इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता कि कुछ बड़े भूस्वामियों ने अपने वृक्षारोपण का विस्तार करने के लिए वन प्रजातियों को काटा है और राज्य के वास्तविक वन क्षेत्र को कम किया है, जैसा कि न्यायाधीशों ने कहा है । लेकिन इसे उन छोटे किसानों पर निशाना साधने के लिए इस्तेमाल करना मनमाना है, जिन्हें भूमि सुधार के दिनों में ज़मीन मिली थी और यह राज्य के वर्गीय पक्षपात को उजागर करता है ।

शिमला ज़िले के सेब क्षेत्र में पेड़ों की कटाई और घरों की सीलिंग पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा 28 जुलाई को अंतरिम रोक लगा दी गई । इससे पहले, ए. एफ. एफ. आई. और हिमाचल किसान सभा के कार्यकर्ताओं ने बताया था कि कैसे वन विभाग के जल्लाद बी. पी. एल. (गरीबी रेखा से नीचे) परिवारों के छोटे-छोटे बागों पर टूट पड़े थे । बेचारे किसान असहाय खड़े थे और जल्लादों ने फलों से लदे पेड़ों पर बिजली की चेनसॉ (आरियां) चलाईं और फिर किसानों से ही उनके बाग साफ़ करने का बिल भी वसूला !

29 जुलाई को 'शिमला चलो' आह्वान के बाद मुख्यमंत्री और राजस्व मंत्री के साथ हुई बैठक में, सेब उत्पादकों ने ए. एफ. एफ. आई. और हिमाचल किसान सभा के नेतृत्व में, जिसमें राकेश सिंघा, संजय चौहान, डॉ. कुलदीप सिंह तंवर आदि शामिल थे, के साथ मिलकर सरकार के सामने अपनी माँगें रखीं । सिंघा ने कहा कि अवैध बेदखली करने वाले अधिकारियों पर तुरंत रोक लगाई जाए और सरकार पहले उच्च न्यायालय में एक हलफनामा दायर करे कि जब तक अतिक्रमणों पर नीति नहीं बन जाती, तब तक बेदखली पर रोक रहेगी ।

मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया है कि सरकार किसानों का पक्ष अदालत में रखेगी और राहत दिलाने के लिए सर्वोच्च न्यायालय में भी उनकी पैरवी करेगी । राजस्व मंत्री ने कहा कि उसी दिन कैबिनेट वन सचिव को पेड़ों की कटाई और घरों की सीलिंग रोकने का आदेश देगी और वन अधिकार अधिनियम का सख्ती से पालन कराने के निर्देश देगी । उन्होंने आगे कहा कि अगर कोई अधिकारी इन दावों में बाधा डालता पाया गया, तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी । एएफएफआई और हिमाचल किसान सभा शिकायत दर्ज कराने के लिए सीधे उनसे फोन पर संपर्क कर सकते हैं ।

मुख्यमंत्री ने कहा कि बेदखली से जुड़े मुद्दों के समाधान के लिए जल्द ही एक समिति का गठन किया जाएगा और किसान-हितैषी नीति तैयार की जाएगी, जिसमें एएफएफआई और हिमाचल किसान सभा से भी सुझाव लिए जाएँगे । उन्होंने कहा कि 68 प्रतिशत भूमि को वन भूमि के रूप में वर्गीकृत करने का मुद्दा केंद्रीय पर्यावरण मंत्री के समक्ष उठाया जाएगा और 22 प्रतिशत भूमि, जिस पर वास्तव में वन हैं, के अलावा, राज्य सरकार को शेष भूमि लोगों को आबंटित करने का अधिकार होना चाहिए । उन्होंने आगे कहा कि वह संबंधित मंत्री के समक्ष इस मुद्दे को उठाने के लिए व्यक्तिगत रूप से दिल्ली जाएँगे ।

बैठक के बाद, रैली में यह निर्णय लिया गया कि सरकार को कार्रवाई के लिए 15 दिन का समय दिया जाएगा ; लेकिन अगर किसानों के हित में कोई निर्णय नहीं लिया गया, तो वर्तमान में चल रहे आंदोलन

को और तेज़ किया जाएगा । 13 अगस्त को, एएफएफआई और हिमाचल किसान सभा ने बेदखली और अन्य भूमि संबंधी मुद्दों पर ब्लॉक स्तर पर विरोध प्रदर्शन करने की योजना बनाई है, ताकि संघर्ष की गति को और तेज़ किया जा सके । हमारा रुख़ स्पष्ट है : ऐसे पर्यावरण संरक्षण का कोई मतलब नहीं है, अगर इससे उस ग्रामीण जनता की ही आजीविका छिन जाए, जो उस पर्यावरण की वास्तविक संरक्षक हैं और जिसकी रक्षा के लिए क़ानून और अदालतें इतनी बेचैन हैं । ■

# कर्नाटक : जबरन और अन्यायपूर्ण भूमि अधिग्रहण के खिलाफ किसानों की निर्णायक जीत

टी. यशवंत
(राज्य सचिव, कर्नाटक किसान सभा)

बेंगलुरु ग्रामीण जिले के देवनहल्ली तालुक के चन्नारायपटना होबली के 13 गांवों में जबरन भूमि अधिग्रहण के खिलाफ किसानों का संघर्ष आखिरकार जीत के साथ समाप्त हुआ। 4 अप्रैल 2022 से शुरू हुआ यह आंदोलन 1198 दिनों तक चला। 15 जुलाई 2025 को मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने चन्नारायपटना भूमि अधिग्रहण विरोधी संघर्ष समिति और संयुक्त होराटा कर्नाटक के नेताओं के साथ बैठक में 1,777 एकड़ भूमि के जबरन अधिग्रहण को रद्द करने पर सहमति जताई।

## विरोध क्यों ?

यह भूमि अधिग्रहण कर्नाटक इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट (केआईएडी) एक्ट 1966 के तहत किया जा रहा था। यह कठोर कानून कर्नाटक इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट बोर्ड (केआईएडीबी) को किसानों की भूमि को जबरन, अन्यायपूर्ण और तानाशाही के तरीकों से अधिग्रहित करने की अनुमति देता है, जिससे किसानों के जनतांत्रिक अधिकार और उचित कानूनी सुरक्षा खतरे में पड़ जाती है। इन 13 गांवों के 5 किमी के दायरे में 1,300 एकड़ भूमि पहले ही 2018-19 में एयरोस्पेस और डिफेंस पार्क (फेज 2) के लिए अधिग्रहित की जा चुकी है। इससे पहले, फेज 1, बैंगलोर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे और एयरोस्पेस एसईज़ेड के लिए भी इस होबली की जमीन ली जा चुकी है। अब तक इस क्षेत्र के किसानों से 6,000 एकड़ भूमि छीनी जा चुकी है। गांवों में रहने लायक क्षेत्र तेजी से घट रहे हैं। 2022 में तत्कालीन बीजेपी सरकार ने भूमि अधिग्रहण के लिए एक प्रारंभिक अधिसूचना जारी की थी। जिन किसानों की जमीन अधिग्रहण के लिए चिह्नित की गई, वे पहले ही अपनी जमीन के कुछ हिस्से खो चुके थे या उनके करीबी — मित्र, रिश्तेदार, या पड़ोसी — भूमि खोने के बाद बर्बादी का जीवन जी रहे थे। आज वे बिना किसी भी आमदनी के, दयनीय स्थिति में हैं।

कांग्रेस पार्टी, जो उस समय विपक्ष में थी, ने चुनाव प्रचार के दौरान वादा किया था कि यदि वह 2023 में सत्ता में आई, तो अधिसूचना वापस लेगी। लेकिन सरकार बनने के बाद न केवल उसने अपना वादा तोड़ा, बल्कि अधिग्रहण प्रक्रिया को और तेज कर दिया — यहां तक कि अंतिम अधिसूचना

भी जारी कर दी । जिन जमीनों पर अधिग्रहण का खतरा था, वे बहुत उपजाऊ हैं । यहां के स्थानीय लोग खाद्यान्न, सब्जियां, अंगूर, आम आदि उगाते हैं । वे मवेशी भी पालते हैं, साथ ही रेशम तथा फूलों की खेती भी करते हैं ।

भूमि अधिग्रहण के खिलाफ दृढ़ प्रतिज्ञ ने चन्नारायपटना भूमि अधिग्रहण विरोधी संघर्ष समिति बनाई और होबली के राजस्व उप-कार्यालय के सामने अनिश्चितकालीन धरना शुरू किया । उन्होंने किसान सभा से संबद्ध कर्नाटक प्रांतीय रैथा संघ (केपीआरएस) से संपर्क किया और उसका समर्थन प्राप्त किया, जिसने इस संघर्ष में शुरू से ही अहम भूमिका निभाई । कर्नाटक प्रांथा रैथा संघ के तत्कालीन राज्य अध्यक्ष, स्वर्गीय जीसी बय्या रेड्डी ने इस संघर्ष की मजबूत नींव रखी थी और अपनी मृत्यु (4 जनवरी को) तक इस आंदोलन का नेतृत्व किया । उनकी आकस्मिक मृत्यु से उत्पन्न नेतृत्व के संकट को संयुक्त होराटा कर्नाटक के सक्रिय और संघर्षशील सहयोग से संघर्ष समिति ने सफलतापूर्वक पार किया ।

यह संघर्ष राष्ट्रीय स्तर पर तब महत्वपूर्ण बन गया जब संयुक्त होराटा कर्नाटक के घटक संगठनों, जैसे किसान सभा, सीटू, एआईएडब्लूयू, जनवादी महिला समिति, और केआरआरएस के विभिन्न धड़ों (बडगलापुरा नागेन्द्र, एच आर बसवराजप्पा, चुक्की नंजनदास्वामी के नेतृत्व में), संयुक्त ट्रेड यूनियन समिति, और दलितों, युवाओं, महिलाओं, छात्रों आदि के संगठनों ने इसमें व्यापक जनाधार जोड़ा ।

चन्नारायपटना के किसानों के संघर्ष के समर्थन में, संयुक्त होराटा कर्नाटक ने 25 जून 2025 को 'देवनहल्ली चलो-जेल भरो' का आह्वान किया । यह आह्वान राज्य स्तरीय जनाग्रह समावेश (जनता की मांगों पर कन्वेंशन) में पारित प्रस्ताव के तहत किया गया था, जिसमें राज्य सरकार के साधना समावेश (सफलता कन्वेंशन) की नैतिकता पर सवाल उठाया गया । इस संघर्ष के आह्वान को पूरे राज्य में अभूतपूर्व समर्थन मिला । किसान, मज़दूर, दलित, महिलाएँ, छात्र और युवा बड़ी संख्या में पुलिस की तमाम रुकावटों को दरकिनार करते हुए इकट्ठा हुए । फिल्म अभिनेता और सामाजिक कार्यकर्ता प्रकाश राज भी इसमें शामिल हुए ।

बिना किसी उकसावे के, पुलिस ने — जिसने पहले ही प्रदर्शन की अनुमति देने से इनकार कर दिया था — अत्यधिक बल प्रयोग किया । दोपहर चढ़ते-चढ़ते सैकड़ों प्रदर्शनकारियों को घसीटते हुए बेरहमी से गिरफ़्तार किया गया । गिरफ़्तार किए गए संयुक्त होराटा कर्नाटक के सभी नेता और प्रदर्शनकारीयों ने रिहा होने से इनकार करते हुए यह मांग करने लगे कि या तो उन्हें जेल भेजा जाए या फिर ज़बरन भूमि अधिग्रहण रद्द किया जाए । तनाव को कम करने के प्रयास में, मुख्यमंत्री ने 4 जुलाई को नेताओं को बातचीत के लिए आमंत्रित किया । इन वार्ताओं से पहले, सरकार पर दबाव बनाने के लिए बेंग-लुरु में अनिश्चितकालीन दिन-रात का धरना-प्रदर्शन शुरू किया गया, जिसने जेल भरो की जगह ली ।

इस संघर्ष के समर्थन में कर्नाटक के विभिन्न जनवादी और संघर्षशील संगठनों के नेताओं ने इन प्रदर्शनों को संबोधित किया, जिनमें कर्नाटक प्रांतीय रैथा संघ के महासचिव टी. यशवंत व अध्यक्ष यू. बसवराज, एआईएडब्लूयू के राज्य सचिव चंद्रप्पा होस्केरा व अध्यक्ष एम. पुट्टमाडु, सीटू के राज्य नेता — एस. वरलक्ष्मी और मीनाक्षी सुन्दरम, सीपीआईएम कर्नाटक के राज्य सचिव के. प्रकाश शामिल थे । साथ ही अन्य प्रमुख कार्यकर्ता जैसे नूर श्रीधर, और बेंगलुरु ग्रामीण ज़िले के कई नेता जैसे प्रभा एन बेलावंगला, चंद्र तेजस्वी, नरसिंहमूर्ति, हरिन्द्र आदि भी शामिल हुए । विशिष्ट अतिथियों में प्रोफेसर प्रकाश कम्मारडी (पूर्व अध्यक्ष, कर्नाटक कृषि मूल्य आयोग) और सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति वी. गोपालगौड़ा भी उपस्थित रहे ।

चन्नारायपटना के किसानों के संघर्ष को समर्थन देने के लिए राष्ट्रीय संयुक्त किसान मोर्चा के नेता किसान सभा के महासचिव डॉ. विजू कृष्णन, एआईएडब्लूयू के महासचिव बी. वेंकट राकेश टिकैत, डॉ. दर्शन पाल, डॉ. सुनीलम, और युधवीर सिंह ने बेंगलुरु की यात्रा की और किसानो को समर्थन दिया । इन नेताओं ने राज्य सरकार को चेतावनी दी कि यदि किसानों की वैध और कानूनी मांगों को पूरा नहीं किया गया, तो यह संघर्ष पूरे देश में फैलेगा ।

सरकार पर बढ़ते दबाव के बीच, मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने 4 जुलाई को आंदोलनकारियों से मुलाकात की और निर्णय लेने के लिए 10 दिन का समय मांगा । इसके बाद 15 जुलाई को हुई बैठक में उन्होंने सभी भूमि अधिग्रहण अधिसूचनाओं को रद्द करने की घोषणा की ।

साढ़े तीन साल से अधिक लंबे संघर्ष के बाद, किसानों ने आखिरकार जीत हासिल की — पुलिस की बर्बरता, झूठे मुकदमे और सरकार द्वारा प्रायोजित 'फूट डालो और राज करो' की नीति को मात देते हुए । हरे, नीले और लाल झंडो वाले संगठनो से जुड़े किसानो के संयुक्त आंदोलन द्वारा लड़ा गया यह विजयी संघर्ष कर्नाटक के आंदोलनों के इतिहास में एक नया अध्याय बन गया है । इसने शोषित जनता के बीच एक नई उम्मीद और आत्मविश्वास को पैदा किया है । इस पूरे आंदोलन में वामपंथी दलों, विशेष रूप से सीपीआई(एम) द्वारा विभिन्न स्तरों पर दिए गए सक्रिय और पूर्ण समर्थन का भी विशेष उल्लेख किया जाने की जरुरत है । ■

# गुजरात : एक डेयरी किसान की मौत

## हीमतनगर पहुँचा किसान सभा प्रतिनिधिमंडल

दयाभाई गजेरा
(राज्य अध्यक्ष, गुजरात किसान सभा)

21 जुलाई 2025 को 42 वर्षीय डेयरी किसान अशोक चौधरी की दुखद मृत्यु के बाद किसान सभा और जनवादी आन्दोलन का एक प्रतिनिधिमंडल हीमतनगर पहुँचा। इस प्रतिनिधिमंडल ने चौधरी की मौत की परिस्थितियों की न्यायिक जांच की माँग की और उनके परिवार को एक करोड़ रुपये का मुआवज़ा देने सहित कई अन्य माँगें रखीं। चौधरी की मौत का संबंध भाजपा-नियंत्रित साबरकांठा जिला दुग्ध उत्पादक संघ (साबर डेयरी) में व्याप्त लंबे समय से जारी भ्रष्टाचार से जोड़ा कर देख जा रहा है। क्षेत्र के डेयरी किसान प्रबंधन में भ्रष्टाचार और कुप्रबंधन को लेकर लगातार आवाज़ उठा रहे हैं। पिछले वर्ष, किसान सभा के नेतृत्व में हुए एक सफल आंदोलन के बाद, डेयरी को अपने लाभांश (डिविडेंड) में वृद्धि करनी पड़ी थी। लेकिन इस वर्ष प्रबंधन ने फिर से लाभांश घटा दिया, जिससे किसानों में आक्रोश फैल गया।

14 जुलाई को एक अज्ञात संदेश के बाद बड़ी संख्या में किसान डेयरी के बाहर एकत्र हुए, जहाँ पुलिस ने अत्यधिक बल प्रयोग किया। अशोक चौधरी, जो डेयरी गेट के सामने खड़ी एक गाड़ी में बैठे थे, पुलिस की कार्रवाई में फँस गए। भारी मात्रा में छोड़े गए आँसू गैस के कारण वाहन के अंदर दम घुटने की स्थिति पैदा हो गई। बाहर चल रहे लाठीचार्ज के कारण वे वाहन से बाहर नहीं निकल सके और उनकी रक्तचाप तेजी से गिर गया। उन्हें एक के बाद एक कई अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका।

किसानों ने डेयरी सहकारी समितियों में व्याप्त भ्रष्टाचार और सत्तारूढ़ पार्टी की राजनीतिक भर्तियों पर चिंता जताई है। किसानों का आरोप है कि इन समितियों के धन का उपयोग राजनीतिक कार्यक्रमों के आयोजन में किया जा रहा है, जिनमें प्रधानमंत्री और राज्यपाल जैसी हस्तियों की यात्राएँ शामिल हैं, जबकि वास्तविक उत्पादकों यानी किसानों को उनका वाजिब हक नहीं दिया जा रहा। इस धन के दुरुपयोग ने पहले से ही बढ़ती लागत और दूध की कम खरीद कीमतों से जूझ रहे किसानों की समस्याओं को और बढ़ा दिया है।

प्रतिनिधिमंडल ने ईदर तहसील के जीजवा गांव का दौरा किया और पीड़ित परिवार से मुलाकात की। उन्होंने अशोक चौधरी की पत्नी और तीन बच्चों के प्रति संवेदना प्रकट की। प्रतिनिधिमंडल ने जीजवा दूध उत्पादक मंडली के अध्यक्ष और गांव के अन्य किसान नेताओं से भी बातचीत की।

इससे पहले हीमतनगर के पटेल वाड़ी में किसान सभा के नेतृत्व में डेयरी किसानों की एक बैठक हुई। किसानों को इस बैठक में शामिल होने से रो-

-कने के प्रयासों के बावजूद बड़ी संख्या में लोग जुटे, जहाँ उन्होंने अशोक चौधरी को श्रद्धांजलि दी और भाजपा-शासित राज्य सरकार की किसान विरोधी नीतियों की आलोचना की ।

बैठक में एक महत्वपूर्ण मुद्दा दूध के उपभोक्ता मूल्य और खरीद मूल्य के बीच का भारी अंतर था, जो वर्तमान में 17 रुपये प्रति लीटर है । किसानों का कहना है कि सहकारी समितियाँ बड़े पैमाने पर लाभ कमा रही हैं, लेकिन उसका उचित हिस्सा किसानों को नहीं मिल रहा । बैठक में माँग की गई कि सभी डेयरी सहकारिताएँ अपना अधिशेष लाभांश के रूप में दूध उत्पादक किसानों के साथ साझा करें और दूध का खरीद मूल्य 60 रुपये प्रति लीटर किया जाए । इसके अलावा, किसानों ने राज्य सरकार से 10 रुपये प्रति लीटर की सब्सिडी देने की भी माँग की ताकि किसानों को आर्थिक संकट की इस स्थिति में कुछ राहत मिल सके ।

वक्ताओं ने यह भी कहा कि पहले जो सहकारी समितियाँ किसानों द्वारा चलाई जाती थीं, अब वे भाजपा के राजनीतिक नियंत्रण में आ गई हैं और उनका उपयोग राजनीतिक स्वार्थ के लिए किया जा रहा है । यह भी उल्लेखनीय है कि साबर डेयरी का लाभांश, जो पहले 16-17.5 प्रतिशत हुआ करता था, अब घटकर मात्र 9.5 प्रतिशत रह गया है, जबकि संचालन सामान्य है । यह गिरावट, कथित रूप से, सहकारी समितियों के धन के राजनीतिक उपयोग के कारण हुई है ।

प्रतिनिधिमंडल में किसान सभा के वित्त सचिव कृष्णप्रसाद, किसान सभा सचिवमंडल सदस्य पुष्पेंद्र त्यागी, जनवादी आन्दोलन के नेता मुरलीधरन व एच. आई. भट्ट, और गुजरात किसान सभा के महासचिव दयाभाई गजेरा व संयुक्तसचिव परशोतम परमार शामिल थे । ■

# महाराष्ट्र : भूमि बचाने के लिए बड़े संघर्ष की तैयारी

उमेश देशमुख
(राज्य अध्यक्ष, महाराष्ट्र किसान सभा)

छत्रपति संभाजीनगर (औरंगाबाद) में 13 मई को अखिल भारतीय किसान सभा की महाराष्ट्र इकाई द्वारा आयोजित राज्यव्यापी भूमि अधिकार सम्मेलन ने, 2 जून को राज्य भर में व्यापक जन आंदोलन करने का आह्वान किया गया। यह आंदोलन वन भूमि, देवस्थान (मंदि--र ट्रस्ट) भूमि, इनाम भूमि, चरागाह भूमि और अन्य भूमि को किसानों के नाम पर दर्ज करने व भाजपा-शासित केंद्र एवं राज्य सरकारों द्वारा अनावश्यक हाईवे तथा अन्य अभिजात्य परियोजनाओं के लिए किये जा रहे अंधाधुंध, मनमाने व अन्यायपूर्ण भूमि अधिग्रहण को समाप्त करने जैसे ज्वलंत भूमि-संबंधी मुद्दों पर केंद्रित था।

यह कन्वेंशन के किसान सभा पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और 1943-46 में अंग्रेजी शासन के विरुद्ध ऐतिहासिक सतारा समानांतर सरकार के महान नेता क्रांतिसिंह नाना पाटिल के नाम पर बने सभागार में आयोजित की गया थी। संभाजीनगर मराठवाड़ा क्षेत्र की राजधानी है और महाराष्ट्र के भौगोलिक केंद्र में स्थित है। सभागार में 18 जिलों से आए 500 से अधिक प्रतिनिधि थे, जिनमें कई महिलाएँ भी शामिल थीं, सभागार पूरी तरह से खचा-खच भरा हुआ था।

ध्वजारोहण के बाद शहीदों को पुष्पांजलि अर्पित की गई और पहलगाम में आतंकवादियों द्वारा मारे गए निर्दोष भारतीयों तथा बाद में पाकिस्तान की गोलीबारी में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी गई।

कन्वेंशन का उद्घाटन किसान सभा के राष्ट्रीय महासचिव विजू कृष्णन ने किया, जिन्होंने भूमि प्रश्न पर किसान सभा के राष्ट्रीय दृष्टिकोण को विस्तार से प्रस्तुत किया। 1940 के दशक में किसान सभा द्वारा संचालित गौरवशाली सामंतवाद-विरोधी संघर्षों की विरासत की सराहना करते हुए, उन्होंने सरकार-कॉर्पोरेट गठजोड़ की भूमि हड़पने की साजिश पर प्रहार किया, जिसका हर कीमत पर विरोध किया जाना चाहिए।

कन्वेंशन का मुख्य प्रस्ताव महाराष्ट्र किसान सभा के राज्य महासचिव अजीत नवले द्वारा रखा गए और इसका समर्थन महाराष्ट्र किसान सभा के राज्य अध्यक्ष उमेश देशमुख ने किया। यह प्रस्ताव महाराष्ट्र में भूमि से जुड़े प्रमुख मुद्दों और माँगों को लेकर था। इसकी प्रतियाँ सभी प्रतिनिधियों को दी गईं।

महाराष्ट्र में भूमि संघर्षों का एक लंबा और गौरवपूर्ण इतिहास रहा है, जिसकी शुरुआत 1945-47 के ठाणे-पलघर जिले में, किसान सभा के नेतृत्व में चले प्रसिद्ध वारली आदिवासी विद्रोह से होती है। इसके बाद 2018 में नासिक से मुंबई तक हुए सुप्रसिद्ध किसान लॉन्ग मार्च और अन्य कई आंदोलनों ने इस इतिहास को और समृद्ध किया।

राज्य के 14 प्रतिनिधियों ने विभिन्न भूमि मुद्दों पर अपने संघर्षों का अनुभव साझा किया। सीपीआईएम से युवा विधायक (दो बार चुने गए) विनोद निकोले, जो पालघर जिले के दहानू (एसटी) क्षेत्र से हैं, ने विधानसभा में भूमि संघर्षों का समर्थन करने का वादा किया।

कन्वेंशन का समापन भाषण किसान सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक ढ़वले द्वारा दिया गया जिसमे, उन्होंने भूमि प्रश्न पर चल रहे महत्वपूर्ण संघर्ष का संक्षिप्त विश्लेषण प्रस्तुत किया। उन्होंने ग्रामीण अमीरों और देशी-विदेशी कॉरपोरेट लॉबी, जो आज के समय की नई ज़मींदारी का प्रतिनिधित्व करती है, के खिलाफ गरीब किसानों व खेत मजदूरों के भूमि अधिकारों के संघर्ष को कई गुना तेज करने का आह्वान किया। उन्होंने मोदी सरकार द्वारा यूके, ईयू और यूएसए के साथ की जा रही किसान-विरोधी और जनविरोधी व्यापार संधियों की भी आलोचना की।

हाल ही में नासिक में किसान सभा द्वारा आयोजित राज्यव्यापी महिला किसान कन्वेंशन के दस्तावेजों और भाषणों को लेकर एक नया 72-पृष्ठीय मराठी पुस्तिका महिला प्रतिनिधियों द्वारा जारी की गई।

राज्य परिषद ने इस सम्मेलन की बेहतरीन व्यवस्था करने के लिए किसान सभा संभाजीनगर इकाई को बधाई दी।

भूमि अधिकार कन्वेंशन के आह्वान के अनुसार, 2 जून को महाराष्ट्र के 16 जिलों में लगभग 15,000 किसानों ने सड़कों पर उतरकर विभिन्न भूमि से जुड़े मुद्दों पर जिला और तहसील मुख्यालयों पर प्रदर्शन किए, संबंधित अधिकारियों को ज्ञापन सौंपे, और कई स्थानों पर प्रशासन के साथ सार्थक चर्चा भी हुई। कुछ स्थानों पर स्थानीय मुद्दों का समाधान भी हुआ। ठाणे-पलघर जिलों की 7 तहसीलों में 10,150 से अधिक लोगों ने बड़े पैमाने पर प्रदर्शन किया, उसके बाद नंदुरबार जिले से 1,350 और नांदेड जिले से 550 किसानों इन प्रदर्शनों में भाग लिया। ■

# तमिलनाडु : केंद्र सरकार ने की धान खरीद में धोखाधड़ी

बी. तुलसी नारायण
(राज्य संयुक्त सचिव, तमिलनाडु किसान सभा)

मई 2025 के पहले सप्ताह में, चेन्गलपट्टू और तिरुवन्नामलाई जिलों के किसानों ने अखिल भारतीय किसान सभा तमिलनाडु जिला नेताओं से संपर्क करके एक गंभीर संकट की जानकारी दी: उन्होंने अपनी काटी हुई धान की फसल नेशनल कोऑपरेटिव कंज्यूमर्स फेडरेशन ऑफ इं--डिया (एनसीसीएफ) द्वारा संचालित खरीद केंद्रों को दी थी, लेकिन 45 दिनों से अधिक बीत जाने के बाद भी उन्हें एक भी रुपया भुगतान नहीं मिला था। खरीद के लिए जिम्मेदार एजेंटों ने कोई भुगतान नहीं किया, जिससे किसान समुदाय में भारी संकट पैदा हुआ।

किसान सभा के राज्य संयुक्त सचिव बी. तुलसी नारायण के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल — जिसमें वी. हरिकृष्णन, के. वासुदेवन, टी. विजयकांत (चेन्गलपट्टू जिला) और टी. के. वेंकटेशन, एस. अरुणकुमार, एस. जयकुमार, एम. दामोदरन (तिरुवन्नामलाई जिला) शामिल थे — ने प्रभावित किसानों से मुलाकात की और खरीद केंद्रों का निरीक्षण किया। जांच में किसानों की शिकायतें पूरी तरह सही पाई गईं।

## मुख्य निष्कर्ष :

- केंद्रों में बुनियादी ढांचे की भारी कमी थी, जैसे कि धान को सुरक्षित रखने के लिए पक्का फर्श नहीं था ।
- कोई भंडारण सुविधा (गोदाम या शेड) मौजूद नहीं थी ।
- कार्यालय भवन तक नहीं बने थे ।
- धान को ढकने के लिए जरूरी तिरपाल जैसी वस्तुएं भी उपल-
  -ब्ध नहीं थीं ।
- 60 दिन से अधिक समय बीत चुका था, फिर भी किसानों को भुगतान नहीं किया गया था ।
- धान खुले में धूप और बारिश में फेंका हुआ पाया गया ।

आगे की जांच से पता चला कि चेन्गलपट्टू के सभी 23 केंद्रों और तिरुवन्नामलाई के 27 केंद्रों में यही स्थिति थी, जिससे व्यापक चिंता फैली । इस पर प्रतिक्रिया देते हुए तमिलनाडु किसान सभा ने किसानों को संगठित कर सड़क पर जाम कर विरोध प्रदर्शन किए और सरकार से तुरंत हस्तक्षेप की मांग की । राज्य महासचिव कॉमरेड सामी नटराजन द्वारा जारी प्रेस वक्तव्य के कारण मीडिया में यह मुद्दा उभर कर सामने आया, जिससे अंततः सरकार और प्रशासन हरकत में आए ।

इसके बाद किसान सभा द्वारा किए गए आंदोलन और सड़क जाम के कारण राज्य सरकार ने तुरंत कार्रवाई करते हुए निम्नलिखित कदम उठाए:

- तमिलनाडु सिविल सप्लाइज कॉर्पोरेशन द्वारा फंसे हुए धान की तुरंत खरीद की गई ।
- जिला प्रशासन ने बकाया भुगतान की प्रक्रिया को तीव्र किया और सभी किसानों को उनका बकाया चुकाया गया ।
- राज्य सरकार ने एनसीसीएफ द्वारा संचालित सभी खरीद कें-
  -द्रों को अपने नियंत्रण में ले लिया ।

फिर भी हमारी मुख्य चिंता बनी हुई है : ये कदम तब उठाए गए जब किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ा और लाखों बोरी धान बारिश में बर्बाद हो चुकी थी । अगर सरकार या उसके अधिकारियों के पास इसका जवाब है, तो हम उसे सुनने के लिए तैयार हैं । पर उनके पास कोई जवाब नहीं है ।

## हम अब निम्नलिखित गंभीर प्रश्न उठा रहे हैं :

- एनसीसीएफ को किस आधार पर खरीद केंद्र खोलने की अनु-
  -मति दी गई, जबकि उनके पास कोई बुनियादी ढांचा नहीं था ? यह संस्था 8 जिलों-चेन्गलपट्टू, कांचीपुरम, तिरुवल्लूर, तिरु-
  -वन्नामलाई, वेल्लोर, रानीपेट, तिरुपत्तूर, और विल्लुपुरम में 150 से अधिक केंद्र कैसे खोल सका ?
- इन जिलों में 500 करोड़ रुपये से अधिक का भुगतान लंबित बताया गया है । जिम्मेदार लोगों पर कितने कानूनी मामले दर्ज किए गए हैं ? यदि कोई नहीं, तो क्यों ?
- तमिलनाडु सिविल सप्लाइज कॉर्पोरेशन, राजस्व विभाग और कृषि विभाग ने 1440 घंटे तक चुप्पी क्यों साधे रखी, जबकि नियमों के अनुसार 48 घंटे में भुगतान अनिवार्य है ?
- खरीदे गए धान की मिलिंग की गई और क्या वह एफसीआई (भारतीय खाद्य निगम) को दी गई ? क्या जिला प्रशासन ने इस प्रक्रिया की निगरानी की ?
- टीएनसीएससी द्वारा एनसीसीएफ को 170 करोड़ रुपये की अग्रिम राशि दी गई थी । क्या इसके बदले तमिलनाडु को उत-
  -नी मात्रा में चावल मिला है ? एनसीसीएफ ने अभी तक सही हिसाब क्यों नहीं दिया है ? यह किसी मंत्री की निजी संपत्ति नहीं, बल्कि जनता का पैसा है — करदाताओं से इकट्ठा किया गया धन !
- क्या सरकार में कार्यरत प्रशासनिक अधिकारी और पीएचडी धारक अर्थशास्त्री नहीं जानते कि इस तरह की लापरवाही सार्वजनिक खरीद प्रणाली को कमजोर करती है, खाद्य सुरक्षा को खतरे में डालती है, तथा किसानों की आजीविका पर चोट करती है ?

## निष्कर्ष :

पिछले साल तमिलनाडु किसान सभा ने जोरदार तरीके से राज्य सरकार को चेतावनी दी थी कि केंद्र सरकार की एनसीसीएफ को धान खरीद में शामिल न किया जाए । हमने तमिलनाडु भर में अपनी आवाज़ उठाई । दुर्भाग्यवश, हमारी चेतावनियों को नजरअंदाज कर

दिया गया। आज वही आशंकाएं एक कड़वी सच्चाई बन गई हैं।

## हां, यह राज्य के शासकों के लिए एक सबक है !

भविष्य में केवल तमिलनाडु राज्य सरकार को ही धान खरीद की पूरी प्रक्रिया को संभालना चाहिए। यह न केवल तमिलनाडु के किसानों के लिए बल्कि पूरे भारत के किसान समुदाय के लिए एक चेतावनी है। यह मोदी सरकार की विफलता को उजागर करता है कि वह हमारे किसानों की कीमती उपज को सही ढंग से खरीदने व सँभालने में अक्षम है। ■

# मध्यप्रदेश : ग्वालियर चंबल संभाग से शुरू हुआ भूमि अधिकार सम्मेलनो का सिलसिला

## प्रदेश में भूमि अधिग्रहण, मुआवजा,पट्टे, आवास, अन्य भूमि सम्बन्धी समस्याओं को लेकर 25 सितंबर को भोपाल में होगा जुझारू आंदोलन

अशोक तिवारी
(राज्य अध्यक्ष, मध्य प्रदेश किसान सभा)

ग्वालियर-चंबल संभाग के मुरैना, ग्वालियर, भिंड, दतिया आदि जिलों के किसानों का भूमि अधिकार सम्मेलन 17 अगस्त को ग्वालियर में राजमहल गार्डन में संपन्न हुआ। इसमें सम्भाग के विभिन्न जिलों के किसानों की भूमि अधिग्रहण के नाम पर की जा रही बेदखली, नाम मात्र का मुआवजा देकर किसानों को जमीन से हटाया जाना, प्रदेश में भूमि अधिकार कानून 2013 को लागू नहीं किया जाना और उसके अनुसार मुआवजा नहीं देकर किसानों को नाम मात्र का मुआवजा दिया जाना, इसी तरह कृषि भूमि के पट्टे और उन पर कब्जा, ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में आवास के पट्टे और आवास, इसके अलावा मालनपुर में क्रेशर लगाने के नाम पर किसानों  की बेदखली और पूर्व में औद्योगिक क्षेत्र विकास के नाम पर किसानों की जमीन की लूट सहित, डबरा तहसील के आदिवासी किसानों की आवास, पट्टे की समस्याएं, घाटीगांव के किसानों के कृषि भूमि के पट्टे और उससे जुड़ी हुई कब्जे की समस्याएं, साडा क्षेत्र के किसानों की मांगें व समस्याएं आदि सहित किसानों के जमीन संबंधी मामलों को लेकर यह सम्मेलन आयोजित किया गया। इसका आयोजन  मध्य प्रदेश किसान सभा ने किया। जिसमें सैकड़ो की संख्या में किसानों के संघर्षों की अगुवाई कर रहे महिला और पुरुष कार्यकर्ताओं और नेताओं ने भागीदारी की।

इस सम्मेलन को संबोधित करते हुए जाने माने किसान नेता अखिल भारतीय किसान सभा के राष्ट्रीय संयुक्त सचिव बादल सरोज ने कहां कि अखिल भारतीय किसान सभा का गठन 11 अप्रैल 1936 को हुआ है।  गठन के बाद से ही देश में अंग्रेजी राज को खत्म करने के लिए किसानों ने ऐतिहासिक संघर्ष किए और हमें राजनीतिक आजादी मिली। लेकिन आज भी किसानों की समस्याएं मुंह-वाए खड़ी हुई है। किसानों ने 13 महीने तक दिल्ली के 6 बोडरों पर कृषि विरोधी तीन कानून को रद्द करने के लिए ऐतिहासिक संघर्ष चलाया है। जिसमें 736 से ज्यादा हमारे किसान सा-

जबरिया बेदखली एवं अधिग्रहण के खिलाफ

# भूमि अधिकार सम्मेलन

## ग्वालियर चंबल संभाग

AIKS

म.प्र. किसान सभा

-थी शहीद हुए, लेकिन अंततः मोदी सरकार को झुकना पड़ा और तीनों कृषि विरोधी कानून वापस हुए, किसानों की ऐतिहासिक जीत हुई । इससे पहले भूमि अधिग्रहण के नाम पर जो अध्यादेश केन्द्र सरकार द्वारा जारी किए गए थे, उसके खिलाफ भी, भूमि अधिकार आंदोलन (बीएए) के नाम से देशव्यापी एकजुट किसान संगठन बना, देशव्यापी संघर्ष चलाया गया और एकजुट किसान संघर्ष की जीत हुई । किसान जब-जब लड़े हैं तब तब जीते हैं । चंबल की जमीन को बचाने के संघर्ष में पांच बार किसानों ने जीत हासिल की है और आगे भी अटल प्रोग्रेस से लेकर, ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस हाईवे, बायपास रोड, टोंगा तालाब आदि को लेकर के संघर्ष जारी है और निश्चित रूप से किसानों की जीत होगी । इसी तरह से प्रदेश भर में किसानों की जमीन की जो लूट की जा रही है । खासकर आदिवासी क्षेत्रों में यह लूट वेतहाशा रुप से जारी है । उसके खिलाफ प्रदेश भर के किसान 25 सितंबर को भोपाल में पहुंचेंगे और एकजुट संघर्ष को ओर तेज करेंगे । उन्होंने सरकार के साम्राज्यवाद परस्त और पूंजीवादी रवैया की कड़ी आलोचना की । जाति और धर्म के नाम पर फूट डालने  के षड्यंत्र को समझने और किसानों के संघर्ष को मजबूत बनाने की अपील की ।

इस सम्मेलन का उद्घाटन मध्य प्रदेश किसान सभा के प्रदेश अध्यक्ष अशोक तिवारी ने किया । उन्होंने किसानों के संघर्षों की विरासत, वर्तमान में चलाए जा रहे किसानों के जुझारू संघर्षों का ब्योरा रखते हुए, आगामी दिनों में संघर्षों को तेज करने का आग्रह किया । साथ ही संगठन को मजबूत बनाने की अपील भी किसान कार्यकर्ताओं से की । प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में जो किसानों के संघर्ष चल रहे हैं उन्हें प्रदेश भर में एकजुट करने और संघर्षों को तेज करने का आगह किया ।

भूमि अधिकार सम्मेलन में आगामी आंदोलन का प्रस्ताव मध्य प्रदेश किसान सभा के प्रांतीय महासचिव अखिलेश यादव ने रखते हुए कहा कि अब समय आ गया है, प्रदेश भर में विभिन्न मुद्दों को लेकर चलाए जा रहे संघर्ष को एकजुट किया जाए और इसके साथ ही संघर्ष को तेज करने और सरकार को किसानों  की समस्याओं का हल करने के लिए बाध्य करने के लिए 25 सितंबर को भोपाल में जुझारू और एकजुट आंदोलन किया जाए । यह प्रस्ताव उन्होंने सम्मेलन में प्रस्तुत किया । जिसका किसान कार्यकर्ताओं ने करतल ध्वनि से और हाथ उठाकर समर्थन किया और जोरदार नारों के साथ 25 सितंबर को भोपाल चलो की तैयारी के लिए जुड़ने और किसानों को जोड़ने का संकल्प लिया ।

भूमि अधिकार सम्मेलन की अध्यक्षता वरिष्ठ किसान नेता गयाराम सिंह धाकड़, प्रेम नारायण माहौर, तलविंदर सिंह ने की । इस सम्मेलन में विभिन्न संघर्षों के नेतृत्वकारी साथियों ने अपने अनुभव साझा किए ।

अटल प्रोग्रेस वे सड़क परियोजना के बारे में बोलते हुए चम्बल घाटी संघर्ष समिति के नेता राकेश शुक्ला ने कहा कि यह परियोजना भिंड, मुरैना, श्योपुर कलां तीन जिलों से निकलने वाली 416 किलो मीटर की इस सड़क परियोजना है । इससे लघु, सीमांत कृषक परिवार लगभग 1 लाख 7 हजार प्रभावित हो रहे हैं । इसके विरोध में 2022 से लगातार किसानों का आंदोलन जारी है । अभी तक 150 से ज्यादा छोटी बड़ी सभाएं, धरना, प्रदर्शन, आंदोलन किए जा चुके हैं । जिसके चलते सरकार को इस परियोजना को मार्च 2023 में होल्ड पर लगाना पड़ा है । अभी तक परियोजना पर काम रुका हुआ है । किसानों की जीत हुई है, आगे भी संघर्ष जारी है ।

सम्मेलन में बोलते हुए किसान सभा के नेता जितेन्द्र आर्य ने कहा कि ग्वालियर जिले के की डबरा तहसील में शक्कर कारखाना क्षेत्र में पीढ़ियों से रह रहे आदिवासी परिवारों को विस्थापित करने की बार-बार कार्यवाही की जाती है । उन्हें आवास और पट्टे नहीं दिए गए हैं । वह लगातार किसान सभा के नेतृत्व में संघर्ष कर रहे हैं । प्रशासन संघर्ष के चलते उनको हटा नहीं पाया है । आगे पट्टे और आवास के लिए संघर्ष जारी है ।

भूमि अधिकार सम्मेलन में बोलते हुए क्षेत्र विशेष विकास प्राधिकरण ग्वालियर (साडा) में जिन किसानों की जमीन अधिग्रहित हुई है उनके नेता शिवचरण यादव पटेल ने कहा कि किसानों को जो आश्वासन दिए गए थे वह अभी तक पूरे नहीं हुए हैं । मुआवजा भी नाम मात्रा का मिला है । रोजगार और जमीन तथा बढ़ा हुआ मुआवजा देने के लिए किसानों का संघर्ष लगातार जारी है । पहले भी हम जीते हैं और आगे भी हम जीतेंगे ।

ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस हाईवे जो ग्वालियर जिले के सुषेरा गांव से मुरैना जिला के 25 गांवों से होते हुए धोलपुर राजस्थान से आगरा उत्तरप्रदेश तक 88 किलोमीटर लम्बी सड़क परियोजना है इसमें विधि सम्मत उत्तर प्रदेश के किसानों को दिए जाने वाले मुआवजे के बराबर मुआवजा के लिए किसान सभा के नेतृत्व में संघर्ष कर रहे किसानों के नेता सियाराम सिंह हर्षाना, रामप्रकाश सिंह गुर्जर रिटायर्ड शिक्षक ने कहा कि हमारा संघर्ष जारी है । हमने सरकार को पीछे हटने के लिए मजबूर किया हुआ है । आगामी दिनों में हम और व्यापक और एकजुट संघर्ष करेंगे और जीत हमारी ही होगी ।

भिंड - मालनपुर में किसानों की जमीन पर कब्जा कर क्रेशर चलाने वालों के खिलाफ, किसानों की मांगों को लेकर जारी संघर्ष का नेतृत्व कर रहे किसान सभा के नेता वीरेंद्र सिंह कुशवाह ने कहा कि हमारा संघर्ष जारी है हम संघर्ष को और व्यापक और तेज करेंगे । इसी तरह से हम आवास के पट्टे और आवास के लिए संघर्ष कर रहे हैं तथा मालनपुर औद्योगिक क्षेत्र में किसानों की जो जमीन अधिग्रहित हुई है । उसमें मुआवजे के लिए

और परिवार के लोगों को रोजगार देने के लिए भी हमारा संघर्ष जारी है, जो जीत की ओर बढ़ेगा । भिंड के किसानों की समस्या को किसान नेता राजेश शर्मा ने रखा और कहा कि हमारा संघर्ष जारी है और इसे और मजबूत किया जाएगा ।

सबलगढ़ बाईपास आंदोलन के नेता किसान सभा के नरेश गोस्वामी ने कहा के हम अपनी वेशकीमती जमीन को बचाने के लिए और जिन किसानों की जमीन अधिग्रहित होगी उनको समुचित मुआवजे के लिए, बायपास रोड का एलाइनमेंट बदलकर नहर कैनाल से बायपास रोड निकालने की मांग को लेकर और जिस क्षेत्र में किसानों की जमीन अधिग्रहित की जाएगी उन किसानों को भूमि अधिग्रहण कानून 2013 के अनुसार मुआवजा देने के लिए हम सभी किसान लगातार 01 वर्ष से संघर्ष कर रहे हैं । हमारा संघर्ष जीत की और अग्रसर है हम अवश्य जीतेंगे ।

टोंगा तालाब की मरम्मत और उससे खेतों में जल भराव के मुआवजे के लिए भी हमारा संघर्ष जारी है । उसमें भी बरसात के बाद तालाब की मरम्मत का काम शुरू होने की स्थिति है । हमारा संघर्ष जीत की ओर बढ़ रहा है ।

इसी तरह से जोरा के महत्वपूर्ण आवास आंदोलन और कैलारस के आवास आंदोलन के बारे में बोलते हुए किसान सभा के मुरैना के कार्यकारी जिला महासचिव ओमप्रकाश श्रीवास ने कहा कि हम एकजुट और जुझारू संघर्ष के जरिए जीते हैं । विस्थापन रोका है, पट्टे और आवास मिलने की कार्रवाई भी जारी है । आगे भी हम आवास और पट्टे के संघर्ष को जीत की मंजिल पर पहुंचा कर ही दम लेंगे ।

इस तरह अन्य ने भी संघर्षों और जीत की गाथाओं को सम्मेलन में रखा । उसके बाद सर्वसम्मति से जोरदार नारेबाजी के साथ 25 सितंबर को भोपाल चलो, का आव्हान भूमि अधिकार सम्मेलन द्वारा किया गया । सभी साथियों ने व्यापक अभियान चलाने और हजारों की संख्या में किसानों को लामबंद कर भोपाल ले जाने का संकल्प लिया । ■

# हरियाणा : याद  किये गए 1935 के लोहारू किसान विद्रोह के 23 शहीद

इंद्रजीत सिंह
(अखिल भारतीय उपाध्यक्ष, किसान सभा)

लुहारू रियासत के नवाब द्वारा थोपे गए निर्मम लगान व भांति-भांति के करों की असहनीय मार से पीड़ित किसानों, मजदूरों व कारीगरों ने लगान देने से तौबा कर ली । करों में ऊंट कर, बैल कर, भेड़-बकरी टैक्स, कतरन टैक्स, चबूतरा टैक्स, लोह टैक्स, बाट कर, करेपा कर, चाक कर, पेड़ कटाई टैक्स आदि आदि । ब्रिटिश सरकार विश्व युद्ध की एवज में ब्रिटिश सरकार लगानों में भारी वृद्धि करने प्रश्र उतर आई । अंग्रजों के संरक्षण के चलते रियासतें लगान वसूली के मामले में क्रूरता की तमाम सीमाएं लांघने में पूरी मनमर्जी करती थी ।

राजस्थान की सीमा से लगते इस इलाके में अकाल पड़ना आम बात थी । परंतु जनता को अकालों के दौरान भी कर वसूली से छूट देना तो दूर बल्कि जबरन वसूली के लिए यातनाएं दी जाती थी । 1922-23 से ही लोगों में रोष स्वरूप प्रतिरोध की कारवाइयां होने लगी थी । पंचायतें होने पंचा-

-यतें होने लगी जिनमें सभी समुदायों के लोग शामिल होते थे । ऐसी ही एक महापंचायत फरवरी 1935 में बुलाई गई जिसमें राजस्थान, पटियाला, जींद राज्यों से भी किसानों को बड़ी संख्या में आना था । परंतु नवाब की सेना ने बलपूर्वक इस पंचायत को नहीं होने दिया । इससे विद्रोह की आग और ज्यादा भड़क गई ।

लगान न भरने पर पास के गांव चहड़ कलां में नवाब की पुलिस ने आग लगा दी । कहते हैं सिर्फ एक घर जलने से बचा जिसके दरवाजे पर एक महिला किसान गंडासी (एक कृषि औजार) लिए खड़ी थी । उसने चेतावनी दी कि जो कोई दरवाजे में घुसा वह जिंदा नहीं जा सकेगा । चहड़ कलां, मंढौली, कासनी, गोकुलपुरा आदि गांवों में भी दमन की कारवाइयां हुई ।

8 अगस्त 1935 को एक बड़ी पंचायत सिंघानी गांव में हुई और रियासत में समानांतर प्रशासन की घोषणा करके सूबेदार दिलसुख को मुखिया घोषित कर दिया । इस पंचायत को तितर-बितर करने के लिए नवाब की फौज ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी जिसमें एक महिला सहित 23 किसान शहीद हुए जिनमें दलित समुदाय से भी थे ।

अगले दिन अखबारों के माध्यम से देश भर में खबर फैल गई । पंजाब की यूनियनिस्ट पार्टी की सरकार के वरिष्ठ मंत्री और किसान नेता चौ. छोटूराम, किसान नेता चौ. लाजपतराय अलखपुरा तथा पं नेकी राम शर्मा सिंघानी पहूंच गए और पीड़ित परिवारों को संभाला तथा घायलों की चिकित्सा की व्यवस्था की । भिवानी, शिमला, जोधपुर, दिल्ली आदि शहरों में 'सिंघानी उत्पीड़न विरोधी' दिवस मनाए गए ।

शहीदों की सूची: रामनाथ श्योराण, दौलत राम, पीरु राम, भोला राम, नंबरदारनी सुंदरी देवी (महिला), अमरचंद, माला राम, अमींलाल, गुत्ती राम,श् योचंद, मानी राम, नेमाराम, लालजी अग्रवाल, शिव बख्श अग्रवाल, मामचंद खाती, श्योचंद धाणक, पूर्ण राम, हीरा राम, कुमला खेदड़, धन्नाराम राव, चुन्नी लाल, सुल्तान सिंह और रामलाल गुड्डी । लगान विरोधी आन्दोलन में इस घटना से पहले और बाद में भी अलग-अलग गांवों में और भी किसान शहीद हुए थे ।

नवाब ने समझौता करने के लिए ऊंट कर को छोड़ कर सारे टैक्स हटाने का प्रस्ताव भेजा । विद्रोही किसानों ने नवाब का प्रस्ताव ठुकरा दिया ।

इस वर्ष 8 अगस्त 2025 को सिंघानी युवा क्लब द्वारा आयोजित 91वें शहीदी दिवस पर बीमा कंपनी के फर्जीवाड़े के खिलाफ लोहारू में चल रहे पक्के मोर्चे की ओर से एक बड़ा जुलूस शहीद स्मारक पर गया । गांव के अनेक महिला-पुरुष, स्कूली बच्चे, एन. सी. सी. कैडेट और सामाजिक कार्यकर्ता शामिल हुए । रक्त दान शिविर भी आयोजित हुआ ।

कार्यक्रम में इंद्रजीत सिंह, मास्टर जगरोशन, पूर्व विधायक सोमवीर, प्रमेन्द्र श्योराण, एडवोकेट ब्रह्मानंद, एडवोकेट कविता आर्य, मास्टर उमराव सिंह, कर्ण सिंह जेनावास, रवी आजाद, मुकेश नवम्बरदार, विनोद हरियावास,प् रिंसिपल पृथ्वी सिंह आदि विशेष रूप से उपस्थित रहे ।

किसान सभा व संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से इंद्रजीत सिंह ने शहीद किसानों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि आज फिर से साम्राज्यवाद मोदी सरकार पर दबाव डालकर भारत की कृषि और विशाल मार्किट पर अपना नियंत्रण स्थापित करना चाहता है । इसे पराजित करने के लिए हम सांप्रदायिक और जातिवादी ताकतों को हराकर ही अपनी आजीविका, खाद्य सुरक्षा और राष्ट्रीय संप्रभुता की रक्षा कर पाएंगे । आज शहीदों की कुर्बानी यही संदेश हमें देती है ।■

क्यूबा
के साथ
एकजुटता
हमारा
कर्तव्य है
AIKS

# फिलिस्तीनी मुक्ति के समर्थन में

**गज़ा में जारी नरसंहार न केवल अस्वीकार्य है**
**बल्कि हमारी सामूहिक अंतरात्मा पर एक धब्बा है।**